VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

करेंट अफेयर्स Workbook

अप्रैल 2025

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

एथिक्स केस स्टडी

प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल

MCQs

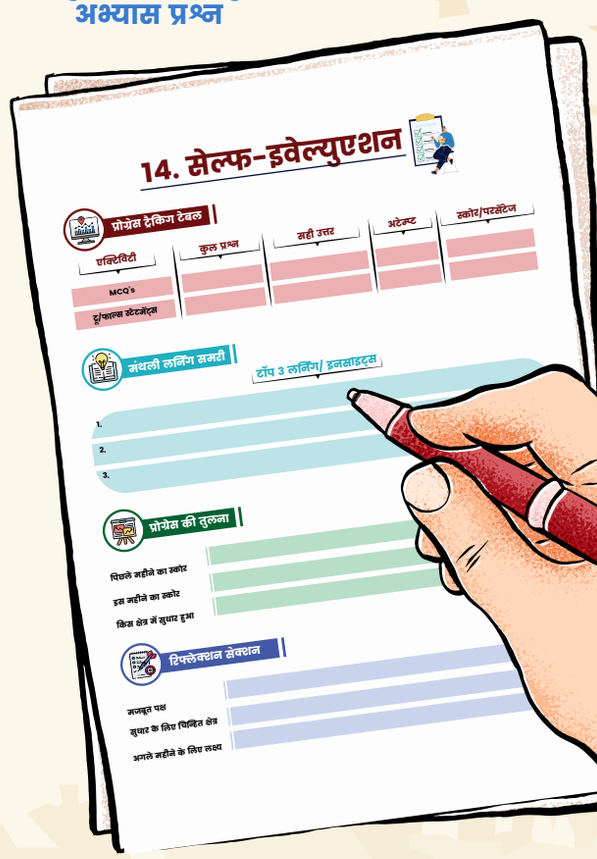

स्मरणीय तथ्य

सारांश

ट्रू/ फाल्स स्टेटमेंट्स

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

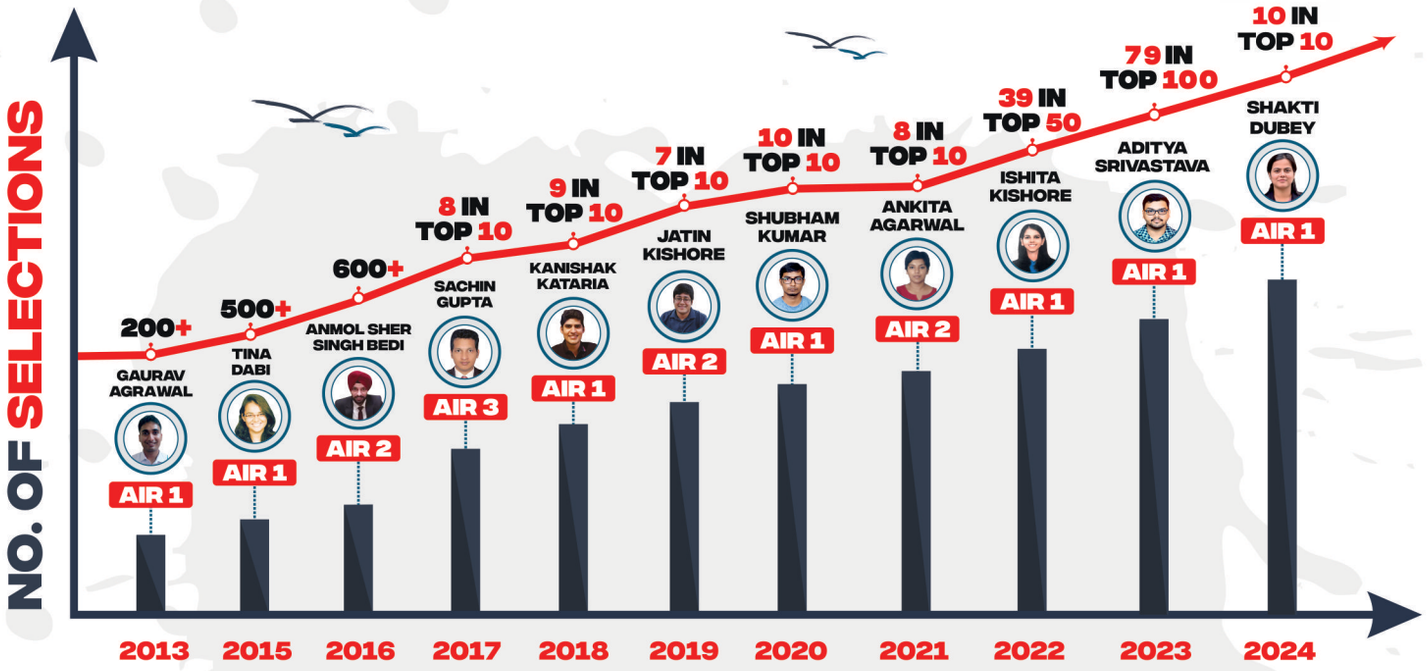

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course

GENERAL STUDIES

PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI : 29 MAY, 8 AM | 6 JUNE, 11 AM | 12 JUNE, 8 AM | 17 JUNE, 5 PM
20 JUNE, 11 AM | 23 JUNE, 2 PM | 30 JUNE, 8 AM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 27 MAY, 6 PM
14 JUNE, 8 AM | 23 JUNE, 5 PM

AHMEDABAD: 7 JUNE | **BENGALURU: 20 JUNE** | **BHOPAL: 26 MAY** | **CHANDIARH: 18 JUNE**

HYDERABAD: 25 JUNE | **JAIPUR: 24 JUNE** | **JODHPUR: 4 JUNE** | **LUCKNOW: 24 JUNE** | **PUNE: 16 JUNE**

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

▶ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI : 27 मई, 11 AM | 17 जून, 2 PM | **JAIPUR : 24 जून** | **JODHPUR : 4 जून** | **प्रवेश प्रारम्भ** | **BHOPAL | LUCKNOW**

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: GMMR 33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005 **CONTACT:** 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

विषय सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

1.1. शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers) . . . 6

1.2. राज्य विधेयकों को स्वीकृति (Assent to State Bills) . 7

1.3. राज्यों की स्वायत्तता की मांग (States' Demand for Autonomy) . . . 8

1.4. स्वामित्व योजना के 5 वर्ष (5 Years of SVAMITVA scheme) . . . 9

1.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) . . . 10

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (INTERNATIONAL RELATIONS)

2.1. उभरती विश्व व्यवस्था (EMERGING WORLD ORDER) 12

2.2. अंतर्मुखी विकास रणनीतियां (INWARD-LOOKING DEVELOPMENT STRATEGIES) . . . 13

2.3. सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) . . . 14

2.4. भारत-चीन संबंधों के 75 वर्ष (75 YEARS OF INDIA-CHINA RELATIONS) . . . 16

2.5. चीन द्वारा दुर्लभ भू-धातुओं के निर्यात पर नियंत्रण (China's Rare Earth Elements Export Control) . . . 17

2.6. भारत-श्रीलंका संबंध (India – Sri Lanka Relations) . . . 18

2.7. भारत-सऊदी अरब संबंध (India-Saudi Arabia Relations) . . . 19

2.8. भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध (INDIA-UAE RELATIONS) . . . 20

2.9. छठा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन (6th BIMSTEC Summit) . . . 21

2.10. भारतीय प्रवासी (INDIAN DIASPORA) . . . 22

2.11. संक्षिप्त सुर्ख़ियां . . . 23

3. अर्थव्यवस्था (ECONOMY)

3.1. डीप टेक के लिए इनोवेशन इकोसिस्टम (INNOVATION ECOSYSTEM FOR DEEP TECH) . . . 26

3.2. इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ELECTRONICS COMPONENT MANUFACTURING SCHEME: ECMS) . . . 27

3.3. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PRADHAN MANTRI MUDRA YOJANA: PMMY) . . . 28

3.4. एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (ONE STATE, ONE RRB) . . . 29

3.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) . . . 30

4. सुरक्षा (SECURITY)

4.1. जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद (Terrorism in Jammu and Kashmir) . . . 35

4.2. भारत का रक्षा निर्यात (India's Defence Exports) 36

4.3. जैविक हथियार अभिसमय (BIOLOGICAL WEAPONS CONVENTION: BWC)(BWC) . . . 37

4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) . . . 38

5. पर्यावरण (ENVIRONMENT)

5.1. पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण (ECO-CENTRIC APPROACH) . . . 41

5.2. उद्योगों का संशोधित वर्गीकरण (REVISED CLASSIFICATION OF INDUSTRIES) . . . 42

5.3. बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (BIO-INPUT RESOURCE CENTRES) . . . 43

5.4. फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन (FUNCTIONAL DE-EXTNICTION) . . . 43

5.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) . . . 44

6. सामाजिक मुद्दे (SOCIAL ISSUES)

6.1. कार्यस्थल ऑटोमेशन (WORKPLACE AUTOMATION) . . . 49

6.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) . . . 50

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (SCIENCE AND TECHNOLOGY)

7.1. भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (Green Hydrogen Certification Scheme of India: GHCI) . 52

7.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) . . . 53

8. संस्कृति (CULTURE)

8.1. भगवद् गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियां (Manuscripts of Bhagavad Gita and Natyashastra) . . . 56

8.2. सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि {Agriculture in Indus Valley Civilization (IVC)} 57

8.3. वायकोम सत्याग्रह (Vaikom Satyagraha) 57

8.4. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व: सर चेत्तूर शंकरन नायर (1857-1934)
{Personality In Focus: Sir Chettur Sankaran Nair (1857-1934)} 58

8.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) 59

9. नीतिशास्त्र (ETHICS)

9.1. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उपभोक्ता व्यवहार (SOCIAL MEDIA INFLUENCER AND CONSUMER BEHAVIOR) 61

9.2. बॉडी शेमिंग के नैतिक आयाम (ETHICAL DIMENSIONS OF BODY SHAMING) 62

9.3. मृत्युदंड और नैतिक आयाम (ETHICS OF CAPITAL PUNISHMENT) 62

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

10.1. पी.एम. श्री स्कूल (पी.एम. स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) {PM SHRI SCHOOLS (PM SCHOOLS FOR RISING INDIA)} 64

11. क्विक फैक्ट्स

12. एक्टिविटी ब्लॉक

12.1. MCQs 70

12.2. ट्रू/फाल्स (T/F) स्टेटमेंट्स (True/false Statements) 72

12.3. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions) 72

12.4. एथिक्स केस स्टडी (Ethics Case Studies) 73

13. उत्तर और व्याख्या

13.1. MCQs के उत्तर और व्याख्या (MCQs Answer and Explantion) 74

13.2. ट्रू/फाल्स स्टेटमेंट्स के उत्तर (True/False Answers) 75

13.3. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्नों के लिए दृष्टिकोण . . 75

13.4. केस स्टडीज़ के प्रति दृष्टिकोण 77

14. सेल्फ-इवेल्यूएशन

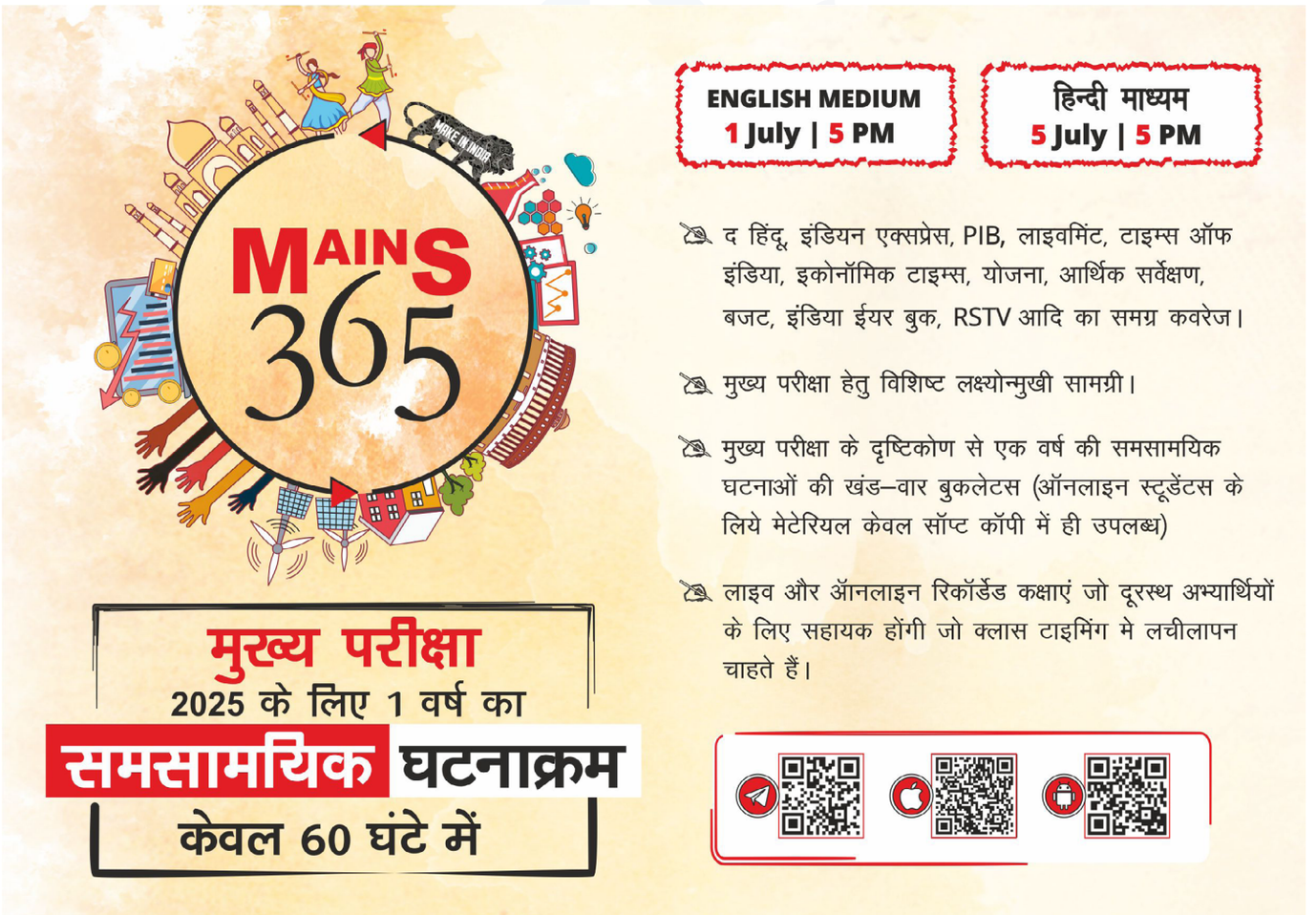

संपादक की कलम से

प्रिय पाठकों,

अप्रैल संस्करण की इस वर्कबुक के माध्यम से हम एक बार फिर आपके साथ उसी उद्देश्य से जुड़ रहे हैं कि आप समसामयिक विषयों की गहराई से समझ विकसित करें और उन्हें विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखने में समर्थ बनें। प्रत्येक खंड को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि वह न केवल आपकी वैचारिक समझ को मजबूत करे, बल्कि आपको समसामयिक घटनाओं से भी प्रभावी रूप से जोड़े रखे।

राजव्यवस्था एवं शासन खंड में, हमने शक्तियों के पृथक्करण की बदलती प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है, तथा राज्य विधेयकों को मंजूरी देने से संबंधित संवैधानिक और राजनीतिक जटिलताओं को समझाया है। साथ ही, इस खंड में स्वामित्व योजना के पांच वर्ष पूर्ण होने पर एक समीक्षा प्रस्तुत की गई है, जो ग्रामीण भारत में संपत्ति अधिकारों को नया स्वरूप देने वाली एक महत्वपूर्ण पहल रही है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले खंड में, ऐतिहासिक शिमला समझौते पर चर्चा की गई है, सिंधु जल संधि की जटिलताओं का वर्णन किया गया है, और बदलते शक्ति संतुलन एवं नए भू-राजनीतिक समायोजन से चिह्नित नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है।

अर्थव्यवस्था खंड नवाचार और समावेशन की नीति पर केंद्रित है। इसमें भारत के उभरते डीपटेक इकोसिस्टम, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना की प्रभावशीलता और विस्तार, तथा वन स्टेट, वन आर.आर.बी. जैसे संरचनात्मक सुधारों की चर्चा शामिल है, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में ऋण वितरण व्यवस्था को अधिक सशक्त और समावेशी बनाना है।

पर्यावरण खंड में हमने पर्यावरण-केंद्रित विकास की बढ़ती प्रासंगिकता, जैव-इनपुट संसाधन केंद्रों की सतत कृषि में भूमिका, तथा फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन निवारण की वैज्ञानिक और नैतिक चुनौतियों का विश्लेषण किया है, जो जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में एक उभरता विषय बनता जा रहा है।

यह संस्करण आपके लिए न केवल रिवीजन का एक माध्यम बने, बल्कि विचारों को समृद्ध करने वाला एक स्रोत भी सिद्ध हो, जो पारंपरिक ज्ञान को समकालीन घटनाओं से जोड़ते हुए आपकी समग्र और गहन समझ को और अधिक मजबूती प्रदान करे।

वर्कबुक के मुख्य अंशों पर एक नज़र

1. **मासिक समसामयिकी का सारांश:** इसमें एक माह के मुख्य सुर्ख़ियों, प्रमुख घटनाओं और ट्रेंड्स का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया गया है।
2. **स्मरणीय तथ्य:** महत्वपूर्ण तथ्यों, आंकड़ों और सांख्यिकी का एक संदर्भ तैयार किया गया है, जिससे तेजी से रिवीजन करना और याद रखना आसान हो जाता है।
3. **एक्टिविटी ब्लॉक:**

MCQs: महत्वपूर्ण टॉपिक्स की समझ का परीक्षण कीजिए।

ट्रू/फाल्स स्टेटमेंट्स: मुख्य तथ्यों की अपनी समझ को सत्यापित कीजिए।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: स्पष्टता के साथ टॉपिक्स को समझिए और व्याख्या कीजिए।

एथिक्स केस स्टडी: हालिया घटनाक्रमों को नैतिक दुविधाओं पर लागू कीजिए तथा निर्णय लेने से संबंधित कौशल को बेहतर कीजिए।

उत्तर और व्याख्या: इसमें तत्काल फीडबैक के लिए MCQs और ट्रू/फाल्स प्रश्नों के उत्तर शामिल हैं।

4. **प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल:** स्कोर रिकॉर्ड करने और सुधार के क्षेत्रों पर विचार करने के लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन दिया गया है। इसके साथ अपनी प्रगति की निगरानी कीजिए।

हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि इस वर्कबुक के साथ नियमित रूप से प्रैक्टिस करें, प्रत्येक टॉपिक को गहनता से पढ़ें, और इसे अपनी UPSC तैयारी की यात्रा में एक भरोसेमंद माध्यम बनाएं। यदि आपके पास सही रणनीति और मजबूत संकल्प है, तो सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी।

हार्दिक शुभकामनाएं,
करेंट अफेयर्स टीम,
VisionIAS

"सफलता स्थायी नहीं होती और असफलता अंतिम नहीं होती — महत्व उस साहस का है जिससे हम आगे बढ़ते रहते हैं।"
- विंस्टन एस. चर्चिल

1.1. शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के उपराष्ट्रपति ने यह ज़ोर देकर कहा कि सरकार के तीनों अंगों – विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। उन्होंने सचेत किया कि यदि इन संस्थाओं के बीच कोई अतिक्रमण होता है, तो यह **"संस्थागत अतिक्रमण"** का खतरा पैदा करता है।

शक्तियों का पृथक्करण

- इसका अर्थ है सरकार के तीनों अंगों- **कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका** में अधिकार एवं कर्तव्यों का स्पष्ट विभाजन।
- **उत्पत्ति:** अरस्तू ने पहली बार सरकार के कार्यों को तीन श्रेणियों यथा- **विचार-विमर्श, मजिस्ट्रेट संबंधी और न्यायिक** में वर्गीकृत किया था।
  - हालांकि, इस सिद्धांत का आधुनिक प्रतिपादक फ्रांसीसी न्यायविद **'मोंटेस्क्यू'** को माना जाता है।
  - **आधुनिक सिद्धांत:** अपनी पुस्तक **द स्पिरिट ऑफ द लॉज़** (1748) में, मोंटेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण के अपने सिद्धांत को प्रतिपादित और स्पष्ट किया था।

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत

अनन्यता सिद्धांत (Exclusivity Principle): सरकार को तीन संरचनात्मक अंगों में विभाजित करना।	कार्यात्मक सिद्धांत (Functional Principle): सभी अंगों की सीमाओं का निर्धारण करना और यह भी सुनिश्चित करना कि एक अंग दूसरे के कार्यों का अतिक्रमण नहीं करे।	नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत (Check and Balance Principle): प्रत्येक अंग द्वारा एक-दूसरे पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं कर्तव्य संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहें।	पारस्परिकता सिद्धांत (Mutuality Principle): सद्भाव पैदा करना - मतभेद नहीं करना, सहयोग करना - टकराव नहीं करना, संलग्न होना - विरोधी नहीं होना, आदि।

भारत में शक्तियों का पृथक्करण

- **नाजुक संतुलन:** भारतीय संविधान **शक्तियों के सीमित पृथक्करण के एक नाजुक संतुलन पर आधारित** है। सरकार के अलग-अलग अंगों के भिन्न-भिन्न कार्य हैं, लेकिन उनके बीच परस्पर नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी की गई है।
- **एक-दूसरे के कार्यों का आपस में टकराव:**
  - राष्ट्रपति (कार्यकारी प्रमुख), अध्यादेश जारी करने के रूप में विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है।
  - विधायिका **राष्ट्रपति और न्यायाधीशों को हटाने, अपने विशेषाधिकार का उल्लंघन करने आदि मामलों में न्यायिक कार्य** करती है।
  - न्यायपालिका **कार्यपालिकाओं को दिशा-निर्देश** जारी करने और कुछ विधायी संशोधन करने में विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को **संविधान के मूल ढ़ांचे का हिस्सा** माना है।
- **अंगों के बीच संघर्ष:**
  - **न्यायिक हस्तक्षेप:** सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित राज्य विधेयकों पर तीन माह के भीतर निर्णय लेना होगा।
  - **विधायी अतिक्रमण:** राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में केंद्रीय कानून मंत्री और दो प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे।
  - **कार्यपालिका द्वारा अतिक्रमण:** अधिकरणों में कार्यपालिका के सदस्यों का बहुमत, बार-बार अध्यादेश जारी करना आदि।

निष्कर्ष

सरकार के अंग पूरी तरह से अलग-अलग ढंग से कार्य नहीं कर सकते, इसलिए कुछ कार्यात्मक टकराव और पर्याप्त नियंत्रण एवं संतुलन के साथ शक्तियों का व्यापक पृथक्करण लोकतंत्र को सशक्त बनाता है।

1.2. राज्य विधेयकों को स्वीकृति (Assent to State Bills)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले** में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को समय पर मंजूरी देने के निर्देश जारी किए।

अन्य संबंधित तथ्य

- SC **संविधान के अनुच्छेद 142** के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करता है। यह अनुच्छेद SC को **पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक डिक्री/आदेश पारित** करने का अधिकार देता है।

राज्य विधेयक पर सहमति के संबंध में संवैधानिक प्रावधान	
राज्यपाल (अनुच्छेद 200)	**राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति (अनुच्छेद 201)**
➲ स्वीकृति प्रदान कर सकता है। ➲ स्वीकृति रोक सकता है। ➲ पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है (धन विधेयक के अतिरिक्त)- यदि विधान-मंडल इसे फिर से पारित करता है, तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी होगी। ➲ **राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित** कर सकता है।	➲ **स्वीकृति प्रदान** कर सकता है। ➲ **स्वीकृति रोक** सकता है। ➲ **पुनर्विचार के लिए लौटा** सकता है। विधान-मंडल को **6 महीने के भीतर कार्यवाही** करनी होती है; पुनर्विचार के बाद भी राष्ट्रपति **विधेयक को स्वीकार** या अस्वीकार कर सकता है।
राज्यपाल के विपरीत, राष्ट्रपति पुनर्विचारित विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है।	

निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **निष्क्रियता असंवैधानिक है:** राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास कोई **पॉकेट या आत्यंतिक वीटो** की शक्ति नहीं है।
  - यदि राज्यपाल /राष्ट्रपति निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं, तो राज्य सरकार सक्षम न्यायालय से **परमादेश रिट** की मांग कर सकती है।
- **विधान सभा द्वारा फिर से पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता:** विधेयक को पहले ही चरण में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया जा सकता है।
  - इसका अपवाद तब है दूसरी बार में प्रस्तुत किया गया विधेयक पहली बार में प्रस्तुत किए गए विधेयक से **मूल रूप से भिन्न** हो।
- **विधेयकों की स्वीकृति के लिए निर्धारित समय-सीमा**
- **अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास पूर्ण विवेकाधिकार नहीं है** और उसे मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह का पालन करना अनिवार्य है, सिवाय निम्नलिखित स्थितियों के:
  - **ऐसे राज्य विधेयक** जो उच्च न्यायालय की शक्तियों का हनन करते हैं, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना प्रभावी नहीं होंगे; समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषय से संबंधित विधेयक।

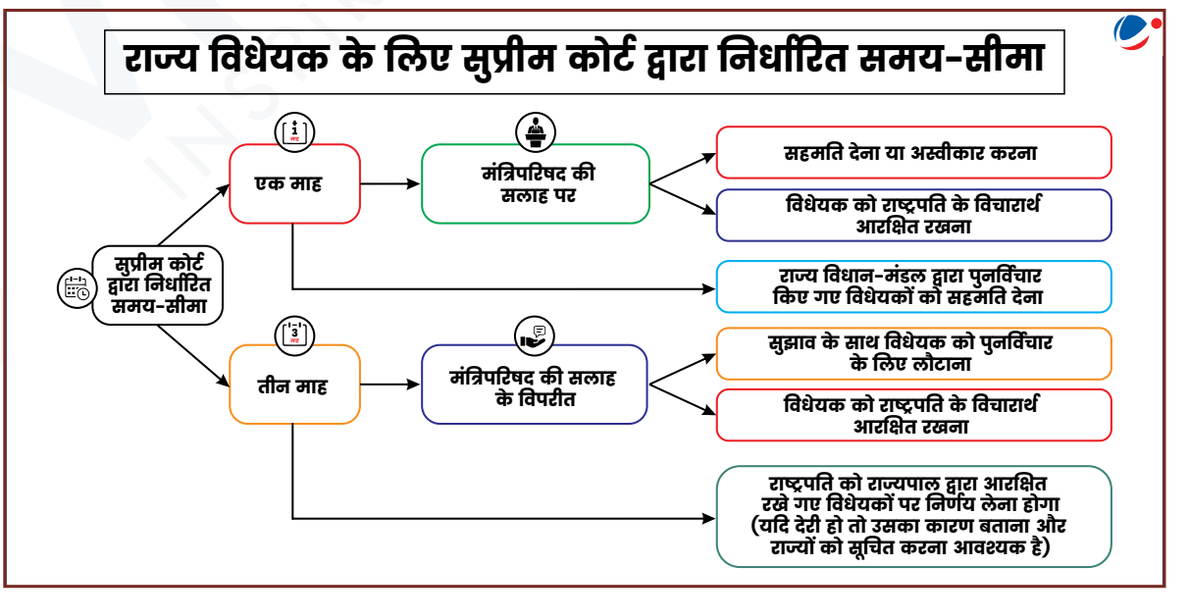

- **अनुच्छेद 200 के तहत विवेकाधिकार न्यायिक समीक्षा के अधीन है:** राज्यपाल द्वारा अपने विवेकाधिकार का उपयोग करके किसी विधेयक को मंजूरी न देने या उसे आरक्षित रखने के फैसले को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है,
- **राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयकों की असंवैधानिकता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करना चाहिए (अनुच्छेद 143)।**

1.3. राज्यों की स्वायत्तता की मांग (States' Demand for Autonomy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

तमिलनाडु सरकार ने **राज्य की स्वायत्तता और संघवाद को मजबूत** करने के तरीके सुझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के **पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता** में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया।

समिति का कार्य

- केंद्र-राज्य संबंधों के संवैधानिक, कानूनी और नीतिगत पहलुओं की समीक्षा करना; राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित विषयों को फिर से राज्य सूची में लाने के उपाय सुझाना आदि।

भारतीय संविधान की संघीय योजना

- भारत **राज्यों का संघ है, राज्यों के पास संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं** है।
- एकल संविधान, एकल नागरिकता, समान अखिल भारतीय सेवाएँ, समान चुनाव आयोग और एक एकीकृत न्यायपालिका है।
- **सातवीं अनुसूची में अनुच्छेद 246** के तहत विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है।
- भारतीय संघवाद को अक्सर **अर्ध-संघीय** कहा जाता है, जिसमें केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है।

भारत ने केंद्रीकृत संघवाद क्यों अपनाया?

- भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए, क्योंकि विभाजन की विभीषिका ने विभाजनकारी प्रवृत्तियों के उभरने की आशंका पैदा कर दी थी।
- संपदा और विकास का समृद्ध एवं गरीब राज्यों के बीच समान वितरण सुनिश्चित करना।
- न्याय, संसदीय लोकतंत्र, स्वतंत्रता आदि के मूल संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना। उन्हें एक मजबूत केंद्र के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है।
- कानूनों की एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए।

राज्यों की स्वायत्तता को कम करने वाले प्रमुख मुद्दे

- **राज्य सूची के तहत विषयों में केंद्रीय हस्तक्षेप:** दक्षिणी राज्यों ने **विश्वविद्यालय की फैकल्टी और कुलपतियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति से संबंधित UGC के मसौदा विनियमों** को चुनौती दी है।
  - **तमिलनाडु ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए NEET का विरोध** किया है।
- **राजकोषीय शक्तियों का केंद्रीकरण:** GST के तहत सीमित कराधान शक्तियां, कर हस्तांतरण में देरी और अनुदान में कटौती की जा रही है।
- **राज्य विविधता की अनदेखी करने वाली एकसमान नीतियां:** तमिलनाडु द्वारा त्रिभाषा नीति की मांग का विरोध करना।
- **संस्थागत निगरानी में कमी: योजना आयोग का गठन कार्यकारी आदेश** द्वारा किया गया था, इसमें **संवैधानिक जवाबदेही** का अभाव था। राज्यपाल राज्य विधेयकों को मंजूरी देने में देरी कर रहे है।
- **केंद्रीकरण के बढ़ते उदाहरण:** उदाहरण के लिए- **तमिलनाडु में अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा अनुमति देने की शक्तियों का अनुचित उपयोग,** पश्चिम बंगाल ने राज्य की सहमति के बिना केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच का विरोध किया आदि।

केंद्र-राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख पहलें

- **अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263):** इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना है।
- **योजना आयोग का प्रतिस्थापन:** नीति आयोग अधिक राज्य भागीदारी के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।
- **कर हस्तांतरण में वृद्धि:** 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% की।
- **GST परिषद:** यह GST नीतियों को तय करने के लिए अनुच्छेद **279A के तहत स्थापित केंद्र और राज्य दोनों के सदस्यों वाला एक संयुक्त मंच** है।
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) में कमी:** 130 से घटाकर 75 की गई, और भविष्य में इन्हें कम करके 50 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- **विकेंद्रीकरण:** 73वें और 74वें संशोधनों ने पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को अधिकार दिए हैं।

राज्य स्वायत्तता की मांग का प्रभावी रूप से समाधान करने के उपाय

- सरकारिया आयोग (1983) की मुख्य सिफारिशों को लागू करना
  - **सभी अवशिष्ट शक्तियों** (कराधान को छोड़कर) **को समवर्ती सूची में स्थानांतरित** किया जाना चाहिए। **संघ को समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श** करना चाहिए।
- **समावेशी विकास को बढ़ावा देना:** पुंछी आयोग (2007) के अनुसार, पिछड़े राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण बढ़ाया जाना चाहिए। भौतिक और मानव संसाधन अवसंरचना को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- **अंतर-राज्य परिषद का उपयोग करना:** वेंकटचलैया आयोग के अनुसार, परिषद् का उपयोग सामूहिक और व्यक्तिगत राज्य परामर्श दोनों के लिए किया जाना चाहिए।
- **समन्वय और नीतिगत सहमति को बढ़ावा देना:** यह कार्य क्षेत्रीय परिषदों, GST परिषद, नीति आयोग तथा अन्य सहकारी मंचों के माध्यम से किया जा सकता है।

निष्कर्ष

जैसा कि अन्नादुरई ने 1967 में कहा था, **"आपसी सद्भावना और समझदारी के माध्यम से हमें भाईचारे एवं परस्पर लाभकारी संबंध की स्थापना करनी चाहिए।"**

1.4. स्वामित्व योजना के 5 वर्ष (5 Years of SVAMITVA scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण) योजना ने अपने शुभारंभ के 5 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।

स्वामित्व के बारे में

- **आरंभ:** 2020
- **कार्यान्वयन:** पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग।
- **मुख्य प्रौद्योगिकी भागीदार:** भारतीय सर्वेक्षण विभाग, और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक. (NICSI)
- **प्रमुख घटक**
  - **कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंसिंग सिस्टम (CORS) नेटवर्क की स्थापना:** सटीक भू-संदर्भ और भूमि सीमांकन के लिए उपयोग।
  - **ड्रोन मैपिंग:** इससे संपत्ति का सटीक मानचित्र या नक्शा तैयार करके भू स्वामित्व अधिकार जारी किया जाता है।
  - **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) पहल:** स्थानीय आबादी को योजना के तरीकों एवं लाभों के बारे में शिक्षित किया जाता है।
  - **ग्राम मानचित्र में सुधार:** ड्रोन सर्वेक्षणों से प्राप्त डिजिटल स्थानिक डेटा ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने वाले विश्लेषणात्मक टूल्स को सशक्त बनाता है।

स्वामित्व योजना

ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना।

विभागीय उपयोग के लिए सर्वेक्षण अवसंरचना और GIS मानचित्रों का निर्माण करना।

GIS मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)** तैयार करना।

नागरिकों को अपनी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर **वित्तीय संधारणीयता** प्रदान करना।

संपत्ति कर का निर्धारण करना, जो सीधे ग्राम पंचायतों को उन राज्यों में मिलेगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है या फिर इसे राज्य के खजाने में जोड़ा जाएगा।

योजना का महत्त्व

- **कानूनी सशक्तीकरण और विवाद समाधान:** यह योजना संपत्ति कार्ड जारी करती है। अब तक 1.3 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके है।
- **वित्तीय समावेशन के माध्यम से आर्थिक परिवर्तन:** संपत्ति काड्र्स का उपयोग ऋण प्राप्त करने के क्रम में जमानत के रूप में किया जा रहा है।
- **गवर्नेंस में क्रांति और संसाधनों का इष्टतम उपयोग:** एखातपुर-मुंजवाड़ी गाँव (महाराष्ट्र) ने अद्यतन संपत्ति रिकॉर्ड के माध्यम से स्वयं के स्रोत राजस्व (OSR) में वृद्धि की है।
- **ग्रामीण विकास में तकनीकी नवाचार:** योजना में CORS नेटवर्क के साथ सर्वेक्षण-ग्रेड ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है।
- **समग्र ग्रामीण परिवर्तन और योजना:** हरियाणा और उत्तराखंड में (ड्रोन सर्वेक्षण और संपत्ति कार्ड तैयारी दोनों में 100% पूर्णता), यह योजना योजनाबद्ध, सतत ग्रामीण विकास के लिए एक खाका तैयार करती है।

योजना के कार्यान्वयन के समक्ष चुनौतियां

- **संपत्ति कार्ड की अस्पष्ट कानूनी वैधता:** कई वित्तीय संस्थान स्वामित्व के निर्णायक प्रमाण के रूप में संपत्ति कार्ड को मान्यता नहीं देते हैं।
- **राज्य भूमि कानूनों और रिकॉर्ड रखने की प्रथाओं में भिन्नताएं:** आंध्र प्रदेश भू-अभिलेख के मामले में पंजीकृत और अपंजीकृत, दोनों प्रकार की देनदारियों का रिकॉर्ड रखता है, जबकि कई अन्य राज्य केवल पंजीकृत बंधकों का ही रिकॉर्ड रखते हैं।
- **संपत्ति कर संग्रह के सीमित अधिकार:**
  - ओडिशा ने **ग्राम पंचायतों को संपत्ति कर एकत्र करने का अधिकार नहीं** दिया है।
  - उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, जिला पंचायतें (ग्राम पंचायतें नहीं) संपत्ति कर एकत्र करती हैं।
- **हाशिए पर रहे समुदायों के लिए अपर्याप्त सुरक्षा:** हाशिए पर रही आबादी की अनदेखी की जा सकती है। इससे प्रभावशाली समूह अपने हित में भूमि प्राप्त कर सकते हैं।
- **डेटा प्रबंधन:** पारदर्शिता बनाए रखने के लिए गैर-व्यक्तिगत भूमि डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने से संबंधित प्रावधान भी अस्पष्ट हैं।

आगे की राह

- **कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना:** संपत्ति कार्ड को स्टांप ड्यूटी दस्तावेजों के रूप में शामिल करने के लिए राज्य राजस्व अधिनियमों में संशोधन करके वित्तीय संस्थानों द्वारा संपत्ति कार्ड को कानूनी मान्यता देना सुनिश्चित करना चाहिए।
- **रिकॉर्ड-कीपिंग को मानकीकृत करना:** संपत्ति कार्ड पर सभी देनदारियों को रिकॉर्ड करने के लिए एक समान प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए।
- **सभी ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना:** कानूनी संशोधनों के माध्यम से संपत्ति कर एकत्र करना चाहिए और व्यापक संपत्ति वर्गीकरण प्रणाली लागू करनी चाहिए।
- **हाशिये पर रहे समुदायों की रक्षा करना:** SC/ ST समूहों, महिलाओं और बटाईदारों के अधिकारों को पहचानने के लिए सर्वेक्षणकर्ताओं को प्रशिक्षित

करना चाहिए, सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए आदि।

- **डेटा प्रबंधन को बढ़ाना:** पारदर्शिता में सुधार के लिए गैर-व्यक्तिगत भूमि डेटा को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाना चाहिए, समान भू-स्थानिक डेटा मानकों को लागू करना चाहिए आदि।

1.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.5.1. लोक सभा उपाध्यक्ष (Deputy Speaker of the Lok Sabha)

वर्ष 2019 से उपसभापति (DS) का पद लंबे समय से रिक्त है, जो संवैधानिक विसंगति की ओर इशारा करता है।

लोक सभा उपाध्यक्ष के बारे में

- यह पद **भारत सरकार अधिनियम,** 1919 के तहत 1921 में अस्तित्व में आया था।
  - **सच्चिदानंद सिन्हा** ने पहली बार केंद्रीय विधान सभा में इस पद को संभाला था।
  - **एम. ए. अयंगर** स्वतंत्रता के बाद पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष बने थे।
- **चुनाव (अनुच्छेद 93):** लोक सभा, यथाशीघ्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में सदन के दो सदस्यों का चयन करती है।
  - लंबे समय से चली आ रही परंपरा- उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता रहा है।
- अध्यक्ष अपना त्याग-पत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्याग-पत्र अध्यक्ष को सौंपता है। (अनुच्छेद 94)।
- **कर्तव्य:** अनुच्छेद 95 के अनुसार, अध्यक्ष की अनुपस्थिति या रिक्ति की स्थिति में उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

रिक्ति से जुड़ी समस्याएं

- सभी प्रक्रियात्मक शक्तियों का अध्यक्ष (सत्ताधारी दल से) के पास केंद्रीकरण।
- संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना।
- समावेशिता और सहमति की राजनीति को दरकिनार करना।

उपाध्यक्ष के पद का महत्त्व

- **संवैधानिक अनिवार्यता:** उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के बराबर दर्जा दिया गया है।
- **निरंतरता, स्थिरता और संस्थागत संतुलन के लिए आवश्यक:** यह पद आपातकाल की स्थिति में **द्वितीय नेतृत्व** प्रदान करता है।
  - **1956 में अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर के निधन के बाद एम. ए. अय्यंगर** ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।
- **विधायी जिम्मेदारियाँ:** उपाध्यक्ष महत्वपूर्ण सत्रों की अध्यक्षता करता है, समितियों का नेतृत्व करता है और गंभीर वाद-विवाद का संचालन निष्पक्षता एवं प्राधिकार के साथ करता है।

निष्कर्ष

एक निश्चित समय सीमा (जैसे, नई लोक सभा की पहली बैठक के 60 दिन) या एक **वैधानिक व्यवस्था की शुरुआत** की जा सकती है, ताकि समय सीमा के भीतर उपाध्यक्ष का चयन किया जा सके।

1.5.2. दल-बदल की याचिकाओं पर अध्यक्ष की निष्क्रियता (INACTION BY SPEAKERS ON DEFECTION PETITIONS)

सुप्रीम कोर्ट ने **दल-बदल याचिकाओं पर अध्यक्ष की लंबे समय तक निष्क्रियता की निंदा** की।

- **कानूनी प्रश्न:** क्या कोर्ट अर्ध-न्यायिक अधिकरण के रूप में कार्य करने वाले अध्यक्ष को दल-बदल विरोधी याचिकाओं पर एक तय समय-सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है?

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ

- SC ने कहा कि यदि अध्यक्ष दल-बदल याचिकाओं पर **"अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है" तो कोर्ट उस पर निर्णय देने में सक्षम है।**
- न्यायालय को उचित **समय-सीमा निर्धारित करने का अधिकार** है।
  - उदाहरण के लिए- **केशम मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधान सभा के माननीय अध्यक्ष और अन्य वाद (2020)।**
- **यदि अध्यक्ष कार्रवाई करने में विफल रहता है: तो SC अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग** कर सकता है।

अन्य SC टिप्पणियाँ:

- **किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992):** यदि अध्यक्ष कार्रवाई में देरी करता है, तो न्यायालयों को हस्तक्षेप करने का अधिकार है
- **रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ (1994):** अध्यक्ष को एक राजनीतिक व्यक्ति की बजाय एक तटस्थ निर्णायक के रूप में कार्य करना चाहिए।
- **कर्नाटक विधायकों की अयोग्यता का मामला (2020):** इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा शक्तियों को एक स्वतंत्र अधिकरण को हस्तांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिए

दल-बदल विरोधी कानून: 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा दसवीं अनुसूची को जोड़कर पेश किया गया था।

1.5.3. आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक, 2025 (IMMIGRATION AND FOREIGNERS BILL, 2025)

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- **उद्देश्य:** आव्रजन कानूनों का आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना और आव्रजन अधिकारियों के बीच समन्वय में सुधार करना।
- **निरस्त किए गए विधेयक:**
  - पासपोर्ट अधिनियम, 1920;
  - विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939;
  - विदेशी विषयक, 1946;
  - आप्रवासन (वाहकों की देयता) अधिनियम, 2000 आदि।
- आव्रजन ब्यूरो द्वारा आव्रजन विनियमन।
- अवैध प्रवेश के लिए **पांच साल तक की कैद, पांच लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों** का प्रावधान किया गया है।
- हेड कांस्टेबल या उससे उच्च रैंक के पुलिस अधिकारी भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं।

1.5.4. पंचायत प्रगति सूचकांक {PANCHAYAT ADVANCEMENT INDEX (PAI)}

इसे पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया है।

पंचायत प्रगति सूचकांक (PAI) के बारे में

- PAI एक बहु-डोमेन और बहु-क्षेत्रीय सूचकांक है, जिसका उद्देश्य पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन करना है।
  - **गरीबी, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, सुशासन, महिलाओं और बच्चों से संबंधित 9 थीम।**
- **उद्देश्य:** यह मापना कि ये जमीनी स्तर की संस्थाएँ स्थानीयकृत SDG को कितनी अच्छी तरह से प्राप्त कर रही हैं।
- **नौ प्रमुख थीम।**
- **PAI में श्रेणियाँ**
  - **अचीवर: (0% पंचायतें);**
  - **एस्पिरैंट: (61.2%);**
  - **परफ़ॉर्मर: (36%); तथा**
  - **फ्रंट-रनर: गुजरात** शीर्ष पर है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध
(International Relations)

2.1. उभरती विश्व व्यवस्था (EMERGING WORLD ORDER)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बिम्सटेक की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा कि नई विश्व व्यवस्था क्षेत्रीय और एजेंडा-विशेष आधारित होगी।

विश्व व्यवस्था के बारे में

परिभाषा: शक्ति और अधिकार की व्यवस्था जो वैश्विक स्तर पर कूटनीति और विश्व राजनीति के संचालन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।

नई विश्व व्यवस्था के पीछे कारक

- **युद्धोत्तर बहुपक्षीय व्यवस्था का पतन:** उदाहरण के लिए, रूस-यूक्रेन युद्ध और गाजा संकट में संयुक्त राष्ट्र की विफलता।
- **बहुसंकट का उदय:** उदाहरण के लिए, युद्ध, जलवायु, महामारी, साइबर खतरे।
- **क्षेत्रीय और एजेंडा-विशिष्ट भू-राजनीति:** उदाहरण के लिए, ब्रिक्स का उद्देश्य पारंपरिक शक्तियों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ाना है।
- **बहुध्रुवीयता:** विश्व व्यवस्था पर अब एक (एकध्रुवीय) या दो (द्विध्रुवीय) महाशक्तियों का वर्चस्व नहीं।

उभरती हुई विश्व व्यवस्था में भारत के लिए अवसर

- **वॉयस ऑफ़ द ग्लोबल साउथ:** गैर-पश्चिमी लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, G-20 (वसुधैव कुटुम्बकम), वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ, विश्व-मित्र विजन।
- **संतुलित बहुध्रुवीयता:** ब्रिक्स, SCO, क्वाड और G20, आदि के साथ जुड़ता है।
- मुद्दे-आधारित सहयोग: उदाहरण के लिए- बिम्सटेक का कनेक्टिविटी और आपदा प्रबंधन पर फोकस; इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF); आदि।
- **डिजिटल और तकनीकी नेतृत्व:** CoWIN, UPI, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC), आदि के माध्यम से।
- **जलवायु कूटनीति:** हरित विकास, वित्त सुधार का समर्थन करता है। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI)
- **सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर:** उदाहरण के लिए- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, भारतीय प्रवासी कूटनीति, बौद्ध धर्म कूटनीति।

निष्कर्ष

भारत को अपने बहुध्रुवीय विजन को आगे बढ़ाने और समावेशी, भविष्य के लिए तैयार वैश्विक नियमों को आकार देने के लिए विकसित विश्व व्यवस्था का उपयोग करना चाहिए।

आधुनिक विश्व व्यवस्था का उद्विकास

वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णायक घटक (1648-वर्तमान तक)

1648 — वेस्टफेलियन प्रणाली
संप्रभु राज्य वैश्विक राजनीति में केंद्रीय अभिकर्ता बन गए। वेस्टफेलिया की शांति ने धार्मिक युद्धों का अंत कर दिया और आधुनिक कूटनीति को जन्म दिया।

1776-1800s — क्रांतियों का युग
उदारवादी विचारधारा, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक वैधता का उदय हुआ। ये अमेरिकी क्रांति व फ्रांसीसी क्रांति से मजबूत हुए थे।

1919 — प्रथम विश्व युद्ध के बाद
लीग ऑफ़ नेशंस का सहयोग व शांति की ओर झुकाव। आत्मनिर्णय एक मुख्य सिद्धांत के रूप में उभरा।

1945 — द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और शीत युद्ध का दौर
द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था: संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम सोवियत संघ। उपनिवेशवाद का उन्मूलन तथा मानवाधिकार आंदोलनों द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानून का विस्तार।

1991 — शीत युद्ध के बाद का दौर
आरंभ में अमेरिकी वर्चस्व अर्थात एकध्रुवीयता। बाद में बहुध्रुवीयता की ओर क्रमिक बदलाव।

2.2. अंतर्मुखी विकास रणनीतियां (INWARD-LOOKING DEVELOPMENT STRATEGIES)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिका ने सभी आयातों पर 10% का बेसलाइन टैरिफ के साथ पारस्परिक प्रशुल्क योजना की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य व्यापार अधिशेष वाले राष्ट्र हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह कदम बहिर्मुखी नीतियों से हटकर, **अंतर्मुखी** विकास रणनीतियों की ओर बदलाव का संकेत देता है।
- **अंतर्मुखी विकास रणनीतियों के अन्य प्रमुख उदाहरण:**
  - **चीन:** जर्मेनियम जैसी दुर्लभ भू-धातुओं पर लगाया गया निर्यात नियंत्रण।
  - **भारत:** मेक इन इंडिया, PLI योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान

अंतर्मुखी विकास रणनीतियां

- **परिभाषा:** स्वदेशी कच्चे माल और घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों रक्षा करना और बाहरी निर्भरता को कम करना है।
- **उत्पत्ति:**
  - **लैटिन अमेरिका:** प्रथम विश्व युद्ध एवं आर्थिक महामंदी के बाद, लैटिन अमेरिका ने 19वीं सदी से मुक्त व्यापार संकटों से निपटने के लिए अपनाया गया है।
  - **भारत:** स्वतंत्रता के बाद, औपनिवेशिक शोषण और आर्थिक स्वायत्तता के लक्ष्य से प्रेरित होकर, संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया।

विकास संबंधी रणनीतियां: आंतरिक और बाह्य अवलोकन

आंतरिक अवलोकन रणनीति

1. **डिग्लोबलाइजेशन** की व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा
2. सुरक्षात्मक उपायों के माध्यम से **स्थानीय उद्योगों का समर्थन**
3. **घरेलू नौकरियों** को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना
4. घरेलू उत्पादकों को बचाने के लिए **टैरिफ और सब्सिडी** का उपयोग करना
5. स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए **विदेशी प्रतिस्पर्धा को सीमित करना**
6. **आत्मनिर्भरता** पर जोर देना और आयात निर्भरता को कम करना
7. **आयात प्रतिस्थापन** और औद्योगीकरण (ISI) पर ध्यान केंद्रित करना
8. **व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा बहिर्वाह को कम** करने का लक्ष्य रखना

VS

बाह्य-अवलोकन - अवलोकन रणनीति

1. **वैश्वीकरण** के साथ एकीकृत रहना
2. **मुक्त व्यापार** को प्रोत्साहित करना और व्यापार बाधाओं को दूर करना
3. संवृद्धि के उत्प्रेरक के रूप में **विदेशी निवेश** का स्वागत करना
4. घरेलू अर्थव्यवस्था के **वैश्विक एकीकरण** को बढ़ावा देना
5. प्रतिस्पर्धा के माध्यम से **आर्थिक दक्षता** को प्राथमिकता देना
6. ज्ञान हस्तांतरण के माध्यम से **तकनीकी नवाचार** को सुविधाजनक बनाना
7. **निर्यातोन्मुखी** औद्योगीकरण को अपनाना
8. वैश्विक बाजारों में **तुलनात्मक लाभ** की तलाश करना

अंतर्मुखी विकास रणनीतियों के प्रमुख उद्देश्य और दृष्टिकोण क्या हैं

उद्देश्य	पद्धतियां
राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता	संकट के दौरान निर्भरता कम करने के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाएँ (जैसे, सेमीकंडक्टर, फार्मा) विकसित करते है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का CHIPS अधिनियम (सेमीकंडक्टर सब्सिडी)
आर्थिक संप्रभुता को पुनः प्राप्त करना	**विश्व व्यापार संगठन और IMF जैसी वैश्विक संस्थाएँ** अमीर देशों का पक्ष लेते हैं; **आंतरिक रणनीतियाँ अधिक** नियंत्रण प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, **भारत का आत्मनिर्भर भारत अभियान (20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज), चीन की दोहरी सर्कुलेशन नीति।**
घरेलू विनिर्माण से संबंधित रोजगार को पुनर्जीवित करना और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना	**अंतर्मुखी नीतियां आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देती हैं।** **उदाहरण के लिए, भारत की 5 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां**
व्यापार असंतुलन का समाधान	**निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं** का उपयोग। उदाहरण के लिए, **भारत सरकार ने रक्षा बजट का 75% घरेलू खरीद के लिए आरक्षित** रखता है।

अंतर्मुखी विकास रणनीतियों के संभावित नकारात्मक प्रभाव

- **उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि:** टैरिफ/ आयात प्रतिबंध लागत बढ़ाते हैं, प्रतिस्पर्धा में कमी करते हैं, और विकल्प सीमित हो जाते हैं।
- **दक्षता की कमी:** रीशोरिंग/ फ्रेंडशोरिंग महंगा और कम लचीला हो सकता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला का विखंडन:** इलेक्ट्रॉनिक्स/ ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में देरी, उच्च लागत और नवाचार में कमी का सामना करना पड़ता है।
- **व्यापार तनाव और युद्ध में वृद्धि:** संरक्षणवाद जवाबी कार्रवाई उपायों को ट्रिगर करता है।
- **ब्लॉक गठन:** द्विपक्षीयता को बढ़ावा देता है, बहुपक्षवाद को कमजोर करता है, लघु देशों को बाहर कर सकता है।

निष्कर्ष

अंतर्मुखी-रणनीतियां **आर्थिक संप्रभुता सुनिश्चित** कर सकती हैं, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए **आर्थिक दक्षता में कमी** कर सकता है। सफल कार्यान्वयन के लिए आमतौर पर घरेलू उत्पादक क्षमता, तकनीकी क्षमताओं और कौशल विकास की आवश्यकता होती है; एक चयनात्मक दृष्टिकोण अलगाव के लिए बेहतर है।

2.3. सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को समर्थन दिए जाने का हवाला देते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया।

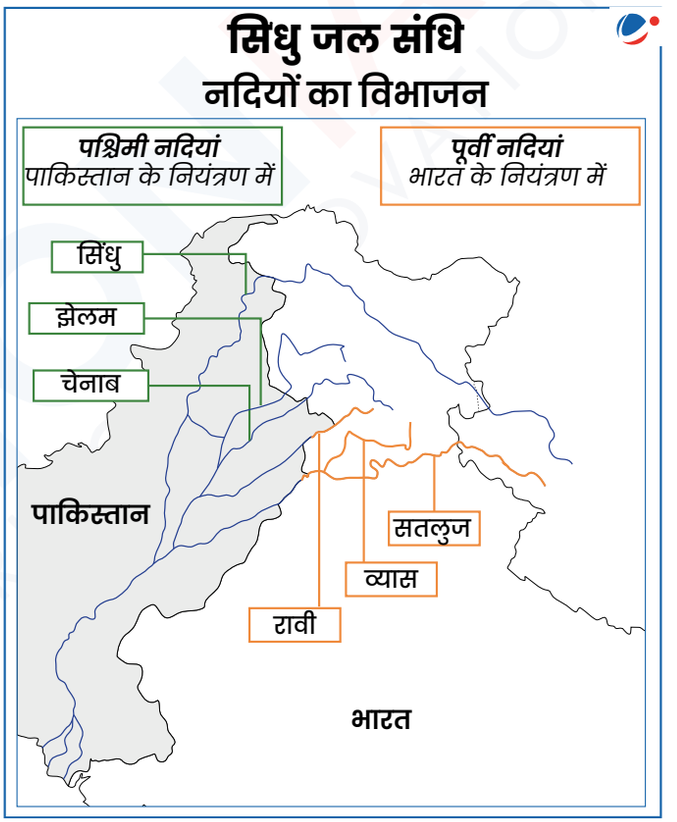

अन्य संबंधित तथ्य

- **'निलंबन'** शब्द अस्थायी निष्क्रियता या स्थगन की स्थिति को दर्शाता है। हालांकि, यह अंतर्राष्ट्रीय संधि कानून के तहत **कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अवधारणा नहीं** है।
- न तो **सिंधु जल संधि (IWT)** और न ही **वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज (VLCT), 1969** किसी संधि के दायित्वों को स्थगित करने के लिए 'निलंबन' को एक वैध आधार के रूप में स्वीकार करता है।
- **सिंधु जल संधि में एकतरफा निलंबन का प्रावधान** नहीं है।

सिंधु जल संधि के बारे में

- **उत्पत्ति: 1960 में भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर** किए थे। इस संधि पर **विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता** की गई थी।
- **उद्देश्य:** सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल का **वितरण** सुनिश्चित करना।
- **नदी जल का बंटवारा:**
  - **पूर्वी नदियां (रावी, व्यास, सतलुज):** भारत द्वारा पूर्ण उपयोग।
  - **पश्चिमी नदियां (सिंधु, झेलम, चिनाब):** पाकिस्तान को आवंटित; भारत ने गैर-उपभोग्य उपयोग की अनुमति दी।
  - **अनुच्छेद III(1):** पश्चिमी नदियों के जल के प्रवाह को पाकिस्तान में बहने देने के लिए बाध्य है।
  - **डेटा का आदान-प्रदान:** नदी के प्रवाह और उपयोग के संबंध में जानकारी का आदान-प्रदान।
- **विवाद समाधान (3-चरण):**
  - **स्थायी सिंधु आयोग (PIC)**- दो आयुक्त; वार्षिक बैठक करते हैं।
  - **तटस्थ विशेषज्ञ**- विश्व बैंक द्वारा नियुक्ति। इसके निर्णय बाध्यकारी है।
  - **मध्यस्थता न्यायालय (CoA)-** 7 सदस्यीय न्यायाधिकरण। इसमें बहुमत से निर्णय लिए जाते है।

सिंधु जल संधि के निलंबन के निहितार्थ	
भारत पर	**पाकिस्तान पर**
विश्वसनीयता: एकतरफा कार्रवाई एक जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय पक्षकार के रूप में भारत की विश्वसनीयता कमजोर हो सकती है।	**खाद्य सुरक्षा:** विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 80% फसलें सिंधु नदी की सिंचाई पर निर्भर हैं।
जल संसाधनों का शस्त्रीकरण: ब्रह्मपुत्र के संबंध में चीन द्वारा भी यही रणनीति अपनाई जा सकती है।।	**आर्थिक प्रभाव: गेहूं, धान और कपास की खेती** मुख्य रूप से सिंधु नदी तंत्र पर निर्भर है। इनसे **2022 में 4.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर** प्राप्त हुए थे।
	विद्युत और जल की कमी: पाकिस्तान की **एक-तिहाई बिजली जलविद्युत** से आती है, और पाकिस्तान पहले से ही जल की कमी से ग्रस्त देश है।

IWT से संबंधित अन्य मुद्दे

- **'बांधों पर आपत्ति:** पाकिस्तान किशनगंगा (झेलम) और रतले (चिनाब) बांधों पर आपत्ति जताई है।
- **'विवाद समाधान-तंत्र का पालन न करना:** भारत की किशनगंगा जलविद्युत परियोजना पर पाकिस्तान ने तटस्थ विशेषज्ञ तंत्र को दरकिनार करते हुए सीधे **हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA)** में मामले को ले गया था, जो यह संधि के विवाद समाधान तंत्र का उल्लंघन करता है।
- **'जैव विविधता पर प्रभाव: शाहपुरकंडी और उझ (रावी) परियोजनाएं सिंधु डॉल्फिन** को प्रभावित कर सकते हैं।
- **आतंकवाद से संबंध:** 2016 में, कश्मीर में एक आतंकवादी हमले के बाद भारत ने चेतावनी दी थी कि "पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते"।
- **नियमित डेटा साझाकरण नहीं:** नदी बेसिन की स्थिति को समझने के लिए **जल प्रवाह संबंधी डेटा साझाकरण महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक है।**

अंतर्राष्ट्रीय जल साझाकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत

- **हेलसिंकी नियम, 1966:** इसे इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन द्वारा अपनाया गया है; अंतर्राष्ट्रीय जल निकासी बेसिनों के उपयोग को नियंत्रित करता है।
- **हेलसिंकी कन्वेंशन, 1992:** यह **सीमा-पार जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक कानूनी ढांचा** प्रदान करता है।
- **यू.एन. वाटरकोर्स कन्वेंशन, 1997: यह सीमा-पार जलमार्गों के गैर-नौवहन उपयोग** पर कानून को संहिताबद्ध करता है।
  - **भारत, चीन और पाकिस्तान** ने इस पर हस्ताक्षर **नहीं** किए हैं।

निष्कर्ष

भारत का 'निलंबन' का प्रयोग एक रणनीतिक संदेश है, संधि को अस्वीकार करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये संधियां व्यावहारिक राजनीतिक परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करनी चाहिए और भारत के हितों की रक्षा के लिए सभी पक्ष अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें।

2.3.1. शिमला समझौता (SHIMLA AGREEMENT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पाकिस्तान ने शिमला समझौते सहित भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों में अपनी भागीदारी को 'निलंबित' रखेगा।

शिमला समझौता

- **पृष्ठभूमि:** भारत-पाकिस्तान ने **1971 के युद्ध के बाद 1972 में हस्ताक्षर किए थे।** इसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ।
- **मुख्य प्रावधान**
  - **संबंधों का सामान्यीकरण:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत संबंधों को विनियमित करेंगे, युद्धबंदियों और नागरिकों की स्वदेश वापसी को भी सुगम बनाया।
  - **द्विपक्षीय समाधान:** द्विपक्षीय वार्ता या आपसी समझौते के माध्यम से आपसी विवादों को सुलझाना।
  - **नियंत्रण रेखा (LoC):** जम्मू और कश्मीर में LoC में 1971 की संघर्ष विराम रेखा को औपचारिक रूप दिया गया।
  - **संप्रभुता का सम्मान:** पारस्परिक गैर-हस्तक्षेप और क्षेत्रीय सम्मान।
  - **भविष्य की बैठकें:** शिखर-स्तरीय शांति वार्ता के लिए प्रावधान।

शिमला समझौते का महत्त्व

- **द्विपक्षीय ढांचा:** इसने कश्मीर समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के पाकिस्तान के प्रयासों का मुकाबला किया।
- **LoC को स्थिर करना:** इसने नियंत्रण रेखा को अंतर्राष्ट्रीय वैधता प्रदान की।
- **सहयोग की संभावनाएं:** करतारपुर कॉरिडोर, 2012 वीज़ा समझौता जैसे प्रयासों को संभव बनाया।
- **विश्वास निर्माण:** आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचते हुए संवाद को बढ़ावा दिया।

शिमला समझौते के निलंबन के निहितार्थ

- **सांकेतिक और राजनयिक प्रभाव:** मुख्यतः प्रतीकात्मक, क्योंकि यह समझौता बार-बार उल्लंघनों (जैसे पुलवामा 2019) के कारण व्यावहारिक प्रासंगिकता कम हो गई है।
- **LoC के लिए सामरिक निहितार्थ:** LoC को वास्तविक सीमा के रूप में मान्यता न देने से यथास्थिति को बदलने के प्रयास हो सकते हैं, जैसा कि कारगिल युद्ध में देखा गया था।
- **क्षेत्रीय स्थिरता:** परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों के बीच शांति को कमजोर कर सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण:** पाकिस्तान की अविश्वसनीयता संबंधी भारत के आरोपों को बल मिल सकता है।
- **भारत के लिए सामरिक लाभ:** भारत सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अधिक कठोर रुख अपना सकता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) पर अपने दावों पर नए सिरे से फैसला ले सकता है।

भारत और पाकिस्तान के बीच अन्य महत्वपूर्ण समझौते

- **नेहरू-लियाकत समझौता (1950):** यह दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **धार्मिक तीर्थस्थलों की यात्राओं पर द्विपक्षीय प्रोटोकॉल (1974):** यह सीमा पार धार्मिक यात्राओं की सुविधा प्रदान करता है।
- **परमाणु अनाक्रमण समझौता (1988):** इसके तहत दोनों देश प्रतिवर्ष 1 जनवरी को परमाणु सुविधा सूचियों का आदान-प्रदान करते है ।
- **मिसाइलपरीक्षण की पूर्व-सूचना पर समझौता (2005):** इसके तहत बैलिस्टिक मिसाइल के उड़ान परीक्षण की अग्रिम सूचना देनी होगी।
- **करतारपुर गलियारा समझौता (2019):** पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की वीजा-मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करता है।
- **अन्य:** हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की रोकथाम और सैन्य विमानों द्वारा ओवरफ्लाइट एवं लैंडिंग की अनुमति पर समझौता (1991) आदि।

निष्कर्ष

शिमला समझौता द्विपक्षवाद और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांतों ने स्थिरता के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य संबंधों को फिर से स्थापित करने, ऐतिहासिक शिकायतों को दूर करने और आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए मदद करना है।

2.4. भारत-चीन संबंधों के 75 वर्ष (75 YEARS OF INDIA-CHINA RELATIONS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन के राष्ट्रपति ने भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष के अवसर पर "ड्रैगन-एलिफेंट टैंगो" का प्रस्ताव रखा है।

अन्य संबंधित तथ्य:

- **"ड्रैगन-एलिफेंट टैंगो"** का उपयोग चीन और भारत के बीच शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों के विजन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है।
- **ड्रैगन चीन का प्रतिनिधित्व** करता है और **एलीफेंट (हाथी) भारत** का प्रतिनिधित्व करता है।

शांतिपूर्ण भारत-चीन संबंधों का महत्व

- **क्षेत्रीय शांति:** सीमा तनाव कम होंगे, विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि:** सामरिक तनाव को कम करके, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ेगा।
- **व्यापार और निवेश:** उदाहरण के लिए, **चीन सक्रिय फार्मास्युटिकल घटकों (APIs) की आपूर्ति करता है, तथा भारतीय स्टार्ट-अप्स में निवेश** करता है।
  - **चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार (118.4 बिलियन डॉलर)** भागीदार है।
- **संसाधनों तक पहुँच:** चीन भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए **सक्रिय फार्मास्युटिकल घटकों (APIs)** का मुख्य स्रोत है। साथ ही वह भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में बड़ा निवेशक भी है।
- **वैश्विक प्रभाव:** दोनों BRICS, SCO में सहयोग कर रहे है तथा WTO, IMF और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में सुधार के लिए दबाव बनाया जा सकता है।
- **वैश्विक चुनौतियों का सामना करना:** जलवायु परिवर्तन, लोक स्वास्थ्य और ऊर्जा मुद्दों पर संयुक्त कार्रवाई कर सकते है।

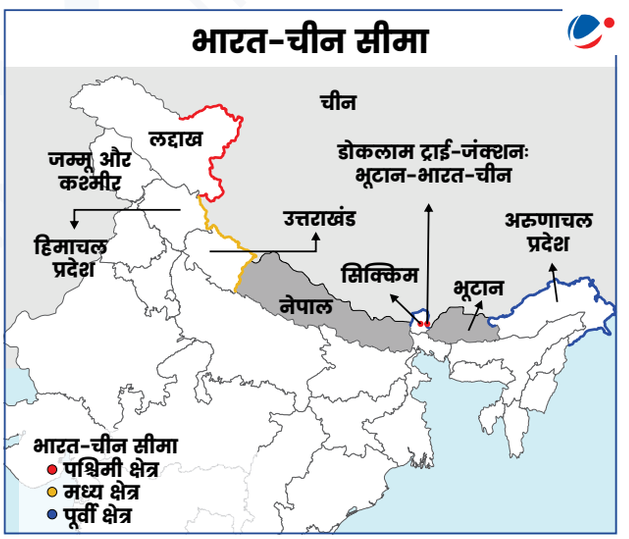

भारत-चीन संबंधों में मुख्य चिंताएं/ समस्याएं

- **सीमा-निर्धारण स्पष्ट नहीं होना:** भारत और चीन के बीच 3,488 किमी लंबी सीमा (LAC) अब तक स्पष्ट नहीं है, जिससे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण: **डोकलाम (2017), गलवान घाटी संघर्ष (2020)।**
- **व्यापार असंतुलन:** 2023-24 में **भारत का व्यापार घाटा चीन के साथ 85 बिलियन डॉलर** तक पहुंच गया।
  - भारत **चीन पर सेमीकंडक्टर, दवाओं में उपयोग होने वाले APIs** आदि के लिए निर्भर है।
- **चीन-पाकिस्तान गठजोड़:** भारत पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) से गुजरने वाले चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन मानता है।
- **आक्रामकता: स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स** जैसी रणनीतियों के माध्यम से चीन की मालदीव, श्रीलंका, दक्षिण चीन सागर में उपस्थिति।
- **जल शक्ति:** चीन का भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से बहने वाली नदियों पर नियंत्रण है। उसने **जांगमू, जियाचा जैसे बांध** बनाए हैं।

आगे की राह

- **राजनयिक संवाद बनाए रखना:** ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, G20 और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) का उपयोग संवाद के लिए किया जाना चाहिए।
- **एक-दूसरे का सम्मान करना:** सम्मान, संवेदनशीलता और हितों पर आधारित संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- **रणनीतिक संतुलन:** कूटनीतिक रूप से जुड़ते हुए संप्रभुता की रक्षा की जानी चाहिए।
- **जल संसाधन प्रबंधन:** दोनों देशों में बहने वाली नदियों के लिए हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने पर सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **विश्वास निर्माण उपाय (CBM):** सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का विस्तार किया जाना चाहिए।

स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति

- **चीन की रणनीति:** इसका उद्देश्य **ऊर्जा आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा करने और क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए IOR में वाणिज्यिक और सैन्य ठिकानों का निर्माण** करना है।
- **प्रमुख सैन्य ठिकान: पाकिस्तान (ग्वादर), श्रीलंका (हंबनटोटा), बांग्लादेश (चटगांव) और म्यांमार (सितवे और कोको द्वीप), और जिबूती में उसका एक सैन्य अड्डा भी है।**

भारत की "हीरों का हार(Necklace of Diamonds)" रणनीति

- यह एक बहुआयामी अप्रोच है जिसमें शामिल हैं:
  - **नौसैनिक अड्डों का विकास और पहुंच सुनिश्चित करना:** उदाहरण के लिए, चाबहार (ईरान), ओमान, चांगी नौसेना बेस (सिंगापुर)।
  - **क्षेत्रीय भागीदारी: एक्ट ईस्ट नीति, आसियान, क्वाड, आदि के माध्यम से संबंधों को मजबूत** करना।
  - **समुद्री दृष्टि:** क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के लिए **सागर/ SAGAR** और महासागर/ MAHASAGAR।

2.5. चीन द्वारा दुर्लभ भू-धातुओं के निर्यात पर नियंत्रण (China's Rare Earth Elements Export Control)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रशुल्क/ टैरिफ बढ़ाने के जवाब में **सात REEs और मैग्नेट्स के निर्यात पर प्रतिबंध** लगा दिया है।

दुर्लभ भू-धातु (REEs) क्या हैं?

- **दुर्लभ भू-धातु 'दुर्लभ' नहीं हैं:** यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, ये तत्त्व पृथ्वी की भूपर्पटी (क्रस्ट) में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि, इनकी सांद्रता कम होने की वजह से ये आर्थिक रूप से कम लाभकारी हैं।
- **18वीं–19वीं सदी में इन्हें "दुर्लभ भू-धातु"** कहा गया, क्योंकि ये चूना या मैग्नेशिया जैसे अन्य "भ-धातुओं" की तुलना में ये अपेक्षाकृत दुर्लभ थे।
- **IUPAC की परिभाषा (2005):** 17 धात्विक जिनमें उच्च घनत्व और उच्च चालकता जैसे समान गुण मौजूद हैं।
  - **इसमें शामिल हैं:** सेरियम (Ce), डिस्प्रोसियम (Dy), एर्बियम (Er), यूरोपियम (Eu), गैडोलीनियम (Gd), होल्मियम (Ho), लैंटानम (La), आदि।
- **स्रोत:** REEs के मुख्य स्रोत **बास्टनासाइट, लोपेराइट और मोनाजाइट** जैसी खनिजें हैं।

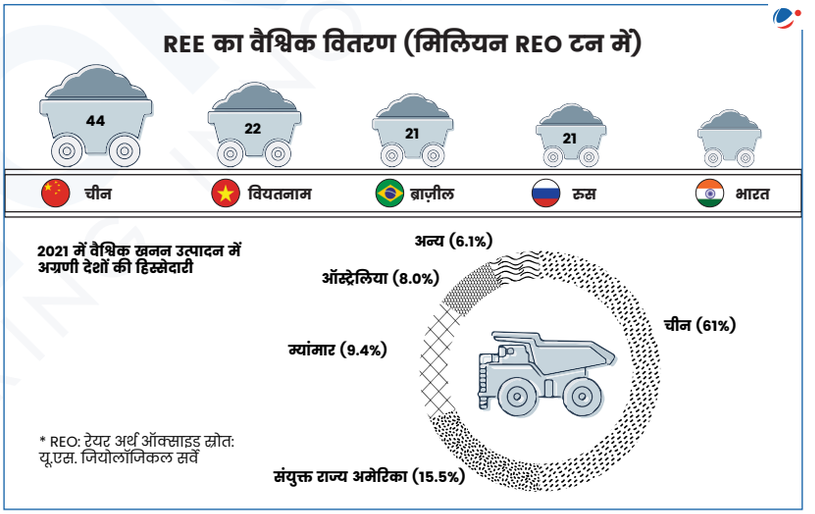

दुर्लभ भू-धातु (REEs) के हालिया निर्यात नियंत्रण का भू-रणनीतिक महत्व

- **टैरिफ युद्ध में बढ़त हासिल करना:** यह अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई है और चीनी सामानों के निर्यात में गिरावट के कारण चीन के उद्योग को नुकसान हो सकता है।
- **क्रिटिकल प्रौद्योगिकियों पर प्रभाव:** उदाहरण के लिए, यट्रियम और डिस्प्रोसियम रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और जेट इंजनों के लिए आवश्यक हैं। चीन के इस कदम से इन धातुओं की लागत बढ़ सकती है और तकनीकी इनोवेशन में देरी हो सकती है।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान:** अमेरिका, जापान, वियतनाम और जर्मनी जैसे प्रमुख आयातकों पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **REEs का सैन्यीकरण:** उदाहरण के लिए, 2010 में जापान के साथ इन धातुओं का निर्यात बंद किया और 2023-25 में गैलियम और जर्मेनियम पर निर्यात प्रतिबंध लगाए।
- **भू-रणनीतिक विकल्प:** देश रीशोरिंग (उत्पादन को वापस अपने देश में लाना) और फ्रेंड-शोरिंग (व्यवसाय साझा मूल्यों वाले देशों में माल का स्रोत या उत्पादन करना) का विकल्प चुन रहे हैं।
  - REEs के लिए चीन के विकल्प अफ्रीका (विशेष रूप से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और मलावी), दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हो सकते हैं।

REEs के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के वैश्विक प्रयास

- **2019 में क्रिटिकल मिनरल्स मैपिंग इनिशिएटिव (CMMI) की शुरुआत:** यह पहल REEs सहित खनिज मानचित्रण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने शुरू की।
- **क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की समिति:** इसे क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स के उचित प्रबंधन के लिए रोडमैप बनाने का कार्य सौंपा गया है।
- **मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP):** इसमें भारत भी शामिल है। यह तकनीक, रक्षा, ऊर्जा, उद्योग के लिए प्रमुख खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

REEs उत्पादन के लिए भारतीय पहलें

- **नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) (बजट 2024-25):** क्रिटिकल मिनरल्स की निरंतर आपूर्ति सुरक्षित करना है।
- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023:** निजी कंपनियों को REEs सहित क्रिटिकल मिनरल्स की खोज की नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी गई है।
- **द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग:** जैसे कि भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप की शुरुआत।
- **खोज संबंधी प्रयास**: परमाणु ऊर्जा विभाग ने राजस्थान के बालोतरा में इन-सीटू रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऑक्साइड (REO) का एक बड़ा भंडार खोजा है।

निष्कर्ष

चीन पर REEs की निर्भरता को कम करने के लिए रणनीतिक भंडार, घरेलू उत्पादन और रिफाइनिंग तकनीक की आवश्यकता है, जिसे गहरे समुद्र में खनन, रीसाइक्लिंग, नियामक सुधारों और निजी क्षेत्र के प्रोत्साहनों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

2.6. भारत-श्रीलंका संबंध (India – Sri Lanka Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के प्रधान मंत्री को श्रीलंका की राजकीय यात्रा के दौरान **श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार "मित्र विभूषण"** से सम्मानित किया गया।

यात्रा के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **रक्षा सहयोग:** समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए; श्रीलंका ने आश्वासन दिया कि उसकी भूमि का **उपयोग भारत के खिलाफ नहीं होने दिया** जाएगा।
- **ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग:** भारत–श्रीलंका–संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त रूप से **त्रिंकोमाली में** एक **एनर्जी हब** का विकास करेंगे।
- **अनुदान सहायता:** भारत ने त्रिंकोमाली में **थिरु कोणेश्वरम मंदिर,** नुवारा एलिया में **सीता एलिया मंदिर** और अनुराधापुरा में **सेक्रेड सिटी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट** के विकास के लिए अनुदान सहायता की घोषणा की।

भारत-श्रीलंका संबंधों का महत्त्व

दोनों देशों के लिए महत्त्व

- **वैश्विक सहयोग: ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए** श्रीलंका के आवेदन का भारत ने समर्थन किया। श्रीलंका ने UNSC में 2028-29 के कार्यकाल के लिए **अस्थायी सदस्यता** हेतु भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है।
- **समुद्री सुरक्षा: हिंद महासागर क्षेत्र (IOR)** में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए साझा प्रयास।
- **ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग:** इंटर-ग्रिड कनेक्टिविटी, LNG, पाइपलाइन, संपूर पावर प्रोजेक्ट पर वार्ता की।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** दोनों की राष्ट्रमंडल, IORA और बिम्सटेक में सक्रिय भूमिका।
- **सैन्य सहयोग:** संयुक्त अभ्यास - SLINEX (नौसेना अभ्यास) और मित्र शक्ति (थल सेना अभ्यास); मिलन (MILAN) में शामिल हुआ।

श्रीलंका के लिए महत्त्व	भारत के लिए महत्त्व
➲ **वित्तीय सहायता:** भारत ने 4 बिलियन डॉलर की सहायता (2022-23) प्रदान की; कांकेसंथुराई बंदरगाह के जीर्णोद्धार के लिए सहायता किया। ➲ **IMF बेलआउट पैकेज:** भारत से आश्वासन मिलने पर श्रीलंका को 2.9 बिलियन डॉलर का IMF पैकेज (2023) मिला। ➲ **आर्थिक महत्व:** भारत श्रीलंका का **सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक,** और **सबसे अधिक पर्यटक भेजने वाला देश** है। ➲ **अन्य:** मानवीय सहायता।	➲ **हिंद महासागर सुरक्षा: क्षेत्रीय समुद्री स्थिरता** के लिए श्रीलंका की अहम भूमिका है। ➲ **नीतिगत प्राथमिकता:** श्रीलंका, भारत की **'पड़ोस प्रथम' नीति** और **महासागर (MAHASAGAR)** सिद्धांत का केंद्रीय स्थान है। ➲ **भारतीय मूल के तमिल (IOTs):** लगभग **16 लाख IOTs** श्रीलंका के चाय बागानों और कोलंबो के व्यापारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं।

भारत-श्रीलंका संबंधों में बाधाएं

- **चीनी प्रभाव:** हंबनटोटा बंदरगाह जैसी **चीनी परियोजनाओं को लेकर रणनीतिक चिंताएँ।**
- **मछुआरों के बीच विवाद:** श्रीलंका **बॉटम ट्रॉलिंग** का विरोध करता है; साथ ही **कच्चातिवु द्वीप** को लेकर **सीमा विवाद** भी बना रहता है।
- **तमिल नृजातीय मुद्दा:** 13वें संशोधन (इंडो-लंका समझौते, 1987 के तहत लाया गया) में देरी से राजनीतिक तनाव पैदा होता है। इस समझौते का सिंहली राष्ट्रवादियों द्वारा विरोध किया जाता है, तथा तमिल समूहों द्वारा समर्थन किया जाता है।

आगे की राह

- **भारत की पाँच "S" की नीति: सम्मान** (Samman), **संवाद** (Samvad), **सहयोग** (Sahyog), **शांति** (Shanti); तथा **सार्वभौमिक समृद्धि** (Samriddhi) के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने की नीति पर चलना चाहिए।
- **रचनात्मक सहयोग:** मछुआरों के लिए **द्विपक्षीय तंत्र स्थापित** करना चाहिए; **संवाद के माध्यम से 13वें संशोधन को लागू करने की आवश्यकता** है।
- **सॉफ्ट पावर और संस्कृति:** तकनीक और प्रवासी समुदाय का उपयोग करके **बौद्ध सर्किट, रामायण ट्रेल के तहत धार्मिक पर्यटन को संयुक्त रूप** से बढ़ावा देना चाहिए।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक एकीकरण के लिए बिम्सटेक और IORA का उपयोग किया जाना चाहिए।

2.7. भारत-सऊदी अरब संबंध (India-Saudi Arabia Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के प्रधान मंत्री ने सऊदी अरब की यात्रा की।

यात्रा के मुख्य परिणाम

- **रणनीतिक भागीदारी परिषद (SPC):** द्वितीय SPC बैठक में रक्षा सहयोग और पर्यटन एवं सांस्कृतिक सहयोग पर समितियां गठित कीं।
  - **भारत, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन के बाद सऊदी अरब** के साथ ऐसी परिषद गठित करने वाला चौथा देश है।
- **निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स (HLTF):** इसका उद्देश्य ऊर्जा, तकनीक, अवसंरचना आदि में सऊदी अरब के 100 बिलियन डॉलर के निवेश को तेजी से आगे बढ़ाना है।
  - भारत में **दो रिफाइनरियां स्थापित करने पर सहमत** हुए हैं।

द्विपक्षीय संबंधों का महत्त्व

दोनों देशों के लिए महत्त्व

- **भारत-सऊदी अरब संबंध भारत की मध्य पूर्व नीति में बदलाव का परिचायक है:** पहले संबंध विप्रेषण (रेमिटेंस) और धार्मिक कूटनीति तक ही सीमित थे। अब निवेश, रणनीतिक वार्ता और रक्षा सहयोग तक विस्तारित हुए है।
  - उदाहरण के लिए, **हाइड्रोकार्बन ऊर्जा साझेदारी को व्यापक ऊर्जा साझेदारी** में बदल दिया गया है।
- **द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना:** राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित हुए; रियाद घोषणा-पत्र (2010) के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी में बदल (अपग्रेड) दिया गया।
  - **द्विपक्षीय रक्षा संबंध:** अल-मोहद-अल हिंदी (नौसैनिक अभ्यास), **सदा तनसीक** (थल सेना)
- **क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और व्यापार गलियारों में भागीदार:** उदाहरण के लिए, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS), और कंबाइंड मेरीटाइम फोर्स (CMF)।

भारत के लिए

- **ऊर्जा सुरक्षा:** 2023-24 में सऊदी अरब भारत के लिए कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का **तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता स्रोत** बना रहा।
- **व्यापार:** 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार **लगभग 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंच गया। सऊदी अरब **भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है।
- **निवेश:** लगभग 10 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया। 2019 में, इसने 100 बिलियन अमरीकी डॉलर और निवेश करने की योजना की घोषणा की थी।
- **लोगों के बीच आपसी और सांस्कृतिक संबंध:** कुल विप्रेषण का 6.7% (2024) सऊदी अरब से आया। भारत का हज कोटा (2025) बढ़ाया है।
- **सुरक्षा सहयोग:** जबीउद्दीन अंसारी (2008 मुंबई हमला) की गिरफ्तारी, अब्दुल सलाम (नकली मुद्रा रैकेट) के निर्वासन और ऑपरेशन कावेरी (संघर्ष प्रभावित सूडान से भारतीयों की निकासी) में मदद की।
- **उदारवादी इस्लाम के लिए समर्थन:** क्राउन प्रिंस के सुधारों से दक्षिण एशिया को प्रभावित करने वाली कट्टरपंथी विचारधाराओं पर अंकुश लगाने में मदद मिली, जहाँ 400 मिलियन भारतीय मुसलमान रहते हैं।

भारत-सऊदी अरब संबंधों में चुनौतियां

श्रम नीतियां: सऊदीकरण भारतीयों की नौकरी तक पहुँच को सीमित करता है।	**व्यापार घाटा:** भारत का घाटा लगभग 31.3 बिलियन डॉलर (वित्त वर्ष 2022-23) है।	**परियोजना में देरी:** 50 बिलियन डॉलर की वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना रुकी हुई है।	**FTA वार्ता:** भारत-GCC FTA 2004 से रुका हुआ है।	**भू-राजनीतिक मतभेद:** सऊदी-पाकिस्तान संबंध भारत के लिए चिंता का विषय है।	**भू-राजनीतिक विसंगतियां:** ईरान के साथ संबंध और सऊदी अरब का चीन की ओर झुकाव, रणनीतिक मतभेद पैदा करते हैं।

निष्कर्ष

भारत और सऊदी अरब के संबंध रक्षा, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्रों में प्रगाढ़ हो रहे हैं, जबकि दोनों देश जटिल चुनौतियों के बीच अपनी रणनीतिक साझेदारी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।

2.8. भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध (INDIA-UAE RELATIONS)

सुर्खियों में क्यों?

दुबई के क्राउन प्रिंस ने भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा की।

यात्रा के दौरान की गई प्रमुख घोषणाएं

- **इंडिया मार्ट और वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर (VTC):** यह द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा और **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC)** को आगे बढ़ाएगा।
  - भारत मार्ट **भारत की वेयरहाउसिंग फैसिलिटी** है।
- **शिप रिपेयर क्लस्टर (कोच्चि और वडीनार):** यह भारत के समुद्री क्षेत्रक के विकास में योगदान देगा।

दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय संबंधों का महत्व

- **बढ़ते राजनीतिक संबंध:** प्रधान मंत्री की 2015 की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद संबंधों को **व्यापक रणनीतिक साझेदारी** के रूप में अपग्रेड कर दिया गया।
- **रणनीतिक वैश्विक भागीदारी:** दोनों देश BRICS, I2U2 (भारत-इजराइल-UAE-संयुक्त राज्य अमेरिका) और UAE -फ्रांस-भारत (UFI) जैसे त्रिपक्षीय समूह में सक्रिय हैं।
- **क्षेत्रीय सहयोग में भूमिका का विस्तार:** दोनों देश **IMEEC** और **हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS)** से जुड़े हुए हैं।
  - **नौसेना संलग्नता और संयुक्त अभ्यास: डेजर्ट साइक्लोन** (भारत-UAE); तथा त्रिपक्षीय अभ्यास: **डेजर्ट नाइट** (भारत-फ्रांस-UAE) के माध्यम से दोनों देश समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत कर रहे हैं।

भारत के लिए

- **प्रमुख ऊर्जा साझेदार:** UAE भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा स्रोत और **LNG और LPG का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत** है। यह भारत को **रणनीतिक तेल भंडार** की सुविधा भी देता है।
- **मजबूत व्यापारिक संबंध: द्विपक्षीय व्यापार लगभग 85 बिलियन डॉलर (2022-23)** तक पहुंच गया। UAE, भारत का **तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया** है।
- **आर्थिक एकीकरण और निवेश:** UAE एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) (2022) और द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) (2023)** दोनों हैं।
  - 2000 से 2024 तक UAE भारत में **सातवां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक** रहा है।
- **लोगों से लोगों के बीच और सांस्कृतिक संबंध:** UAE में 3.5 मिलियन भारतीय रहते है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को कुल रेमिटेंस का 19.2% (लगभग 11.7 बिलियन डॉलर) UAE से प्राप्त हुआ था।
  - **सांस्कृतिक मील का पत्थर:** UAE में पहला हिंदू मंदिर **'BAPS मंदिर'** वास्तव में खाड़ी क्षेत्र में अपनी तरह का सबसे बड़ा मंदिर है।

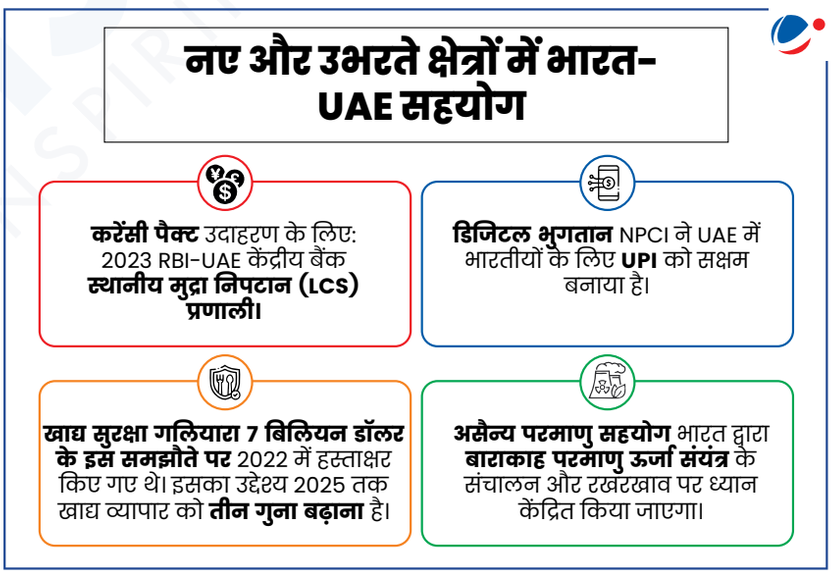

भारत-UAE संबंधों में मौजूद चुनौतियां

- **प्रवासन और श्रम संबंधी मुद्दे:** कफाला प्रणाली (स्पॉन्सरशिप-आधारित श्रम प्रणाली) श्रमिकों का शोषण करती है।
- **व्यापार असंतुलन:** वित्त वर्ष 2022 में, UAE के साथ भारत का व्यापार घाटा 16.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया था।
- **ऊर्जा मूल्य निर्धारण संघर्ष:** UAE का ओपेक सदस्य होने से उनकी नीतियां भारत की मूल्य निर्धारण आवश्यकताओं से मेल नहीं खाता है।
- **वायु सेवा समझौता विवाद:** भारत स्थानीय एयरलाइनों की आर्थिक सुरक्षा के लिए UAE की उड़ान विस्तार को सीमित करता है।
- **क्षेत्रीय संकट:** गाजा में युद्ध संकट और लाल सागर पर हमले ने IMEEC जैसी क्षेत्रीय परियोजनाओं को प्रभावित किया है।
- **भू-राजनीतिक टकराव:** भारत-ईरान संबंध बनाम UAE-चीन संबंध।

निष्कर्ष

भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी है, लेकिन निरंतर विकास के लिए भू-राजनीतिक संतुलन, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी चिंताओं और प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं से सावधानीपूर्वक निपटने की आवश्यकता है।

2.9. छठा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन (6th BIMSTEC Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

थाईलैंड की अध्यक्षता में बैंकॉक में छठा बिम्सटेक (BIMSTEC) शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ।

छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भारत के नेतृत्व में शुरू की गई महत्वपूर्ण पहलें

- **बोधि (मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित विकास के लिए बिम्सटेक):** इसका उद्देश्य पेशेवरों, छात्रों, शोधकर्ताओं आदि को प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति प्रदान करके युवाओं को कुशल बनाने का कार्यक्रम है।
- **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर:** भारत क्षेत्र में इसकी आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक **पायलट अध्ययन** आयोजित करेगा।

अन्य मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **बिम्सटेक बैंकॉक विजन 2030:** यह आर्थिक एकीकरण, कनेक्टिविटी और मानव सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए **समृद्ध, सक्षम और खुले या "प्रो बिम्सटेक"** के निर्माण के लिए पहला रणनीतिक विज़न तैयार किया गया है।
- **समुद्री परिवहन सहयोग समझौता:** इस पर क्षेत्रीय समुद्री संपर्क बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए गए।

बिम्सटेक (BIMSTEC) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसकी स्थापना 1997 में **बैंकॉक घोषणा-पत्र** पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। शुरुआत में इसे BIST-EC (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड) नाम दिया गया था।
- **सचिवालय:** ढाका, बांग्लादेश
- **उद्देश्य:** बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना।
- **7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र/ स्तंभ (प्रत्येक का नेतृत्व 1 सदस्य देश द्वारा किया जाता है):** उदाहरण के लिए- भारत सुरक्षा स्तंभ के लिए नेतृत्वकर्ता देश है।

बिम्सटेक भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में कैसे मदद कर सकता है?

- **सार्क (SAARC) का विकल्प:** बिम्सटेक में पाकिस्तान शामिल नहीं है, जिससे भारत को क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक अधिक कार्यात्मक मंच मिल गया है।
- **भारत की विदेश नीति के साथ संरेखित:** यह भारत की एक्ट ईस्ट, नेबरहुड फर्स्ट, इंडो-पैसिफिक और क्वाड जैसे लक्ष्यों को सहयोग प्रदान करती हैं।
- **रणनीतिक सेतु:** थाईलैंड और म्यांमार जैसे देशों के माध्यम से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ेगा।
- **नीली अर्थव्यवस्था और समुद्री सुरक्षा:** बंगाल की खाड़ी, समुद्री डकैती विरोधी अभियानों, आपदा प्रबंधन में मदद करता है। यह **सागर/ SAGAR** और **महासागर/ MAHASAGAR** विज़न के साथ भी प्रभावी रूप से संरेखित है।
- **दक्षिण एशियाई एकीकरण: बिम्सटेक मास्टर प्लान के माध्यम** से कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

बिम्सटेक के साथ मुद्दे

- **धीमी प्रगति:** चार्टर को 27 वर्षों बाद लागू किया गया। पिछले 27 वर्षों में केवल 6 शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं।
- **भू-राजनीतिक चुनौतियां:** भारत और भूटान को छोड़कर सभी बिम्सटेक सदस्य देश BRI परियोजनाओं का हिस्सा हैं।
- **कम अंतर-क्षेत्रीय व्यापार:** BIMSTEC देशों के बीच कुल व्यापार का लगभग 6-7% व्यापार होता है।
  - **2004** में शुरू किया गया **बिम्सटेक FTA कई वार्ताओं के बावजूद लागू नहीं** हो पाया है।
- **अवसंरचना और कनेक्टिविटी में अंतर:** भारत-म्यांमार-थाईलैंड (IMT) त्रिपक्षीय राजमार्ग और बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता लागू होने में काफी देरी हो रही है।
- **राजनीतिक अस्थिरता:** उदाहरण के लिए म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका में आंतरिक राजनितिक संकट।
- **तनावपूर्ण सदस्य संबंध:** बांग्लादेश-म्यांमार (रोहिंग्या) और भारत-नेपाल सीमा जैसे मुद्दे भी सहयोग को प्रभावित करते हैं।

निष्कर्ष

सार्क के विपरीत, बिम्सटेक भारत के क्षेत्रीय लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यावहारिक मंच के रूप में कार्य करता है।

2.10. भारतीय प्रवासी (INDIAN DIASPORA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विदेश मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति (2024-25) ने विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों पर रिपोर्ट जारी की।

भारतीय प्रवासियों के बारे में

- **परिभाषा:** भारतीय मूल के वे लोग जो दीर्घकालिक वीज़ा पर पर या कई पीढ़ियों पहले से विदेश में रह रहे है।
- **भारतीय प्रवासियों में शामिल हैं:**
  - **भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO):** ऐसा व्यक्ति जो या जिसके पूर्वजों में से कोई भारतीय नागरिक था और जो वर्तमान में किसी अन्य देश की नागरिकता/ राष्ट्रीयता रखता है यानी उसके पास विदेशी पासपोर्ट है।
  - **प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI):** नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7A के तहत OCIs कार्डधारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति। **2015 में** PIO और OCI कार्डधारकों को एक श्रेणी OCI के तहत विलय कर दिया गया था।
  - **अनिवासी भारतीय (NRI):** एक भारतीय नागरिक जो भारत से बाहर रहता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है।
- **वर्तमान स्थिति:** जनवरी 2024 तक, 35.42 मिलियन (15.85 मिलियन NRIs और 19.57 मिलियन PIOs और OCIs)
- **भौगोलिक वितरण:** USA, UK, कनाडा, खाड़ी देश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया और कैरिबियन द्वीप समूह में संख्या अधिक है।

भारतीय प्रवासियों का महत्त्व और योगदान				
विप्रेषण: भारत शीर्ष वैश्विक प्राप्तकर्ता देश; 118.7 बिलियन अमरीकी डॉलर (2023-24)	व्यापार और निवेश: प्रमुख FDI योगदानकर्ता, उद्यमिता का समर्थन करता है	प्रौद्योगिकी, ज्ञान और कौशल हस्तांतरण: IT, चिकित्सा, वित्त, शिक्षा में कुशल	सॉफ्ट डिप्लोमेसी: भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देता है - योग, फ़िल्में, त्यौहार, व्यंजन	**मेजबान देशों के लिए महत्व:** उदाहरण के लिए, UK की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में अधिकांश डॉक्टर भारतीय मूल के हैं

समिति द्वारा उजागर की गई भारतीय प्रवासियों से संबंधित प्रमुख चिंताएं

- **सीमित मताधिकार:** NRIs को वोट डालने के लिए स्वयं उपस्थित होना पड़ता है, इसी कारण मतदान प्रतिशत बहुत कम रहता है।
- **कैदियों का प्रत्यर्पण:** समझौते होने के बावजूद, पिछले 3 वर्षों में केवल 8 भारतीय कैदियों को ही विदेशों से भारत लाया गया है।
- **नौकरी रैकेट में फंसे पेशेवर:** भारतीय नागरिकों को दक्षिण-पूर्व एशिया (जैसे कंबोडिया, म्यांमार) में साइबर अपराध करने के लिए फर्जी नौकरी भर्ती दिखा कर ले जाया जा रहा है।
- **प्रवासियों का पुनः** एकीकरण: वर्ष 2019–24 के बीच 5.95 लाख लोग आर्थिक संकट आदि के कारण लौटे आए हैं। इनके पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति नहीं है।
- **भारतीय छात्रों की सुरक्षा:** वर्ष 2018–24 के दौरान विदेशों में 403 भारतीय छात्रों की मृत्यु मुख्यतः दुर्घटना, बीमारी आदि कारणों से हुई।

प्रवासी भारतीयों के लिए भारत द्वारा की गई पहलें

- **भारत को जानो कार्यक्रम (KIP), 2003:** इसकी शुरुआत PIO युवाओं (21-35 वर्ष) को आधुनिक भारत से परिचित कराने के लिए की गई है।
- **ज्ञान साझाकरण कार्यक्रम:** उदाहरण के लिए- विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च (वज्र/ VAJRA)) फैकल्टी स्कीम, प्रवासी भारतीय एकेडमिक एंड साइंटिफिक संपर्क (प्रभास/ PRABHASS), वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (वैभव/ VAIBHAV) फेलोशिप कार्यक्रम आदि।
- **प्रवासी भारतीय दिवस (PBD), 2003:** 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी दिन को सम्मानित करने के लिए 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हुई थी।
- **भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF), 2009:** इसका संचालन 17 इमीग्रेशन क्लीयरेंस रिक्वायर्ड (ECR) देशों एवं मालदीव में स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से किया जाता है।
- **अन्य:** प्रवासी भारतीय बीमा योजना (PBBY), आदि।

आगे की राह: समिति की सिफारिशें

- **NRIs को वोटिंग अधिकार:** उन्हें ETPBS (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम) के माध्यम से दूरस्थ मतदान की सुविधा दी जाए।
- **कैदियों का स्थानांतरण:** कैदियों की सुगम वापसी की सुविधा के लिए मौजूदा समझौतों में संशोधन करना चाहिए या नए समझौते करने चाहिए।
- **पेशेवरों को नौकरी रैकेट से बचाना:** HRD/ MEA-प्रमाणित प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता होनी चाहिए। सत्यापित प्लेटफॉर्म्स (जैसे, ग्लासडोर, लिंक्डइन) का उपयोग किया जाना चाहिए।
- **वापस लौटे प्रवासियों का एकीकरण:** प्रवासियों हेतु पुनः एकीकरण योजनाओं के लिए केरल मॉडल को अपनाया जाना चाहिए।
- **विदेश में छात्रों की सुरक्षा:** संघर्ष ग्रस्त क्षेत्रों में भारतीय छात्रों की सुरक्षा के लिए नीतिगत ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है।
- **उत्प्रवास विधेयक, 2024:** पुराने उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में संशोधन किया जाना चाहिए।
  - साथ ही, उत्प्रवास विधेयक में छात्र प्रवासन का समाधान करने की भी सिफारिश की है।

2.11. संक्षिप्त सुर्ख़ियां

2.11.1. सार्क वीज़ा-छूट योजना (SAARC Visa Exemption Scheme: SVES)

भारत सरकार ने घोषणा की है कि **पाकिस्तान के नागरिक अब सार्क वीज़ा छूट योजना (SVES) के अंतर्गत भारत की यात्रा नहीं** कर सकेंगे।

SVES के बारे में

- **शुरुआत:** यह योजना **1992** में शुरू की गई थी। **1988 में इस्लामाबाद** में आयोजित **चौथे सार्क शिखर सम्मेलन में इस वीज़ा की शुरुआत** के बारे में निर्णय लिया गया था।
- **उद्देश्य:** सार्क सदस्य देशों के बीच जनसंपर्क को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना।

2.11.2. ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की 2025 की बैठक में एक घोषणा-पत्र अपनाया गया (BRICS LABOUR & EMPLOYMENT MINISTER'S MEET 2025 ADOPTS DECLARATION)

घोषणा-पत्र में दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है: **"आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एंड द फ्यूचर ऑफ़ वर्क"** तथा **"द इम्पैक्ट ऑफ़ क्लाइमेट चेंज ऑन द वर्ल्ड ऑफ़ वर्क एंड ए जस्ट ट्रांजीशन।"**

घोषणा-पत्र की मुख्य विशेषताएं

- ILO ने श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इसका समर्थन किया है।
- मुख्य प्रतिबद्धताएं:
  - **श्रमिक सुरक्षा के साथ समावेशी AI नीतियों** को बढ़ावा देंगे;
  - **न्यायसंगत जलवायु संक्रमण** सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संवाद को प्रोत्साहित करेंगे।
  - लेबर गवर्नेंस, डिजिटल समावेशन और हरित नौकरियों के सृजन में **दक्षिण-दक्षिण सहयोग** को मजबूत करेंगे।

श्रमिकों के लिए घोषणा-पत्र का महत्व

- **गरिमापूर्ण कार्य के लिए AI का उपयोग:** सामाजिक संवाद के माध्यम से श्रमिकों की आवाज़ को सुनना सुनिश्चित करेगा; दक्षिण-दक्षिण सहयोग (ILO) के माध्यम से अधिकार-आधारित AI के उपयोग को बढ़ावा देगा।
- **जस्ट ट्रांजीशन:** 1.2 बिलियन आजीविका खतरे में है और 2.4 बिलियन गर्मी से प्रभावित श्रमिकों के लिए खतरों के बीच हरित नौकरियों पर ध्यान केंद्रित सुनिश्चित करेगा।
- **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा:** सामाजिक सुरक्षा के अंतर को समाप्त करना, खासकर **प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स** के लिए; वर्तमान में **83% श्रमिकों को मूल सामाजिक सुरक्षा नहीं** मिली है।
- **सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन:** ILO के **वैश्विक सामाजिक न्याय गठबंधन** के तहत मार्गदर्शन, अनुसंधान और तकनीकी सहायता के माध्यम से इस लक्ष्य को समर्थन।

2.11.3. आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (ASEAN-INDIA TRADE IN GOODS AGREEMENT: AITIGA)

भारत ने AITIGA पर **संयुक्त समिति की 8वीं बैठक** की मेजबानी की।

AITIGA के बारे में

- **उत्पत्ति: AITIGA पर 2009 में हस्ताक्षर** किए गए थे और यह **2010 में लागू** हुआ था।
- **अधिदेश:** प्रत्येक पक्ष को **GATT, 1994 के अनुसार दूसरे पक्षों की वस्तुओं को नेशनल ट्रीटमेंट** प्रदान करना होगा।
- **व्यापार:** भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार **121 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2023-24)** तक पहुंच गया है।
  - **भारत के वैश्विक व्यापार** में आसियान की हिस्सेदारी लगभग **11%** है।

2.11.4. प्रत्यर्पण (EXTRADITION)

26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया।

प्रत्यर्पण

- **यू.एन. ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC)** के अनुसार, **प्रत्यर्पण का अर्थ** है किसी ऐसे व्यक्ति का आत्मसमर्पण करना जिसे अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा प्रत्यर्पण योग्य अपराध के लिए आपराधिक अभियोजन के लिए मांगा जाता है।
- **प्रत्यर्पण योग्य अपराध में शामिल हैं**
  - **प्रत्यर्पण संधि में उल्लिखित अपराध, या**
  - किसी भी देश में कम-से-कम 1 वर्ष की सजा का प्रावधान (संधि नहीं हुई है तो)**प्रत्यर्पण के लिए फ्रेमवर्क क्या है?**
- **भारत में**
  - **प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1993 में संशोधित)**
    - **विदेश मंत्रालय नोडल प्राधिकरण है।**
    - भारत ने अमेरिका और बांग्लादेश सहित 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां की हैं।
  - निर्णय लेने की अंतिम शक्ति भारत सरकार के पास है; उच्च न्यायालयों में अपील की जा सकती है।
- **विश्व स्तर पर: प्रत्यर्पण पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल संधि (1990), प्रत्यर्पण पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल कानून (2004), अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (2000),** आदि।

प्रत्यर्पण कानून में चुनौतियां

- **डबल क्रिमिनैलिटी सिद्धांत का दुरुपयोग:** अपराधी ऐसे देशों में भाग जाते हैं जहां यह कृत्य अपराध नहीं है।
- **लंबी प्रक्रिया:** व्यापक दस्तावेज़ीकरण और लालफीताशाही के कारण देरी होती है।
- **कम देशों के साथ संधियां:** केवल 48 देशों ने भारत के साथ प्रत्यर्पण संधियां की हैं।

प्रत्यर्पण संबंधी सिद्धांत

पारस्परिकता
यह सिद्धांत देशों के बीच **आपसी सहयोग को बढ़ावा** देता है, ताकि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया सुगम हो सके।

डबल क्रिमिनैलिटी
प्रत्यर्पण तभी संभव है जब वह कृत्य दोनों देशों में अपराध माना जाता हो।

दोहरी सजा का निषेध
यदि किसी अपराध के लिए पहले ही सजा मिल | चुकी है, तो उस अपराध के लिए प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता।

विशिष्टता
प्रत्यर्पित व्यक्ति पर केवल उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसके लिए प्रत्यर्पण किया गया है।

निष्पक्ष सुनवाई
यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि प्रत्यर्पित व्यक्ति को न्यायसंगत और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का अवसर मिले।

2.11.5. भारत-थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी (INDIA-THAILAND STRATEGIC PARTNERSHIP)

भारत-थाईलैंड ने रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने की दिशा में संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए।

भारत-थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी का महत्त्व

- **पारस्परिक रूप से लाभकारी लक्ष्य:** इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और **आसियान की केंद्रीयता** में साझा हित।
- **रणनीतिक अवस्थिति:** थाईलैंड भारत का समुद्री पड़ोसी है जो **क्षेत्रीय शांति** सुनिश्चित करने में सहायक है।
- **पूरक नीतियां:** भारत की एक्ट ईस्ट नीति और थाईलैंड की एक्ट वेस्ट नीति एक दूसरे की पूरक है।
- **क्षेत्रीय समूह:** थाईलैंड आसियान, बिम्सटेक आदि में भागीदार है।

अन्य प्रमुख समझौते हस्ताक्षरित

- **क्षेत्रीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन:** लोथल में **राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC)** और **पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास (MDoNER)** पर सहयोग।
- **व्यापार सुविधा:** स्थानीय मुद्रा आधारित निपटान तंत्र की स्थापना।

भारत-थाईलैंड संबंधों का अवलोकन

राजनयिक:
भारत और थाईलैंड के बीच राजनयिक **संबंध वर्ष 1947** से स्थापित हुए थे।

आर्थिक:
वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार **लगभग 15 बिलियन डॉलर** तक पहुंच गया था।

रक्षा:
अभ्यास मैत्री, इंडो-थाई कॉर्पेट आदि।

2.11.6. भारत ने महाद्वीपीय मग्न-तट पर अपने दावे को बढ़ाया (INDIA'S EXTENDED CONTINENTAL SHELF CLAIM)

भारत ने अपने **"विस्तारित महाद्वीपीय मग्न-तट** के तहत **मध्य अरब सागर जलक्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर** तक अपने दावे को बढ़ा दिया है और पाकिस्तान के साथ समुद्री सीमा को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद से बचने के लिए **अपने पहले के दावे में भी संशोधन** किया है।

समुद्री सीमा पर विवाद के बारे में

- **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ):** इसके तहत समुद्र तट से **200 समुद्री मील** तक भारत को **खनन और मछली पकड़ने के विशेष अधिकार** होते हैं। यह पूरा क्षेत्र **विस्तारित महाद्वीपीय मग्न-तट का हिस्सा** माना जाता है।
- **भारत का दावा:**
  - भारत ने **2009 में** संयुक्त राष्ट्र की **महाद्वीपीय सीमा आयोग (CLCS)** के समक्ष अपना **पहला दावा** प्रस्तुत किया था।
  - **2021 में, पाकिस्तान ने सर क्रीक विवाद का हवाला देते हुए आपत्ति जताई।**
  - **मार्च 2023 में CLCS ने भारत के पूरे दावे को अस्वीकार कर दिया था**, लेकिन 'संशोधित दावे' प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी।

सर क्रीक के बारे में

- **विवादित क्षेत्र: अरब सागर** में स्थित एक **96 कि.मी. लंबा विवादित ज्वारनदमुख है,** जो **पाकिस्तान के सिंध प्रांत को भारत के गुजरात के कच्छ क्षेत्र** से अलग करता है।
- **भारत का रुख (1947):** भारत चाहता था कि इसे **थालवेग सिद्धांत** के अनुसार सुलझाया जाए। इसके अनुसार यदि राष्ट्रों की सीमाएं जलमार्ग में स्थित हैं तो फिर सीमा केवल नौगम्य जल-क्षेत्र के मध्य में निर्धारित की जानी चाहिए।
- **पाकिस्तान का रुख:** दावा है कि **सर क्रीक नौगम्य नहीं** है, इसलिए थालवेग सिद्धांत लागू नहीं हो सकता।

महाद्वीपीय मग्न-तट की सीमाओं पर आयोग (commission on the Limits of the Continental Shelf: CLCS)

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS)** को लागू करने में सहायता करना है। यह विशेष रूप से **'बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील' से आगे महाद्वीपीय मग्न-तट की बाह्य सीमा के निर्धारण में मदद** करता है।
- **बैठक:** न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के **मुख्यालय** में बैठक आयोजित होती है।
- **सदस्य:** 21 सदस्य (कन्वेंशन के पक्षकार देशों द्वारा निर्वाचित)।
- **आयोग की सिफारिशों का स्वरूप :** इसका निर्णय **अंतिम और तटीय देशों पर बाध्यकारी** होता है।
- **सचिवालय :** संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा प्रदान किया गया है।

2.11.7. बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी (TRANSSHIPMENT FACILITY FOR BANGLADESH)

भारत ने 2020 के उस समझौते को रद्द कर दिया जिसमें बांग्लादेश को तीसरे देशों के साथ व्यापार के लिए भारतीय भूमि पर स्थित सीमा शुल्क स्टेशंस के माध्यम से निर्यात की अनुमति दी गई थी।

- भारत ने समझौते को रद्द करने का कारण **बंदरगाह/ हवाई अड्डे की भीड़भाड़ है, जिससे भारत के अपने निर्यात कार्यों पर प्रभाव पड़** रहा है।
- यह कदम ऐसे समय में आया है जब **भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव** है और बांग्लादेश ने भारत की हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में **नेट सुरक्षा प्रदाता** की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।

IOR में नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका

- **भू-रणनीतिक:** हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की केंद्रीय स्थिति; **लगभग 7,500 किलोमीटर की तटरेखा;** और मलक्का जलडमरूमध्य, बाब अल-मंदेब जैसे **प्रमुख चोकपॉइंट्स** से भारत की निकटता; आदि इसे IOR में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते है।
- **समुद्री सुरक्षा:** भारत एंटी-पायरेसी और तस्करी-रोधी अभियान संचालित करता है। इससे समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- **विकास और HADR:** क्षेत्र में पहला मददगार देश-सुनामी (2004), **मालदीव जल संकट, श्रीलंका आर्थिक सहायता (2022) आदि**।

IOR में भारत की स्थिति के लिए चुनौतियां

- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** उदाहरण के लिए, स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स रणनीति
- **क्षेत्रीय अस्थिरता:** उदाहरण के लिए, बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति
- **गैर-पारंपरिक खतरे:** गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल की निकटता।

2.11.8. हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप (HEARD AND MCDONALD ISLAND)

अमेरिकी राष्ट्रपति ने हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप सहित कई अमेरिकी व्यापार भागीदारों पर 10% टैरिफ की घोषणा की।

द्वीपों के बारे में

- यह **दक्षिणी महासागर में निर्जन उप-अंटार्कटिक द्वीप** है।
- यह **ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रशासित** है।
- केवल **ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय उप-अंटार्कटिक द्वीप - भू-आकृति और हिमनद प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण** है।
- **ये द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के रूप** में शामिल है।

2.11.9. मोराग एक्सिस (MORAG AXIS)

इजरायल ने मोराग एक्सिस के नाम से विख्यात एक नए सिक्योरिटी कॉरिडोर को अपने अधीन कर लिया।

मोराग एक्सिस बारे में

- यह क्षेत्र **खान यूनिस और राफा** के बीच स्थित है। यह मुख्यतः कृषि भूमि है, जो गाजा पट्टी में पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है।
- **"मोराग"** नाम एक **अवैध इजरायली बस्ती** को संदर्भित करता है, जो **1972 और 2005** के बीच इस क्षेत्र में स्थापित की गई थी।

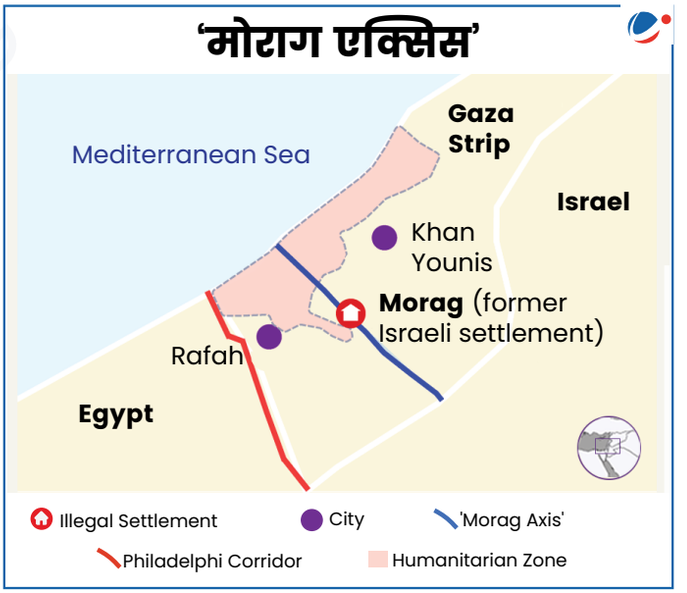

3.1. डीप टेक के लिए इनोवेशन इकोसिस्टम (INNOVATION ECOSYSTEM FOR DEEP TECH)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भारतीय स्टार्टअप्स से आग्रह किया कि वे डीप टेक इनोवेशन पर अधिक ध्यान केंद्रित करें।

डीप टेक स्टार्टअप के बारे में

- यह **एडवांस वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताओं** पर आधारित इनोवेशन है जो मौजूदा **एडवांस तकनीकों का उपयोग करके जटिल समस्याओं के नए समाधान** विकसित करते हैं, या फिर **मूलभूत विज्ञान और इंजीनियरिंग सिद्धांतों पर आधारित और भी अधिक एडवांस्ड तकनीकों का आविष्कार** करते हैं।

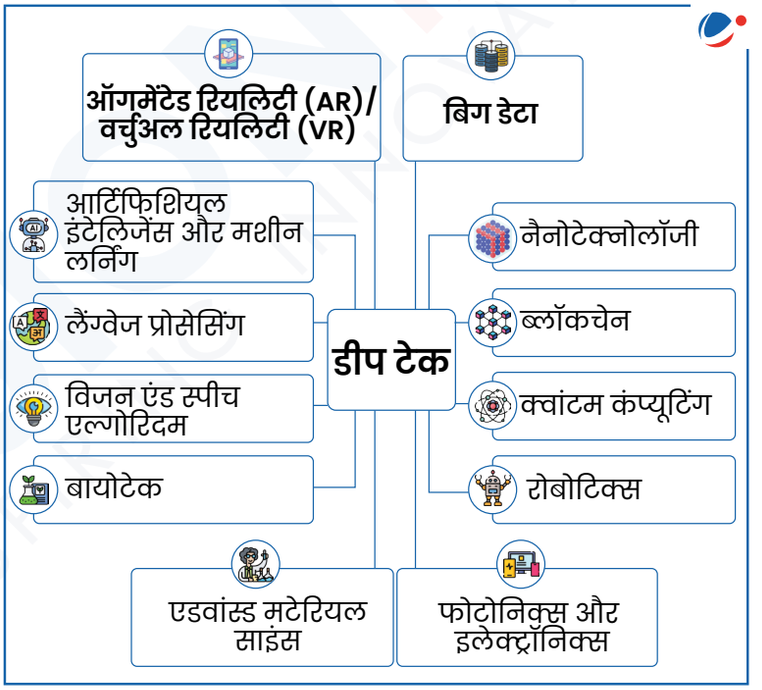

भारत में डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में

- **संख्या:** उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अनुमान के अनुसार, वर्तमान में भारत में 4,000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स कार्यरत हैं तथा अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या 10,000 तक पहुंच जाएगी।
- **विश्व में भारत की स्थिति:** तीसरी सर्वाधिक संख्या होने के बावजूद, भारत **दुनिया में छठे स्थान पर था।**
- **फंडिंग:** डीप-टेक स्टार्टअप्स ने 2024 में 1.6 बिलियन डॉलर आकर्षित किए, जो पिछले साल की तुलना में 78 प्रतिशत की वृद्धि है।
- **उदाहरण:** अग्निकुल द्वारा **3D-प्रिंटेड रॉकेट इंजन,** इम्यूनोएक्ट **कैंसर के इलाज के लिए स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी, आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी** एडवांस्ड UAV।

भारत में डीप टेक स्टार्टअप्स क्यों पिछड़ रहे हैं?

- **संस्थाओं से समर्थन प्राप्ति में कमी:** सरकार द्वारा वित्त पोषित छह R&D संगठनों में से केवल एक ही डीप टेक स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करता है।
- **लगातार फंडिंग की कमी और** निवेश पर त्वरित लाभ की अपेक्षा।
- **लाभकारी बनने में अधिक समय लेना** और जोखिम अधिक होना।
- **भारत में उपभोक्ता सेवा आधारित स्टार्टअप पर अधिक बल**
- डीप टेक क्षेत्र के लिए विनियमन को लेकर **स्पष्ट और सर्वमान्य दृष्टिकोण का अभाव**।
- **शिक्षा एवं अनुसंधान संबंधी अवसंरचना:** कमजोर।
- **शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग जगत के बीच समन्वय की कमी:** विकास पर नकारात्मक प्रभाव।

भारत के डीप टेक इकोसिस्टम के लिए पहलें

- **डीप टेक फंड ऑफ फंड्स** (केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित)
- **ड्राफ्ट राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्ट-अप नीति**
- **अदिति योजना:** क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुदान।
- **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन:** वैज्ञानिक उपकरण एवं सुविधाओं तक पहुंच।

- **थीमेटिक मिशन:** ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति, ऐरावत, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, इंडियाAI मिशन, आदि।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** USA के साथ iCET, जापान के साथ 'रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन' और क्वाड सदस्यों द्वारा 'QUIN'

आगे की राह

- **स्पिनआउट की सुविधा:** विश्वविद्यालय के भीतर अकादमिक अनुसंधान के आधार पर गठित कंपनियां।
- प्रमुख क्षेत्रों में **इनोवेशन क्लस्टर्स को मजबूत करना** और समर्पित R&D सुविधाएं स्थापित करना
- **निवेश-अनुकूल व्यवस्था को बढ़ावा देना:** वेंचर कैपिटलिस्ट (VCs) के साथ सह-निवेश कार्यक्रम, सरकार समर्थित उपायों को बढ़ावा देना और वेंचर कैपिटल निवेश से जुड़े नियमों को आसान बनाना चाहिए।
- अनुदान और **रेगुलेटरी सैंडबॉक्स** की सुविधा के रूप में R&D **के लिए नीतिगत प्रोत्साहन देना**।
- **नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी (NDTSP) को लागू करना और निगरानी करना**।

3.2. इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ELECTRONICS COMPONENT MANUFACTURING SCHEME: ECMS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

MeiTY ने **इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना** को अधिसूचित किया।

इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ECMS) के बारे में

- **मंत्रालय:** केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY)
- **उद्देश्य:** इलेक्ट्रॉनिक घटकों (कंपोनेंट्स) के विनिर्माण के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना, **ग्लोबल वैल्यू चेन** के साथ एकीकृत करना।
- **लक्षित सेग्मेंट्स: सब-असेंबली** (जैसे- डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल), **बेयर कंपोनेंट** (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, आदि), **और पूंजीगत उपकरण**
- **अलग-अलग सेग्मेंट्स के लिए प्रस्तावित राजकोषीय प्रोत्साहन के प्रकार:** सब-असेंबली के लिए टर्नओवर के आधार पर, कैपेक्स या पूंजीगत व्यय के आधार पर, चुनिंदा कंपोनेंट्स के लिए हाइब्रिड प्रोत्साहन।
- **योजना अवधि: टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन**- 6 वर्षों के लिए; **कैपेक्स प्रोत्साहन**-5 वर्ष तक।
- **पात्रता:** ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड, दोनों प्रकार की परियोजनाओं में निवेश की अनुमति।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: MeitY** द्वारा **परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)** के माध्यम से।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटक क्षेत्रक का महत्व

- **आर्थिक क्षमता:** सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले क्षेत्रकों में शामिल। **वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24** के बीच देश में **इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन में पांच गुना वृद्धि** दर्ज।
- **निर्यात वृद्धि:** इस क्षेत्रक ने **वित्त वर्ष 2024** में भारत के कुल निर्यात में **29.12 बिलियन डॉलर** का योगदान दिया; 20% से अधिक की चक्रवृद्धि औसत वृद्धि दर।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा: भारत-USA संयुक्त सहयोग** के तहत भारत का पहला **राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फेब्रिकेशन प्लांट से आयात पर निर्भरता कम होगी।**
- **उद्योगों में तकनीकी इनोवेशन को बढ़ावा:** 5G प्रौद्योगिकी से रिमोट-सर्जरी और ऑटोनोमस वाहनों को बढ़ावा मिल रहा है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटक क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

- **विनिर्माण की उच्च लागत:** कई तरह के टैरिफ स्लैब एवं सरचार्ज, कच्चे माल और लॉजिस्टिक्स की उच्च लागत जैसे कारक भारत में विनिर्मित उत्पादों को विश्व के बाजारों में महंगा बना देते हैं (चीन की तुलना में विनिर्माण सामग्री पर **4% से 5% तक की प्रतिस्पर्धात्मक हानि)**
- **R&D तथा डिजाइन के लिए अनुकूल माहौल का अभाव:** भारत **अपनी GDP का 1% से भी कम खर्च करता** है जो इनोवेशन को हतोत्साहित करता है।
- **वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की मांग में भारत की कम हिस्सेदारी**।
- **क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर बहुत अधिक निर्भरता की वजह से** क्रिटिकल मिनरल्स की निरंतर आपूर्ति पर हमेशा खतरा बना रहता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विनिर्माण के लिए अनुकूल माहौल की कमी: अधिक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स)** की जरूरत और **निवेश पर कम टर्नओवर प्राप्त होना।**
- आवश्यक प्रौद्योगिकियों और कौशल का अभाव जिसकी वजह से अन्य देशों से **प्रौद्योगिकी प्राप्त होने का इंतजार करना पड़ता** है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक के व्यापक विकास हेतु सरकारी योजनाएं

- मेक इन इंडिया (2014)
- चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) (2017): मोबाइल डिवाइस के उत्पादन को प्रोत्साहित करना
- उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना (2020): वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन
- SPECS: पूंजीगत व्यय पर प्रोत्साहन
- सेमीकॉन इंडिया (2021): सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का विकास करना
- इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (2021)

आगे की राह

(नीति आयोग की एक रिपोर्ट "इलेक्ट्रॉनिक्स: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना" के अनुसार)

- **राजकोषीय उपाय:**
  - **इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के विनिर्माण के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन: ओपेक्स/Opex (ऑपरेटिंग व्यय) में मदद करना-पूंजीगत व्यय में सहायता और अधिक जटिल कंपोनेंट्स के विनिर्माण में हाइब्रिड सपोर्ट।**
  - भारतीय कंपनियों के SMEs/ R&D केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए नवाचार योजना शुरू करना।
  - बड़े आकार के क्लस्टर विकसित करना, श्रमिकों के लिए आवास सुविधाएं प्रदान करना, स्थानीय नियमों और विनियमों को सरल और अनुकूल बनाना।
- **गैर-राजकोषीय यानी अन्य तरह के समर्थन:**
  - **इनपुट (कच्चे माल) पर प्रशुल्क को कम करना चाहिए।**
  - विदेशों से कुशल लोगों को आमंत्रित करना चाहिए।
  - **शिक्षा एवं उद्योग जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।**
  - **उच्च प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए।**

3.3. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PRADHAN MANTRI MUDRA YOJANA: PMMY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के 10 वर्ष पूरे हो गए।

PMMY के बारे में

- **मंत्रालय:** केंद्रीय वित्त मंत्रालय
- **शुरुआत:** वर्ष 2015
- **ऋण प्राप्त करने का तरीका:** मध्यवर्तियों (बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थान, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से। कर्ज लेने वाला व्यक्ति **उदयमित्र पोर्टल** पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है।
- **मुद्रा/ MUDRA (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड)** मध्यवर्ती संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करती है और PMMY के क्रियान्वयन की निगरानी करती है।
- **मुद्रा कार्ड:** ऋण लेने वालों को ओवरड्राफ्ट सुविधा।
- **मुद्रा मित्र:** मुद्रा ऋण प्राप्त में मार्गदर्शन प्रदान करने वाला मोबाइल एप्लिकेशन।
- **मुद्रा ऋण की श्रेणियां: शिशु (**50,000 रुपये तक), **किशोर (**50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक), **तरुण (**5 लाख से 10 लाख रुपये तक) तथा **तरुण प्लस** (10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक)।
- **वित्तीय सहायता के प्रकार:** टर्म लोन (Term Loan); ओवरड्राफ्ट सीमा (Overdraft Limit); कार्यशील पूंजी (Working Capital); पूंजीगत सामानों की खरीद के लिए कंपोजिट ऋण (Composite Loan for Acquiring Capital) आदि।
- **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के उद्देश्य**
  - बिना कुछ गिरवी रखे (कोलेटरल फ्री) ऋण प्रदान करना।
  - लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) को औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से जोड़कर वित्त-पोषण से वंचित लोगों को वित्त प्रदान करना।
  - हाशिए पर पड़े और अब तक सामाजिक-आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों का वित्तीय समावेशन और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना।

PMMY की मुख्य विशेषताएं

- **गिरवी या जमानत (Collateral) की आवश्यकता के बिना** ऋण की गारंटी **क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU)** द्वारा।
- **ब्याज दर: विनियमन मुक्त, शिशु सेगमेंट ऋण का त्वरित भुगतान करने पर 2% की ब्याज छूट, महिला उद्यमियों** को ऋण प्रदान करने वाले MFIs/ NBFCs को ब्याज दरों में **छूट**।
- **उच्च ऋण राशि वाली श्रेणी में मांग अधिक बढ़ना (शिशु से तरुण की ओर): जो** व्यवसाय में अपग्रेड का संकेत है।
- **अविकसित क्षेत्रों को ऋण देकर क्षेत्रीय असमानता को कम करने में मदद करना।**
- **पहली बार उद्यम करने वालों को बढ़ावा देना**
- **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना**

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत वित्तीय समावेशन

कुल PMMY खाते में सामाजिक श्रेणीवार हिस्सेदारी

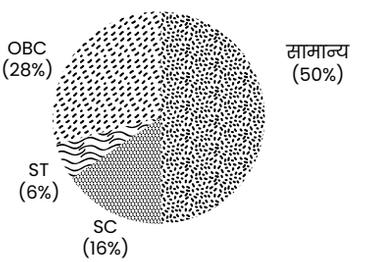

कुल PMMY खाते में श्रेणीवार हिस्सेदारी

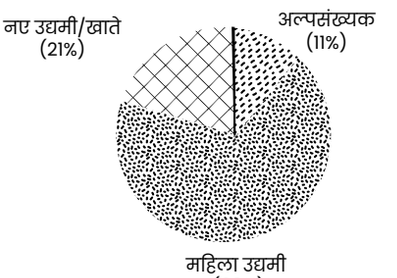

- **अन्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल:** मुद्रा मेक इन इंडिया पहल, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि के साथ अच्छी तरह से समन्वय करती है।

PMMY से जुड़े मुद्दे

- **मुद्रा ऋण में उच्च NPAs:** कुल NPAs 2.21% हैं, हालांकि NPAs में सुधार हो रहा है।
- **योजना के डिजाइन से संबंधित मुद्दे: CGFMU** के तहत डिफॉल्ट ऋण के लिए कवर की जाने वाली **राशि की ऊपरी सीमा 15%** है, ब्याज की उच्च दरें; जमानत मुक्त ऋण होने के कारण डिफ़ॉल्ट होने का जोखिम।
- **कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियां:** ज्यादातर ऋण लेने वाले को बुनियादी दस्तावेजों के बारे में जानकारी नहीं होती।
- **ऋण अनुशासन का अभाव:** ऋण को व्यक्तिगत उपयोग के लिए खर्च कर दिया जाता है।
- **खराब निगरानी और मूल्यांकन**

मुद्रा ऋण में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदम

- **वित्तीय जागरूकता का प्रसार करना**
- **संवर्धित ऋण गारंटी योजना (ECGS):** बैंकों द्वारा अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **महिला उद्यमियों के लिए ऋण सीमा बढ़ानी चाहिए, ब्याज में विशेष छूट देनी चाहिए, या महिलाओं के लिए लक्षित योजनाएं** प्रदान की जानी चाहिए।
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर **मजबूत निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क लागू करना चाहिए जिससे** पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, ऋण का दुरुपयोग कम होगा और योजना की दक्षता में सुधार होगा और हितधारकों का विश्वास भी बढ़ेगा।

3.4. एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (ONE STATE, ONE RRB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्तीय सेवा विभाग ने **26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के विलय** को अधिसूचित किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- केंद्र सरकार ने **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976** के तहत कदम उठाया है।
- विलय का **पहला चरण (वित्त वर्ष 2006 से वित्त वर्ष 2010) डॉ. व्यास समिति की सिफारिशों** पर आधारित था। **एक राज्य के भीतर एक ही प्रायोजक बैंक के तहत RRBs के विलय** पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यह **विलय का चौथा चरण** है। **अब 28 RRBs होंगे**, पहले **43** थे।
  - उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य के सभी ग्रामीण बैंकों (बड़ौदा यू.पी. बैंक, आर्यावर्त बैंक एवं प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक) को मिलाकर एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - **"उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक"** बना दिया गया है।

RRB के बारे में

- **शुरुआत: नरसिंहम वर्किंग ग्रुप (1975)** की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर, 1975 को RRBs की स्थापना हुई थी।
- **RRBs का स्वामित्व: केंद्र सरकार (50%)**; **राज्य सरकार (15%)**; तथा **प्रायोजक वाणिज्यिक बैंक (35%)** ।
- **विनियमन और पर्यवेक्षण:** RBI द्वारा **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के अंतर्गत **NABARD द्वारा पर्यवेक्षण**।
  - कर उद्देश्यों से **आयकर अधिनियम, 1961** के अंतर्गत इन्हें **सहकारी संस्थाओं** के रूप में दर्जा प्राप्त है।
- **RRBs के लिए मुख्य आवश्यकताएं:**
  - **75% ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL)**।
  - RBI के नियमानुसार **9%** का **जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR)** बनाए रखना अनिवार्य।

एक राज्य, एक RRB का महत्त्व

- **व्यावसायिक गतिविधियों में तीव्र गति से वृद्धि:** RRBs का कुल कारोबार, **वित्त वर्ष 2030 तक** GDP के **5.2%** तक पहुंचने का अनुमान है।
- **वित्तीय लाभ:** एकीकृत RRBs के पास **अधिक पूंजी आधार होगा और बेहतर तरलता स्थिति होगी**।
- **नियमों एवं मानदंडों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित होगा**।
- **ऋण देने की क्षमता में वृद्धि:** ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर MSMEs और कृषि को अधिक ऋण प्रवाह संभव हो सकेगा।
- **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।**
- **प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि:** एकत्रित संसाधन और विशेषज्ञता से विविधीकृत एवं स्थानीय रूप से तैयार उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा।
- तकनीकी प्रणालियों के एकीकरण से **साइबर सुरक्षा में सुधार**, **धोखाधड़ी की बेहतर निगरानी**, तथा **बिग डेटा एनालिटिक्स** में मदद मिलेगी।
- **अन्य लाभ: परिचालन या कामकाज में दक्षता,** विविध कौशलों में सक्षम **कार्मिकों के एक बड़े समूह की उपलब्धता सुनिश्चित** होगी, **निरीक्षण और परिचालन संबंधी गाइडलाइन को बेहतर** किया जा सकता है।

RRBs के एकीकरण में चुनौतियां	
परिचालनात्मक (Operational)	**प्रशासनिक और हितधारक प्रबंधन**
➲ एकीकृत होने वाले बैंकों की **परिचालनात्मक और संगठनात्मक संरचना में अंतर।** ➲ **अप्रत्याशित देरी,** जिसका ग्राहकों पर प्रभाव पड़ता है। ➲ दस्तावेजों और फाइलों की भौतिक आवाजाही एवं रखरखाव से जुड़ी **परिचालन संबंधी कठिनाई।**	➲ एकीकृत होने वाले बैंकों में **कार्यबल पुनर्गठन और कर्मचारियों की आवाजाही** से संबंधित चिंताएं। ➲ विभागों और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के बीच **अपडेट को ट्रैक करने में कठिनाइयां।**
वित्तीय	**तकनीकी**
➲ खातों की संरचना में अंतर और शाखा तथा कॉर्पोरेट लेजर की मैपिंग में विविधता। ➲ एकीकरण के बाद CRAR अनुपात पर **प्रतिकूल प्रभाव की संभावना।** ➲ प्रतिभूतियों, निधियों और निवेशों के **प्रवाह में जटिलताएं।**	➲ CBS: डेटा के सुरक्षित माइग्रेशन को सुनिश्चित करने से संबंधित चिंताएं। ➲ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और माइग्रेट किए गए डेटा के बैकअप सहित विशाल मात्रा में डेटा का सुरक्षित और सही तरीके से स्थानांतरण सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

3.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

3.5.1. भारत का विदेशी ऋण (INDIA'S EXTERNAL DEBT)

वित्त मंत्रालय की तिमाही विदेशी ऋण रिपोर्ट (दिसंबर 2024) के अनुसार, दिसंबर 2023 की तुलना में **विदेशी ऋण में 10.7% की वृद्धि** हुई है। इस वृद्धि के लिए मुख्य रूप से **मूल्यांकन प्रभाव** जिम्मेदार है।

➲ **मूल्यांकन प्रभाव** तब होता है, जब **अमेरिकी डॉलर** के मुकाबले **भारतीय रुपये** की कीमत **घटती** है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

➲ **GDP और विदेशी ऋण का अनुपात: 19.1%** (दिसंबर, 2024)

➲ **संरचना:** इसमें **सर्वाधिक हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर के रूप में मूल्य-वर्गित (Denominated) ऋण** की है।

➲ **डेब्ट सर्विस (मूलधन तथा ब्याज का भुगतान):** इसमें **0.1% की गिरावट** (सितंबर-दिसंबर, 2024) आई है।

➲ **दीर्घकालीन बनाम अल्पकालीन ऋण:** दीर्घकालीन ऋण में **मामूली वृद्धि** और अल्पकालीन ऋण में **मामूली गिरावट** देखी गई है।

विदेशी ऋण के बारे में

➲ **अर्थ:** यह वह धन है, जो भारत सरकार और कंपनियों द्वारा देश से बाहर के स्रोतों से उधार लिया जाता है (जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधारी)। यह आमतौर पर **अमेरिकी डॉलर, विशिष्ट आहरण अधिकार (SDR)** आदि के रूप में लिया जाता है।

➲ **स्रोत:** इसमें **विदेशी वाणिज्यिक बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान** (जैसे IMF, विश्व बैंक आदि) **या कोई अन्य देश** हो सकते हैं।

विदेशी ऋण को प्रबंधित करने के लिए मुख्य सिफारिशें:

➲ **अलग-अलग मुद्राओं में लेन-देन को बढ़ावा देना:** अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना चाहिए, आदि।

➲ **वहनीय ऋण को अपनाना:** ऋण को खपत की बजाय निवेश के लिए उपयोग करना चाहिए।

➲ **ऋण और आर्थिक संवृद्धि के बीच संतुलन:** मजबूत राजकोषीय नीतियों, निर्यात-आधारित विकास आदि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

बढ़ते विदेशी ऋण से जुड़ी चुनौतियां

➲ **ऋण चुकाने का बोझ:** इसलिए, विनिमय दर में बदलाव से ऋण के बोझ में भी वृद्धि हो सकती है।

➲ **बढ़ती मुद्रास्फीति:** दीर्घकालिक मुद्रास्फीति के चलते ब्याज दरें भी बढ़ सकती हैं। इससे आर्थिक संवृद्धि धीमी हो सकती है और GDP के अनुपात में विदेशी ऋण भी बढ़ सकता है।

➲ **वैश्विक परिदृश्य:** वैश्विक स्तर पर **स्टैगफ्लेशन** का खतरा भारत से निर्यात की मांग को घटा सकता है, जो डेब्ट सर्विस अनुपात को प्रभावित कर सकता है।

3.5.2. MoSPI ने कैपेक्स/ CAPEX (पूंजीगत व्यय) सर्वेक्षण जारी किया {MoSPI RELEASES CAPEX (CAPITAL EXPENDITURE) SURVEY}

'निजी क्षेत्रक के पूंजीगत व्यय निवेश लक्ष्यों पर फॉरवर्ड-लुकिंग सर्वेक्षण (कैपेक्स सर्वेक्षण)' सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 के तहत आयोजित किया गया था। यह **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)** द्वारा आयोजित अपनी तरह का पहला सर्वेक्षण था।

सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष

➲ वित्त वर्ष **2022 से 2025 तक निजी क्षेत्रक का पूंजीगत व्यय (CAPEX) 66%** बढ़कर लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

➲ **निजी क्षेत्रक के कुल पूंजीगत व्यय में विनिर्माण उद्यमों** का योगदान **48%** था।

➲ अधिकांश उद्यमों ने **पूंजीगत व्यय को मुख्य परिसंपत्तियों पर केंद्रित** किया था, जबकि अन्य ने **मूल्यवर्धन, अवसरवादी परिसंपत्तियों और विविध रणनीतियों** में निवेश किया था।

पूंजीगत व्यय (CAPEX) का महत्त्व

➲ **प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:** पूंजीगत व्यय में निवेश करके, कंपनियां अपनी परिचालन दक्षता बढ़ा सकती हैं, उत्पादों या सेवाओं में नवीनता ला सकती हैं तथा प्रतिस्पर्धियों से आगे रह सकती हैं।

➲ **परिसंपत्ति रखरखाव और अपग्रेड्स के लिए,**

➲ **निवेशकों का विश्वास:** पूंजीगत व्यय निवेशकों को यह संकेत देता है कि कंपनी दीर्घकालिक विकास और मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध है।

➲ **रणनीतिक निर्णय लेना:** पूंजीगत व्यय संबंधी निर्णय रणनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। ये प्राथमिकताएं भविष्य की संवृद्धि को गति देने के लिए संसाधनों के आवंटन को निर्धारित करती हैं।

निजी क्षेत्रक के पूंजीगत व्यय में आने वाली प्रमुख चुनौतियां

- बड़ी इक्विटी और किफायती कर्ज जुटाने में कठिनाई आती है;
- जोखिम आकलन और शमन से संबंधित परियोजना संरचना संबंधी मुद्दे;
- मंजूरी और भूमि अधिग्रहण में देरी आदि।

पूंजीगत व्यय के बारे में

- पूंजीगत व्यय वह धन है जो सरकार मशीनरी, भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा आदि के विकास पर खर्च करती है।
- **पूंजीगत व्यय में शामिल हैं:** अचल और अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण; मौजूदा परिसंपत्तियों का उन्नयन; मौजूदा परिसंपत्तियों को अपग्रेड करना और ऋण का भुगतान।

पहलू	पूंजीगत व्यय	राजस्व व्यय
प्रकृति	भविष्य के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करता है	परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता या देनदारियों को कम नहीं करता
प्रभाव	दीर्घकालिक लाभ या रिटर्न प्राप्त होता है	दिन-प्रतिदिन का परिचालन व्यय।
अवधि	एकमुश्त या कभी-कभार व्यय करना	चालू, आवर्ती व्यय

3.5.3. तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2025 (COASTAL SHIPPING BILL, 2025)

उद्देश्य

- **तटीय पोत परिवहन** के विनियमन से संबंधित कानूनों को समेकित करना; सभी प्रकार के जलयानों, जिनमें **पोत, नाव, नौकायन पोत, मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग यूनिट्स** शामिल हैं, को विनियमित करना।
- **मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 के भाग XIV को निरस्त करना**, जो तटीय जल के भीतर व्यापार में संलग्न नौकायन पोतों के अलावा अन्य जलयानों को विनियमित करता है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

- विदेशी जलयानों के लिए नौवहन महानिदेशालय (DGS) द्वारा जारी **लाइसेंस लेना अनिवार्य** है, जबकि भारतीय जलयानों को इससे छूट दी गई है।
- **तटीय व्यापार** से आशय **समुद्री मार्ग से माल या यात्रियों के परिवहन** से है। हालांकि इसमें **मात्स्यिकी शामिल नहीं** है।
- **रणनीतिक योजना और डेटा संग्रह:** विधेयक में **राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत-परिवहन रणनीतिक योजना तथा राष्ट्रीय तटीय पोत-परिवहन डेटाबेस** बनाना अनिवार्य किया गया है।
- **नौवहन महानिदेशालय (DGS)** को **सूचना प्राप्त करने, निर्देश जारी करने और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित** करने जैसे अधिकार प्रदान किए गए हैं।
- **केंद्र सरकार का नियंत्रण:** केंद्र सरकार को **नियमों में छूट देने और नियमों के अनुपालन की निगरानी करने की शक्ति प्रदान** की गई है।

3.5.4. नई इस्पात नीति (NEW STEEL POLICY)

केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने संशोधित **'घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद (DMI&SP) के लिए नीति-2025'** को अधिसूचित किया।

DMI&SP नीति क्या है?

- सरकारी संस्थाएं अपनी खरीद में देश में निर्मित स्टील को प्राथमिकता दें, जिससे घरेलू इस्पात उद्योग को बढ़ावा मिल सके।

संशोधित नीति की मुख्य विशेषताएं

- **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय इस्पात मंत्रालय
- **किन पर लागू होगी:** सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग और संबद्ध एजेंसियां - जिनमें सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रम (PSUs), सोसायटी, ट्रस्ट और वैधानिक संस्थाएं शामिल हैं। 5 लाख रुपये से अधिक की सभी प्रकार की सरकारी खरीद पर लागू होगी।
- **शामिल की गई सामग्री: "मेल्ट एंड पोर"** स्थिति में इस्पात, जैसे कि फ्लैट-रोल्ड स्टील, बार, आदि। **मेल्ट एंड पोर** से तात्पर्य उस इस्पात से है जिसे इस्पात बनाने वाली भट्टी में तैयार किया गया है और पहली बार ठोस आकार में ढ़ाला गया है।
- **वैश्विक निविदाओं पर प्रतिबंध:** कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकतर लौह और इस्पात उत्पादों के लिए कोई **ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी (GTE)** नहीं होगी।
- **देश में मूल्य संवर्धन (DVA) पर जोर:** भट्टियों (Furnaces) और रोलिंग मिल्स जैसी पूंजीगत वस्तुओं में देश में कम-से-कम **50% मूल्य संवर्धन अनिवार्य** किया गया है।
- यह उन देशों के आपूर्तिकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाता है जो भारतीय कंपनियों को अपनी सरकारी संस्थाओं द्वारा इस्पात खरीद में तब तक रोक लगाते हैं जब तक कि केंद्रीय इस्पात मंत्रालय कुछ मामलों में इसकी अनुमति न दे।

नीति में संशोधन क्यों किया गया?

- **बढ़ता खतरा:** भारत तैयार इस्पात का **शुद्ध आयातक** है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से सस्ते इस्पात के आयात में वृद्धि दर्ज की गई है जबकि निर्यात में गिरावट आई है।
- **वैश्विक बाजारों में मंदी:** देश में इस्पात उत्पादन क्षमता में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है जबकि विश्व में इस्पात की मांग में गिरावट दर्ज की जा रही है।
- **सरकारी खरीद की रणनीतिक भूमिका:** भारत में तैयार इस्पात के 25-30% हिस्से को सरकार बुनियादी ढांचे, रेलवे और रक्षा के लिए खरीदती है। संशोधित नीति सरकारी मांग बढ़ाकर स्थानीय उद्योग को समर्थन प्रदान करेगी।

3.5.5. स्रोत पर कर संग्रह (TAX COLLECTED AT SOURCE: TCS)

आयकर विभाग ने **विलासिता की उन वस्तुओं की सूची अधिसूचित** की है, जिन पर करदाताओं को **1% टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स** का भुगतान करना होगा।

टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स (TCS) के बारे में

- यह **विक्रेता द्वारा देय कर है,** जिसे वह वस्तु की बिक्री के समय क्रेता से एकत्र करता है।
- **आयकर अधिनियम की धारा 206** में उन वस्तुओं की सूची दी गई है, जिन पर विक्रेता को क्रेता से कर एकत्र करना चाहिए।
- **CGST अधिनियम, 2017 की धारा 52** में कर योग्य आपूर्ति के संबंध में ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स का प्रावधान किया गया है।

3.5.6. सेफ हार्बर (SAFE HARBOUR)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने **आयकर नियमावली, 1962 में संशोधनों** को अधिसूचित किया है। नए संशोधनों के जरिए **सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार** किया गया है।

- सेफ हार्बर से संबंधित प्रावधान का लाभ उठाने की सीमा **200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये** कर दी गई है।
- **मुख्य ऑटो कंपोनेंट्स की परिभाषा** में इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग होने वाली **लिथियम-आयन बैटरियों को शामिल** किया गया है।
- **'सेफ हार्बर':** तकनीकी रूप से, "सेफ हार्बर" वह स्थिति है जिसमें **कर-एजेंसियां करदाता द्वारा घोषित ट्रांसफर प्राइसिंग को आर्म्स लेंथ प्राइस (स्वतंत्र बाजार मूल्य) मानकर स्वीकार करती हैं।**
  - **आयकर अधिनियम, 1961** में **CBDT** को सेफ हार्बर नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है।

3.5.7. लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (LIQUIDITY COVERAGE RATIO: LCR)

RBI ने कहा कि बैंकों को **खुदरा ग्राहकों की जमाओं (retail deposits) पर कम रन-ऑफ फैक्टर निर्धारित** करना होगा।

- रन-ऑफ फैक्टर वास्तव में **किसी संकट की स्थिति में जमाकर्ताओं द्वारा बैंकों में जमा धनराशि में से निकाली जा सकने वाली प्रतिशत राशि** है।

लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (LCR) के बारे में

- यह **उच्च गुणवत्ता वाली लिक्विड एसेट (HQLA)** की मात्रा है। इन्हें वित्तीय संस्थानों को अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है, ताकि वे बाजार में उथल-पुथल या संकट की स्थिति में अपनी **अल्पकालिक देनदारियों को पूरा** कर सकें।
- LCR को बेसल समझौते (Basel Accords) में नए संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। बेसल समझौते **'बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति'** द्वारा तैयार किए गए नियम या मानक हैं।
- उच्च LCR बैंकों को **अधिक तरल परिसंपत्तियां रखने के लिए बाध्य** करता है। इससे **अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी** आती है।

3.5.8. IMF की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (IMF'S GLOBAL FINANCIAL STABILITY REPORT)

IMF की 'वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' में भू-राजनीतिक जोखिमों का वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया।

मुख्य भू-राजनीतिक जोखिम

- **आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने वाले विविध जोखिम**
- नए व्यापारिक समूह बन रहे हैं और निवेश के नए केंद्र उभरकर सामने आ रहे हैं। इससे पारंपरिक वैश्विक शक्ति संतुलन में भी बदलाव देखे जा रहे हैं।
- **कर व्यवस्था में एकरूपता का अभाव:** उदाहरण के लिए, जहां एक ओर कई देश **मिनिमम ग्लोबल टैक्स** को अपना रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ देश **बहुपक्षीय टैक्स समझौतों से बाहर** निकल रहे हैं।
- **कार्यबल पर जनसांख्यिकीय, तकनीकी और सांस्कृतिक दबाव:** विकसित देशों की आबादी में जहां एक ओर **वृद्ध लोगों का अनुपात** और **सेवानिवृत्त होने वाले लोगों की जनसंख्या** बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर इन देशों में **जन्म दर कम** हो रही है। देशों और समुदायों के बीच सांस्कृतिक संघर्ष में वृद्धि हुई है। AI के बढ़ते उपयोग से भी जोखिम में वृद्धि हुई है।

भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रभाव

- सैन्य खर्च में बढ़ोतरी और आर्थिक मंदी के चलते कई देशों का सरकारी ऋण, उनकी GDP की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। इससे उनकी वित्तीय स्थिरता पर संकट गहराता जा रहा है और बढ़ते कर्ज भार के कारण डिफॉल्ट (ऋण न चुकाने) होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है।
- **वित्तीय खतरों की चपेट में अन्य देशों का आना:** भू-राजनीतिक जोखिम व्यापार और वित्तीय संबंधों के माध्यम से अन्य देशों में फैल सकते हैं।
- जोखिमों के बढ़ने से आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। इनमें आपूर्ति श्रृंखला का बाधित होना और पूंजी का देश से बाहर निकलना जैसे आर्थिक व्यवधान शामिल हैं।
- **निवेशकों का विश्वास कम होना:** भू-राजनीतिक जोखिम निवेशकों के विश्वास को कम करते हैं। इससे बाजार में अनिश्चितता और अस्थिरता बढ़ती है।
  - उदाहरण के लिए, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध की वजह से हाल में **दोनों देशों के शेयर बाजारों में भारी गिरावट** दर्ज की गई।

भू-राजनीतिक जोखिमों से निपटने के लिए मुख्य नीतिगत सिफारिशें:

- वित्तीय पर्यवेक्षण को बेहतर बनाना,
- पूंजी बफ़र्स को मजबूत करना,
- सख्त नियमों के साथ वित्तीय बाजारों को मजबूत करना,
- मैक्रोइकोनॉमिक बफ़र्स बनाए रखना
- संकट से निपटने की तैयारी में सुधार करना।

3.5.9. वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी-2025 रिपोर्ट (GLOBAL TRADE OUTLOOK AND STATISTICS 2025)

यह रिपोर्ट **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** ने जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- वर्ष 2025 में **विश्व पण्य व्यापार की मात्रा में 0.2% की गिरावट** दर्ज होने का अनुमान है, विशेष रूप से **उत्तरी अमेरिका** में अधिक गिरावट दर्ज की जाएगी।
- रिपोर्ट में विश्व व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले **कई गंभीर खतरों जैसे कि रेसिप्रोकल टैरिफ का प्रयोग और नीतिगत अनिश्चितता** के प्रभाव का उल्लेख किया गया है।
- इस रिपोर्ट में पहली बार **पण्य (वस्तु) व्यापार अनुमान के साथ-साथ सेवाओं के व्यापार के लिए भी पूर्वानुमान** शामिल किया गया है। **(सेवाओं के व्यापार की मात्रा में 2025 में 4.0% की वृद्धि का अनुमान)।**

3.5.10. अंकटाड ने प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट, 2025 जारी की (UNCTAD RELEASES TECHNOLOGY AND INNOVATION REPORT 2025)

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

AI विभाजन को गहरा करने की बजाय समावेशी विकास को बढ़ावा दे।

- **वैश्विक स्तर पर 2033** तक AI का बाजार मूल्य **4.8 ट्रिलियन डॉलर** हो जाने की संभावना है।
- AI दुनिया भर में **40% नौकरियों को प्रभावित** कर सकता है। इससे उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ ऑटोमेशन और नौकरियों के खत्म होने से संबंधित चिंताएं भी उत्पन्न होंगी।
- **राष्ट्रीय और कॉर्पोरेट स्तर पर बाजार का प्रभुत्व: वैश्विक AI निजी निवेश में लगभग 70% निवेश संयुक्त राज्य अमेरिका** द्वारा किया जाता है।
- 2024 में **भारत 36वें स्थान पर** था।

समावेशी AI हेतु आगे की राह

- **स्थानीय रूप से उपलब्ध डिजिटल अवसंरचना** को ध्यान में रखते हुए **AI समाधानों को विकसित** करना चाहिए। कौशल के समक्ष उत्पन्न **बाधाओं को कम** करना चाहिए।
- **कर्मचारी-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना** चाहिए।
- **सरकार को अवसंरचना, डेटा और कौशल** में **राष्ट्रीय AI क्षमताओं** का मूल्यांकन करना चाहिए।

3.5.11. अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और रिपोर्टिंग मानक (INTERNATIONAL STANDARDS OF ACCOUNTING AND REPORTING: ISAR)

भारत को **2025–2027** के कार्यकाल के लिए **संयुक्त राष्ट्र-अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और रिपोर्टिंग मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर-सरकारी कार्यदल (ISAR)** में निर्विरोध चुना गया।

ISAR के बारे में

- ISAR एक **स्थायी अंतर-सरकारी कार्यदल** है।
- **मैंडेट:** इसका उद्देश्य सदस्य देशों को **वित्तीय रिपोर्टिंग और गैर-वित्तीय डिस्क्लोजर की गुणवत्ता में सुधार** करने तथा उन्हें **अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप** बनाने में सहायता करना है।
- **मिशन:** नीतिगत फ्रेमवर्क और मार्गदर्शक उपायों के माध्यम से कॉर्पोरेट पारदर्शिता और लेखांकन में अच्छे अभ्यासों को बढ़ावा देकर निवेश, विकास और आर्थिक स्थिरता को प्रोत्साहित करना।
- **ISAR का प्रत्येक वर्ष जिनेवा में सत्र** आयोजित होता है। इसमें **कंपनियों के लेखांकन और रिपोर्टिंग से जुड़े नए मुद्दों पर चर्चा** की जाती है।
- **सदस्य:** ISAR में **34 औपचारिक सदस्य** होते हैं। ये **तीन वर्षों** के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। **इन सदस्यों में शामिल हैं: 9** अफ्रीकी देश, **7** एशियाई देश, **6** लैटिन अमेरिकी देश, **3** पूर्वी यूरोपीय देश तथा **9** पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश।

3.5.12. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BOMBAY STOCK EXCHANGE: BSE)

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) साल **2025 में अपनी स्थापना की 150वीं वर्षगांठ** मना रहा है।

BSE के बारे में

- **BSE** की स्थापना **वर्ष 1875 में 'द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन'** के रूप में हुई थी। यह **एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज** है और खरीद-बिक्री में लगने वाले समय के मामले में यह **दुनिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज** भी है।
  - वर्ष 2017 में BSE, **शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने वाला (लिस्टेड) भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज** बना था।
- **कार्य:** BSE **इक्विटी, करेंसी, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड्स** में कारोबार के लिए प्रभावी एवं पारदर्शी बाजार प्रदान करता है।
- **विनियामक संस्था:** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI/सेबी)। सेबी एक **वैधानिक संस्था**। इसे **सेबी अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित** किया गया है।

3.5.13. केपटाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल (CAPE TOWN CONVENTION AND PROTOCOL)

राज्य सभा ने **"विमानन वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025"** पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य विमानन से संबंधित भारतीय कानूनों को **केपटाउन कन्वेंशन (कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट) और विशेष रूप से विमान उपकरणों से संबंधित विषयों पर प्रोटोकॉल** के अनुरूप करना है।

केपटाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के बारे में

- **उद्देश्य:** चल संपत्तियों, विशेष रूप से उच्च-मूल्य वाली परिसंपत्तियों (जैसे-विमान, इंजन और हेलीकॉप्टर) से संबंधित लेन-देन को मानकीकृत करना, ताकि **डिफॉल्ट की स्थिति में ऋणदाता अपने अधिकारों को लागू कर सकें।**
- इन्हें **2001 में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ़ प्राइवेट लॉ (UNIDROIT)** द्वारा संयुक्त रूप से अपनाया गया था।
- **पक्षकार: 2016** तक **65 देश** इस कन्वेंशन के पक्षकार बन चुके थे। (**भारत ने इस कन्वेंशन पर 2008 में हस्ताक्षर** किए)।

3.5.14. नैनो-सल्फर (NANO SULPHUR)

TERI के वैज्ञानिकों का दावा है कि इसका **नैनो सल्फर पारंपरिक सरसों की किस्मों का उपयोग करके DMH-11 के समान उपज वृद्धि** देता है। (DMH-11 **आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों** की एक किस्म है।)

TERI के नैनो-सल्फर के बारे में

- यह **पूरी तरह से हरित (ग्रीन)** उत्पाद है। इसमें **पादप संवर्धन करने वाले जीवाणु** का उपयोग किया जाता है।
- नैनो-सल्फर में **जीवाणुरोधी और कीटनाशक गुण** होते हैं।
- **लाभ:** यह पादप वृद्धि को बढ़ावा देता है, यह पादपों को तनाव (जैसे सूखा, गर्मी आदि) सहन करने में सक्षम बनाता है, और यह पादप पोषण की गुणवत्ता में सुधार करता है।

3.5.15. लवणीय जलीय कृषि केंद्र (SALINE AQUACULTURE HUBS)

लवणीय जलीय कृषि के बारे में

- **अर्थ:** इसके तहत अंतर्देशीय लवणीय जलीय कृषि के लिए **लवणता प्रभावित भूमि** (जो प्रायः पारंपरिक कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है) का उपयोग किया जाता है।
  - **जलीय कृषि:** इसमें जलीय जीवों का पालन किया जाता है ।
- **महत्त्व:** रोजगार और आजीविका के अवसर उत्पन्न करेगा
- **भारत में संभावनाएं:**
  - उपर्युक्त 4 राज्यों के **58,000 हेक्टेयर चिन्हित लवणीय क्षेत्रों में से केवल 2,608 हेक्टेयर का ही वर्तमान में उपयोग** किया जा रहा है।
  - भारत **विश्व स्तर पर संवर्धित झींगों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही, समुद्री खाद्य निर्यात मूल्य में 65% हिस्सेदारी** अकेले झींगों की है, जिसे लवणीय जल-कृषि के माध्यम से और **बढ़ाया** जा सकता है।

लवणीय जलीय कृषि की क्षमता का उपयोग करने हेतु किए जाने वाले उपाय

- **नीतिगत सुधार:** क्षेत्र संबंधी सीमा को **2 हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 हेक्टेयर** किया जाना चाहिए। साथ ही, उत्तर भारतीय राज्यों में लवणीय जलीय कृषि के संधारणीय विकास के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का भी गठन किया जाना चाहिए।
- **सिरसा में एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क** स्थापित करने की सिफारिश की गई है, ताकि विपणन माध्यमों को बेहतर किए जा सके।
- राज्यों द्वारा लवणीय जलीय कृषि के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करने तथा आउटरीच आधारित अनुसंधान करने हेतु **कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) का उपयोग** किया जाना चाहिए।

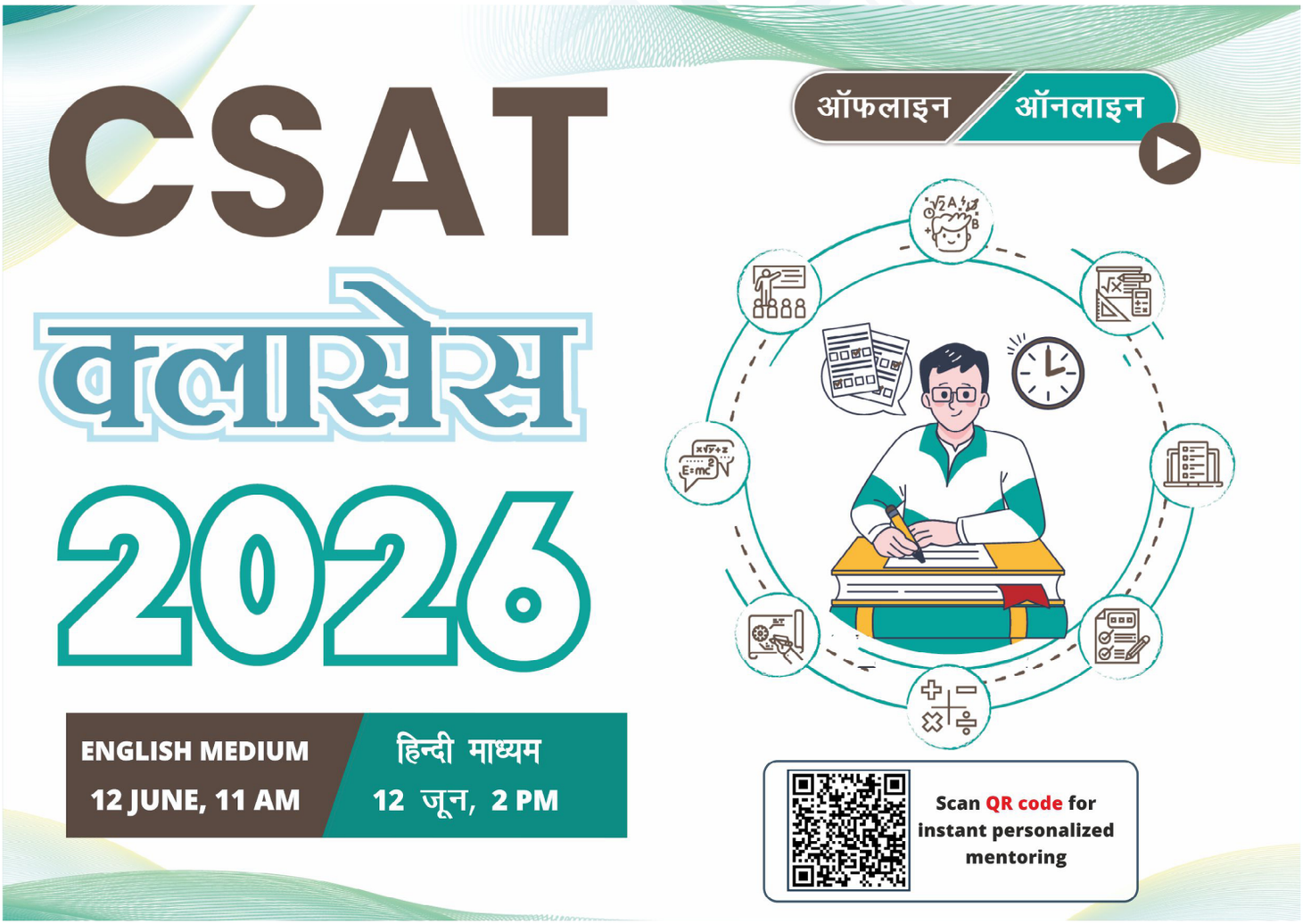

4.1. जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद (Terrorism in Jammu and Kashmir)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन **लश्कर-ए-तैयबा (LeT)** से जुड़े संगठन **द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF)** ने जम्मू और कश्मीर के **पहलगाम स्थित बैसरन घाटी** में 26 पर्यटकों की हत्या कर दी।

अन्य संबंधित तथ्य

- **भारत ने: सिंधु जल संधि को निलंबित** कर दिया, **अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट को बंद** कर दिया, **पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीज़ा छूट योजना को रद्द** कर दिया, **पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाओं को निलंबित** कर दिया है आदि।
- **सैन्य कार्रवाई:** भारत ने **"ऑपरेशन सिंदूर"** के तहत **पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK)** के अंदर **9 स्थानों पर सटीक हवाई हमले** भी किए। इसमें जम्मू-कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में हमलों में शामिल **LeT, JeM** और अन्य पाकिस्तान समर्थित प्रॉक्सी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया।

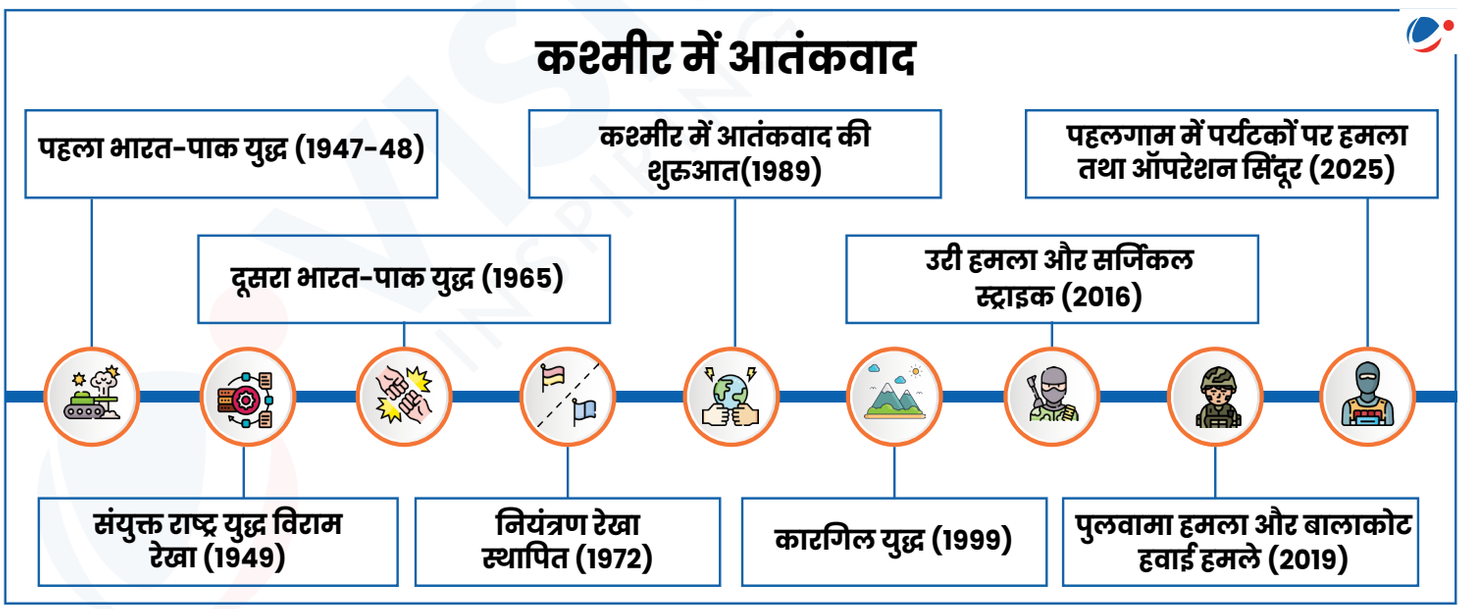

कश्मीर आतंकवाद में हालिया रुझान:

- **आतंकवाद में कमी:** गृह मंत्रालय की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमलों में लगातार कमी आई है। साथ ही, पर्यटन और अवसंरचना में वृद्धि हुई है, जिससे स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा मिला है।
- **विशेषज्ञ विश्लेषण:** हालिया हमलों का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर की विकास यात्रा को बाधित करना और पूरे भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करना था।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के पीछे के कारक

- **बाह्य कारक:**
  - **पाकिस्तान का प्रॉक्सी युद्ध:** लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन और TRF जैसे आतंकी समूहों को राज्य द्वारा समर्थन (प्रशिक्षण, हथियार व सुरक्षित

ठिकाने)।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असहमति:** असंगत अंतर्राष्ट्रीय दबाव; चीन द्वारा UNSC में वीटो के जरिये पाकिस्तान का बचाव।
- **वैश्विक वैचारिक प्रभाव:** अंतरराष्ट्रीय जिहादी नेटवर्क (ISIS व हमास संबंध) कट्टरता को बढ़ावा देते हैं।
- **छिद्रिल सीमाएं:** नियंत्रण रेखा के दुर्गम भूभाग से आतंकवादियों और हथियारों की आवाजाही को संभव बनाती हैं।

आंतरिक कारक:
- **कट्टरता:** ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म (टेलीग्राम, यूट्यूब) और स्थानीय नेटवर्क के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाते हैं।
- **राजनीतिक अलगाव:** AFSPA को लेकर शिकायतों और प्रतिनिधित्व की कमी के कारण अलगाववादी भावनाएं और गहरी हुई हैं।
- **आर्थिक चुनौतियां:** उच्च बेरोज़गारी युवाओं को आतंकी समूहों द्वारा भर्ती के प्रति संवेदनशील बनाती हैं।
- **ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) की भूमिका:** वे धन प्रबंधन, भर्ती और प्रचार के ज़रिए आतंकवाद को बनाए रखते हैं।
- **आतंकवाद का वित्त-पोषण:** अलगाववादी समूह (हुर्रियत, JKLF) स्थानीय आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तानी हवाला धन का उपयोग करते हैं।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से निपटने में चुनौतियां

हाइब्रिड और वर्चुअल आतंकवादी संगठन:
- **हाइब्रिड आतंकवादी:** असूचीबद्ध व आत्म-कट्टरपंथी व्यक्ति जो समाज में घुलमिलकर हमले करते हैं।
- **वर्चुअल आतंकवादी समूह: जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स और TRF** जैसे समूह लश्कर के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य करते हैं।

छिद्रिल सीमाएं: दुर्गम भूभाग के कारण घुसपैठ एवं तस्करी को सक्षम बनाती है।
पाकिस्तान का सूचना युद्ध: उदाहरण के लिए- भारत विरोधी दुष्प्रचार हेतु सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है।
खुफिया तंत्र की खामियां: केंद्रीय, राज्य और स्थानीय एजेंसियों के बीच समन्वय में कमी के कारण आतंकवाद विरोधी प्रतिक्रियाओं में देरी होती है।
विकसित होती तकनीक: आतंकवादी ड्रोन, एन्क्रिप्टेड ऐप और उन्नत हथियारों का इस्तेमाल करते हैं।
बदलती रणनीति: बड़े पैमाने पर हमले करने की बजाय लक्षित हत्याओं तथा पर्यटकों जैसे आसान लक्ष्यों पर हमले करना शुरू कर दिया है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए उठाए गए कदम

आतंकी संगठनों और उनके नेटवर्क पर कार्रवाई: उदाहरण के लिए- सर्जिकल स्ट्राइक (2019 पुलवामा, ऑपरेशन सिंदूर 2025 आदि); ऑपरेशन ऑल-आउट (2017); जमात-ए-इस्लामी (**OGW**) पर प्रतिबंध लगाना; ऑपरेशन सद्भावना के माध्यम से पुनर्वास, आदि।
विकासात्मक कदम: हिमायत (कौशल विकास) और **उम्मीद** (महिला सशक्तीकरण); अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं। उदाहरण के लिए- **चेनाब ब्रिज और वंदे भारत ट्रेनों** का संचालन।
कूटनीतिक: IMF से पाकिस्तान को अपने सहायता कार्यक्रम की समीक्षा करने और FATF से पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने का निवेदन करना; आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका को वैश्विक मंचों पर उजागर करने के लिए **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति का लाभ** उठाया जा रहा है।
राजनीतिक: अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, प्रतिनिधि सरकार के लिए परिसीमन की प्रक्रिया तथा स्थानीय शासन और समय पर चुनाव।
सीमा-पार से आतंकवादी घुसपैठ से निपटना: स्मार्ट बॉर्डर टेक्नोलॉजी, उदाहरण के लिए- लेजर फेंसिंग, ड्रोन, आदि।

आगे की राह

खुफिया तंत्र को मजबूत करना: अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ाना तथा AI-संचालित विश्लेषण में निवेश करना; **TECHINT (तकनीकी बुद्धिमत्ता)** के पूरक के रूप में **HUMINT (मानव बुद्धिमत्ता)** को मजबूत करना आदि।
सीमा सुरक्षा: LoC पर स्मार्ट फेंसिंग आदि में तेजी लाना **(मधुकर गुप्ता समिति की सिफारिशों के अनुसार);** निर्बाध संचालन के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय में सुधार करना आदि।
डी-रेडिकलाइजेशन कार्यक्रम: चरमपंथी व्याख्याओं से निपटने के लिए स्थानीय पहलों को बढ़ावा देना, जैसे कि शिक्षा।
आर्थिक विकास: रोजगार सृजन और **पर्यटन को बढ़ावा देने** को प्राथमिकता देना।
राजनीतिक प्रक्रिया: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से समावेशी शासन-व्यवस्था सुनिश्चित करना।
अंतर्राष्ट्रीय दबाव: पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए UNSC और FATF जैसे मंचों का उपयोग करना।

4.2. भारत का रक्षा निर्यात (India's Defence Exports)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का **रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपये (लगभग 2.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के रिकॉर्ड उच्च स्तर** पर पहुंच गया।

भारत के रक्षा निर्यात उपकरण

फिलीपींस: ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल।
मॉरीशस: एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH), डोर्नियर Do-228 विमान आदि।
फ्रांस: रक्षा क्षेत्रक में सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण।
आर्मेनिया: आकाश एयर डिफेंस मिसाइल, पिनाका मल्टी-लॉन्च रॉकेट सिस्टम, आर्टिलरी गन, स्वाथी वेपन लोकेटिंग रडार आदि।

- **अमेरिका:** विमान और हेलीकॉप्टर के पुर्जे।

रक्षा निर्यात में सुधार हेतु शुरू की गई पहलें

- **रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX): 2018** में लॉन्च किया गया, जिसमें MSMEs, स्टार्ट-अप्स और शिक्षाविदों को शामिल किया गया।
- **रक्षा औद्योगिक गलियारे (DIC): उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु** में स्थापित किए गए हैं।
- **रक्षा क्षेत्रक में व्यवसाय करने में सुगमता:** औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण, निर्यात प्राधिकार प्रदान करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) का सरलीकरण।
- **उदारीकृत FDI नीति:** 2020 में उदारीकृत तथा **स्वचालित मार्ग से 74% तक FDI और सरकारी मार्ग से 74% से अधिक** की अनुमति दी गई है; 2000 से कुल FDI 5,516.16 करोड़ रुपये।
- **प्रौद्योगिकी विकास कोष (TDF):** MSMEs और स्टार्ट-अप्स सहित भारतीय उद्योगों को अनुदान सहायता प्रदान करना।
- **सृजन पोर्टल:** विक्रेताओं हेतु स्वदेशीकरण के अवसरों तक पहुँचने के लिए वन-स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल।

भारत के रक्षा निर्यात में चुनौतियां

- रक्षा उपकरणों के लिए **महत्वपूर्ण घटकों हेतु आयात पर निर्भरता।**
- AI संचालित सिस्टम सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए **अनुसंधान एवं विकास का अभाव।**
- **संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे स्थापित वैश्विक अभिकर्ताओं** से कड़ी प्रतिस्पर्धा।
- **खरीद और अनुमोदन** में नौकरशाही संबंधी बाधाएं।

भारत का रक्षा निर्यात

23,622 करोड़ रुपये कुल निर्यात (2024-25)	64.5% निजी क्षेत्रक का योगदान
1,09,997 करोड़ रुपये संचयी रूप से (2015-2025)	42.85% DPSUs की वृद्धि

लक्ष्य 2029
50,000 करोड़ रुपये

शीर्ष खरीदार (100 से अधिक देशों)
संयुक्त राज्य अमेरिका
फ्रांस
आर्मेनिया

प्रमुख निर्यात
मिसाइल
आर्टिलरी
नौसैनिक प्लेटफॉर्म
हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस

आगे की राह

- अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण-पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के बाजारों में **संपूर्ण रक्षा प्रणालियों के निर्यात को बढ़ावा देना** चाहिए।
- ऑस्ट्रेलिया, UAE, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया जैसे **उभरते रक्षा केंद्रों के साथ साझेदारी** बनानी चाहिए।
- प्रमुख देशों में **विदेशी कार्यालयों के माध्यम से उपस्थिति का विस्तार** करना चाहिए।
- लघु विनिर्माताओं को **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल होने और ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने की क्षमताओं को बढ़ाना** चाहिए।
- **घटकों और उप-प्रणालियों** के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का हिस्सा बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

4.3. जैविक हथियार अभिसमय (BIOLOGICAL WEAPONS CONVENTION: BWC)(BWC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों के कार्यालय (UNODA) ने जैविक हथियार अभिसमय (BWC) की **50वीं वर्षगांठ** मनाई।

जैविक हथियार अभिसमय (BWC) के बारे में

- इसका औपचारिक नाम है- **"जीवाणुजन्य (जैविक) और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन एवं भंडारण पर प्रतिबंध तथा उनके विनाश पर अभिसमय।**
- **उत्पत्ति:** BWC पर **1969 से 1971 तक जेनेवा** में वार्ता हुई थी। **1972 में हस्ताक्षर** के लिए प्रस्तुत किया गया था और यह **26 मार्च, 1975** को लागू हुआ था।
- **सदस्यता: 188 सदस्य देशों और चार हस्ताक्षरकर्ता देश (मिस्र, हैती, सोमालिया और सीरिया)।** भारत ने **1974 में हस्ताक्षर** किए थे और **अनुसमर्थन** किया था। इसके **संचालन की समीक्षा** के लिए पक्षकार देश **लगभग हर 5 साल में बैठक** करते हैं।

BWC के बारे में मुख्य तथ्य

- यह **प्रथम बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि** है, जिसके तहत सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- यह **जैविक हथियारों** के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण एवं उपयोग पर प्रभावी रूप से **प्रतिबंध** लगाता है। यह **1925 के जेनेवा प्रोटोकॉल (जैविक हथियारों के उपयोग से संबंधित)** का पूरक है।
- प्रशासनिक सहायता के लिए एक **कार्यान्वयन सहायता इकाई (ISU)** गठित की गई है।
- **पांच देशों** (इजरायल, चाड, जिबूती, इरीट्रिया और किरिबाती) **ने न तो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं और न ही इसे स्वीकार** किया है।

जैविक हथियार अभिसमय (BWC) को लागू करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- खतरनाक सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक रूप से संशोधित/ इंजीनियरड जीवों या कोशिकाओं का निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियम 1989 बनाए गए हैं।

- सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैर-कानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 लागू किया गया है।
- विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी (SCOMET) सूची बनाई गई है।
- भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से BWC के अनुच्छेद VII के तहत सहायता की सुविधा के लिए एक डेटाबेस स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

BWC से संबंधित चुनौतियां

- **सत्यापन तंत्र का अभाव:** जैव विज्ञान की दोहरी- प्रकृति शांतिपूर्ण और आक्रामक अनुप्रयोगों के बीच अंतर करना मुश्किल बनाती है।
- **डेटा संग्रहण के संदर्भ में लागू करने योग्य कानूनी प्रावधान का अभाव:** यह BWC की राजनीतिक रूप से बाध्यकारी विश्वास-निर्माण उपाय (CBM) प्रस्तुतियों पर निर्भरता में योगदान देता है। CBM में राष्ट्रों की भागीदारी सीमित है (2022 में केवल 50% से अधिक सदस्य देशों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी)।
- **सीमित संस्थागत सहायता:** कार्यान्वयन सहायता इकाई (ISU) में कर्मचारियों की कमी है (2006 से केवल 4 कर्मचारी)।
- **राष्ट्रीय स्तर पर समुचित ढंग से क्रियान्वयन की कमी:** भारत के पास रासायनिक हथियार अभिसमय के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण (NACWC) तो है, लेकिन BWC के लिए समान रूप से केंद्रीकृत निकाय का अभाव है।

आगे की राह

- सत्यापन के लिए **मॉड्यूलर-इंक्रीमेंटल अप्रोच को लागू** करना चाहिए।
- चक्रानुक्रम आधारित विशेषज्ञ सत्यापन समूह की नियुक्ति में **स्थायी संस्थागत समर्थन का विस्तार** करना चाहिए।
- **सरलीकरण के लिए AI में हुई प्रगति** का उपयोग करके विश्वास-निर्माण उपाय प्रस्तुतीकरण को सार्वभौमिक बनाना चाहिए।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1540** के साथ एकीकृत करके गैर-राज्य अभिकर्ताओं से उत्पन्न होने वाले खतरों का समाधान करना चाहिए।

4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

4.4.1. वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-II {VIBRANT VILLAGES PROGRAMME-II (VVP-II)}

कैबिनेट की मंजूरी और अवलोकन

- **वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-I की निरंतरता,** अब **100% केंद्रीय वित्त पोषण** के साथ **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है। गौरतलब है **VVP-I केंद्र प्रायोजित योजना थी।**
- **कवरेज:** 17 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में सामरिक अवस्थिति वाले गांव। इसमें **VVP-I (2023-24)** के तहत कवर किए गए **पूर्वोत्तर सीमा के ब्लॉक्स शामिल नहीं** होंगे।
- **उद्देश्य:** आजीविका के अवसर प्रदान करना तथा अवसंरचना और सुरक्षा एकीकरण को बढ़ावा देना।
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक।

मुख्य विशेषताएं

- **अवसंरचना का विकास: सभी मौसम के लिए उपयुक्त सड़क संपर्क** के साथ सड़क, आवास, स्वच्छता, पेयजल और स्मार्ट कक्षाओं में निवेश करना।
- **आजीविका:** सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों तथा सीमा-विशिष्ट आउटरीच गतिविधियों के लिए समर्थन जुटाना।
- **कन्वर्जेंस:** कन्वर्जेंस मॉडल के अंतर्गत मौजूद कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना।
- **सॉफ्ट पावर:** सांस्कृतिक त्योहारों, पर्यटन आदि को बढ़ावा देना, विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाना इत्यादि।
- **कार्यान्वयन:** परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पीएम गति शक्ति का उपयोग करना।

सीमावर्ती गांवों की आबादी का सामरिक महत्त्व

- **सुरक्षा:** स्थानीय लोग "आँख और कान" की तरह काम करते हैं (जैसे- ताशी नामग्याल ने कारगिल युद्ध के दौरान घुसपैठ की सूचना दी थी)।
- **क्षेत्रीय दावे:** बस्तियाँ संप्रभुता को मजबूत करती हैं (उदाहरण के लिए, भारत-चीन समझौता, 2005)।
- **लॉजिस्टिक्स:** गाँव आश्रय, श्रम और खुफिया जानकारी के साथ सेना की सहायता करते हैं।
- **पहलें:** सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (1986), आदर्श ग्राम पहल (2005), स्मार्ट गांव (2015) आदि।

4.4.2. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre: I4C)

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी की गई।

- केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत **राजस्व विभाग ने I4C को PMLA की धारा 66 के अंतर्गत** शामिल किया। इससे साइबर क्षेत्र से जुड़े वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए **प्रवर्तन निदेशालय (ED) तथा कानून लागू करने वाली अन्य एजेंसियों के साथ सूचना साझा** करने में मदद मिलेगी।

PMLA अधिनियम, 2002 की धारा 66 के बारे में

- धारा 66 **प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अथॉरिटी को किसी अन्य एजेंसी के साथ सूचना साझा करने का अधिकार** देती है।
- उपर्युक्त अथॉरिटी उन सूचनाओं या जानकारियों को साझा कर सकती है, जो उसके पास उपलब्ध होगी। साथ ही, सूचना तभी साझा की जाएगी जब **किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन** हुआ हो और आगे कार्रवाई की जरूरत हो।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के बारे में

- **शुरुआत:** इसे **2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गठित** किया था। जुलाई 2024 में, इसे **केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक अनुलग्नक कार्यालय (Attached office)** बनाया गया था।
- **भूमिका:** कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच साइबर अपराध समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है।
- **I4C की संरचना में निम्नलिखित शामिल हैं:**

- नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP),
- नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (NCTAU),
- जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम (JCCT), आदि।

4.4.3. राफेल मरीन (M) लड़ाकू विमान {RAFALE MARINE (M) FIGHTER JETS}

केंद्र ने **फ्रांस से 26 राफेल मरीन (M) लड़ाकू विमानों के सौदे** को मंजूरी दी।

- इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल **भारतीय नौसेना** द्वारा किया जाएगा। इन्हें देश के पहले **स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत** पर तैनात किया जाएगा।
- पहले से खरीदे गए **36 राफेल जेट विमानों का उपयोग भारतीय वायु सेना** द्वारा किया जा रहा है।

राफेल विमान के बारे में

- **निर्माता:** डसॉल्ट एविएशन, एक फ्रांसीसी एयरोस्पेस कंपनी है।
- **"ओमनीरोल" क्षमताएं:** वायु रक्षा, हमला, टोही, परमाणु प्रतिरोध सहित सभी प्रकार के युद्धक मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है।
- **पीढ़ी:** 4.5 पीढ़ी, अधिकतम गति 1.8 मैक।

अलग-अलग नवीनतम पीढ़ी के विमान

- **चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान (1970-1980 के दशक): हवा-से-हवा और हवा-से-जमीन दोनों तरह की मारक** क्षमता से युक्त थे। उदाहरण के लिए- मिग-29, एफ-16, मिराज-2000 आदि।
- **4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान:** चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की सीमा बढ़ाने के लिए इनमें 'स्टील्थ', रडार अवशोषक सामग्री, थ्रस्ट वेक्टर नियंत्रित इंजन आदि शामिल किए गए। उदाहरण के लिए- यूरोफाइटर टाइफून, राफेल आदि।
- **पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान: उन्नत स्टील्थ प्रौद्योगिकियां** और उन्नत हथियार। उदाहरण के लिए- F-22 रैप्टर, चेंग्दू जे-20, आदि।

संयुक्त राज्य अमेरिका-चीन के छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान

- **संयुक्त राज्य अमेरिका: F-47 नामक अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान की योजना।**
- **चीन:** दिसंबर 2024 में छठी पीढ़ी के **दो प्रोटोटाइप लड़ाकू विमानों (J-36 और J-50)** की उड़ान का परीक्षण।
- छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एकीकरण, हाइपरसोनिक क्षमताओं, मानव रहित क्षमताओं** से लैस हैं।

4.4.4. लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम 'गौरव' (LONG-RANGE GLIDE BOMB 'GAURAV')

DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम 'गौरव' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

'गौरव' के बारे में

- **प्रकार:** लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम (LRGB)।
- **वजन:** 1,000 किलोग्राम श्रेणी।
- **रेंज:** यह लगभग **100 किलोमीटर** की रेंज में सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सफल रहा।
- **विकास:** इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।

4.4.5. Mk-II (A) DEW सिस्टम {MK-II(A) DEW SYSTEM}

DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में नेशनल ओपन एयर रेंज (NOAR) में **Mk-II(A) लेजर- डायरेक्टेड एनर्जी वेपन (DEW) सिस्टम** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

- इस परीक्षण के बाद **संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत दुनिया का ऐसा चौथा** देश बन गया है।

Mk-II (A) DEW सिस्टम के बारे में

- इसे **DRDO की हैदराबाद स्थित संस्था सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज (CHESS)** ने विकसित किया है।
- **संभावित लक्ष्य:** यह ड्रोन, मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को निष्क्रिय कर सकता है।
- **कार्य प्रणाली:** एक बार जब रडार या इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिक (EO) सिस्टम द्वारा लक्ष्य का पता लगा लिया जाता है, तब यह **तीव्र उच्च-ऊर्जा युक्त 30 किलोवाट लेजर बीम** छोड़ता है, जिससे संरचनात्मक विफलता होती है।
- **विशेषताएं:** यह अत्यधिक सटीकता से तीव्र गति से हमला करता है। इससे कुछ सेकंड के भीतर ही लक्ष्य ध्वस्त हो जाता है।

डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स (DEW) के बारे में

- ये लक्ष्यों को नष्ट करने या प्रभाव कम करने के लिए गतिज ऊर्जा की बजाय विद्युत चुम्बकीय या कण प्रौद्योगिकी से केंद्रित ऊर्जा का उपयोग करते हैं।
- **प्रकार:** हाई एनर्जी लेजर्स (HELS), हाई-पॉवर माइक्रोवेव वेपन्स (HPM), मिलीमीटर वेव्स, पार्टिकल बीम वेपन्स आदि।

DEW सिस्टम का महत्त्व:

- **युद्ध की आर्थिक संरचना में बदलाव की क्षमता:** महंगे गोला-बारूद पर निर्भरता कम होगी और यह अन्य ऑब्जेक्ट्स (कोलैटरल डैमेज) से होने वाले नुकसान को भी कम करेगा।
- **इलेक्ट्रॉनिक समस्या:** बिना किसी भौतिक विनाश के **रडार्स और संचार को निष्क्रिय** कर सकते हैं।
- **बहुमुखी उपयोग:** सामरिक वायु रक्षा, एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा और एंटी-सैटेलाइट (A-SAT) मिशन, भीड़ नियंत्रण को रोकने में उपयोगी हो सकते हैं।

4.4.6. प्रोजेक्ट वर्षा (PROJECT VARSHA)

प्रोजेक्ट वर्षा के अंतर्गत **INS वर्षा 2026 तक बनकर तैयार** हो जाएगा।

प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में

- यह एक **नौसैनिक परियोजना है,** जिसका उद्देश्य **भारत की जल के भीतर परमाणु क्षमताओं को मजबूत** करना है।
- **उद्देश्य:** 12 से अधिक **परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों (SSBNs)** के बेड़े को रखने के लिए एक **सुरक्षित भूमिगत बेस विकसित** करना।
- **स्थान: आंध्र प्रदेश** का तटीय गांव **रामबिल्ली।**
- **पश्चिमी तट** की सुरक्षा के लिए **कर्नाटक के करवार बेस को प्रोजेक्ट सीबर्ड** के तहत विकसित किया गया है, जो प्रोजेक्ट वर्षा के समान है। प्रोजेक्ट वर्षा **पूर्वी तट** की सुरक्षा के लिए है।

4.4.7. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (EXERCISES IN NEWS)

अभ्यास	विवरण
अभ्यास डेजर्ट फ्लैग-10	➲ **भारतीय वायु सेना** ने अभ्यास डेजर्ट फ्लैग-10 में भाग लिया। ➲ यह एक प्रमुख **बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास** है। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात (UAE) द्वारा किया गया था।
ऑपरेशन अटलांटा (operation ATALANTA)	➲ **यूरोपीय संघ नौसैनिक बल (EUNAVFOR) के ऑपरेशन अटलांटा** ने भारतीय नौसेना के साथ एक **संयुक्त अभ्यास का प्रस्ताव** दिया है। ➲ **फोकस: समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती (पायरेसी), मादक पदार्थों की तस्करी, गैर-कानूनी तरीके से मछली पकड़ना आदि।** ➡ यह ऑपरेशन **पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर क्षेत्र में** संचालित किया जाता है।
अभ्यास 'दस्तलिक' (Exercise 'Dustlik')	➲ यह **भारत और उज्बेकिस्तान का वार्षिक** संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह दोनों देशों **में बारी-बारी** से आयोजित होता है।
टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास (Exercise Tiger Triumph)	➲ **भारत और अमेरिका** के बीच **त्रि-सेवा अभ्यास का चौथा संस्करण विशाखापट्टनम तट** पर शुरू हुआ। ➲ **उद्देश्य:** मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) कार्यों के लिए अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) विकसित करना।
INIOCHOS-25	➲ भारतीय वायुसेना ने **ग्रीस की हेलेनिक एयर फोर्स** द्वारा आयोजित इस **वार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास** में भाग लिया। ➲ उद्देश्य: यह वायु युद्ध **कौशल बढ़ाने, सामरिक ज्ञान साझा करने और सैन्य संबंध मजबूत करने** के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

✓ सामान्य अध्ययन
✓ निबंध
✓ दर्शनशास्त्र

2025 | ENGLISH MEDIUM 15 JUNE | हिन्दी माध्यम 15 जून

2026 | ENGLISH MEDIUM 15 JUNE | हिन्दी माध्यम 15 जून

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

5.1. पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण (ECO-CENTRIC APPROACH)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने यह उल्लेख किया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायनिर्णय के क्षेत्र में भारत पहला देश है जिसने **मानव-केंद्रित (Anthropocentric) दृष्टिकोण** से हटकर **पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण** अपनाया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट ने **तेलंगाना** के **वन्यजीव वार्डन** को **कांचा गाचीबोवली 'वन' क्षेत्र** की 100 एकड़ वन भूमि के विनाश से प्रभावित वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
  - जब **तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास लगभग 400 एकड़ वन भूमि की नीलामी कर IT पार्क बनाने का प्रस्ताव** रखा, जिसके बाद **छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू** कर दिया।

पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में

- यह **सम्पूर्ण पारिस्थितिक-तंत्र के संरक्षण को प्राथमिकता** देता है एवं यह **प्रकृति को स्वयं में मूल्यवान** मानता है, न कि केवल मानव उपयोग के लिए। उदाहरण के लिए, **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1986) मामला।**
  - **इसके विपरीत,** मानव-केंद्रित दृष्टिकोण मनुष्यों की आवश्यकताओं को केंद्रीय मानता है।
- यह सोच **डीप इकोलॉजी मूवमेंट (अर्ने नेस द्वारा)** के अनुरूप है जिसमें प्रकृति को केवल मानव के लिए उपयोगी मानने के स्थान पर प्रकृति के अंतर्निहित मूल्य को स्वीकार किया गया है।
- यह विचार **हित सिद्धांत (Interest Theory)** के भी अनुरूप है, जिसके अनुसार किसी 'अधिकार' का उद्देश्य "अधिकार-धारक" (यानी प्राणी) के हितों को आगे बढ़ाना है।

मानव-केंद्रित और पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण के बीच अंतर

	मानव-केंद्रित	पारिस्थितिकी-केंद्रित
	कानूनी अधिकार कानूनी अधिकार केवल मनुष्यों या मानव हितों तक ही सीमित होते हैं।	प्रकृति (जैसे नदियां) के भी कानूनी अधिकार हो सकते हैं।
	नैतिक आधार मनुष्य को साध्य के रूप में माना जाता है। • दार्शनिक **इमैनुअल कांट ने** तर्क दिया कि मनुष्य का यह **स्पष्ट कर्तव्य है** कि वह लोगों को सदैव **साध्य के रूप में देखे, कभी भी मात्र साधन के रूप में नहीं।**	समतावादी (Egalitarian) दृष्टिकोण
	नीतिगत दृष्टिकोण पर्यावरण संरक्षण **प्रतिक्रियात्मक** और मानव-हित से प्रेरित है।	सक्रिय रूप से पारिस्थितिकी का संरक्षण।
	संरक्षण संबंधी रणनीति **उपयोगितावादी संरक्षण** (जो उपयोगी है उसका संरक्षण करना)।	**समग्र संरक्षण** (सभी जैव विविधता का समान रूप से संरक्षण करना)।
	उदाहरण इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना (संरक्षण को आर्थिक गतिविधि से जोड़ना)।	नदियों या वनों को कानूनी-व्यक्ति (लीगल एंटिटी) के समान अधिकार प्रदान करना। • उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना नदियों को "विधिक यानी जीवित व्यक्ति" का दर्जा प्रदान कर उन्हें उसके अनुरूप अधिकार प्रदान किए जाने का आदेश दिया है।

पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण का महत्व

- इसमें प्रकृति के अंतर्निहित मूल्य को स्वीकार किया जाता है।
- यह गवर्नेंस और कानून में व्याप्त कमियों को दूर करके वन्यजीव एवं जैव विविधता का संरक्षण करता है।
- यह पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को कानूनी फ्रेमवर्क के दायरे में लाती है।
- यह दृष्टिकोण भारत को वैश्विक पर्यावरणीय नैतिकता से जोड़ती है। उदाहरण के लिए, इक्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया जिसने अपने संविधान में प्रकृति के अधिकारों को मान्यता दी है।

पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण के लिए प्रमुख निर्धारक

- **संवैधानिक आधार:** अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A (g)।
- **न्यायिक सक्रियता:** बेजुबानों (जैसे; जानवर, जंगल) को आवाज दी। इसके अलावा, कार्यकर्ताओं द्वारा दायर PIL, आदि भी सहायक थीं।

- **पर्यावरणीय न्याय-निर्णय का विकास:** उदाहरणार्थ, **पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत** और **एहतियाती सिद्धांत।**
- **पर्यावरणीय क्षरण और पारिस्थितिकी संकट:** जैसे वनों की कटाई, नदी प्रदूषण, आदि।
- **सांस्कृतिक लोकाचार:** भारत की पारंपरिक विचारधारा में पर्यावरण को एक जीवित इकाई माना गया है और मनुष्य उसका एक हिस्सा है न कि उससे श्रेष्ठ है।
- **विधायी उपाय:** उदाहरणार्थ, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (1960); वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (1972), आदि।

पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य (1996):** 'वन' की परिभाषा का विस्तार किया गया।
- **WWF-I बनाम भारत संघ एवं अन्य, सुप्रीम कोर्ट (2013):** 'प्रजातियों के सर्वोत्तम हित मानक' का उदाहरण दिया गया।
- **भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराज (2014):** सुप्रीम कोर्ट ने इंसान की परंपराओं (जैसे, जल्लीकट्टू) के ऊपर पशुओं के अधिकारों को प्राथमिकता दी।
- **एन.आर. नायर बनाम भारत संघ (2000):** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पशु सचेत प्राणी हैं और उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार है।

निष्कर्ष

भारत की न्यायपालिका द्वारा पारिस्थितिक तंत्र को केंद्र में रखकर निर्णय लेना एक बड़ा और परिवर्तनकारी कदम है। यह प्रकृति के अपने आप में मूल्यवान होने को मान्यता देता है। यह हमारे संविधान की उस सोच को फिर से मजबूत करता है जिसमें मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलित सह-अस्तित्व की बात की गई है।

5.2. उद्योगों का संशोधित वर्गीकरण (REVISED CLASSIFICATION OF INDUSTRIES)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स (SPCBs) को उद्योगों का संशोधित वर्गीकरण** अपनाने का निर्देश दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- संशोधित वर्गीकरण, पारदर्शी कामकाज तथा व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है।
- नए वर्गीकरण में, **CPCB ने कुल 419 क्षेत्रकों को रेड (125), ऑरेंज (137), ग्रीन (94), व्हाइट (54) और ब्लू (9)** श्रेणी में वर्गीकृत किया है। **ब्लू श्रेणी को** हाल ही में शामिल किया गया है।
- **CPCB ने प्रदूषण सूचकांक (PI)** पर आधारित **संशोधित कार्य-प्रणाली को अपनाया** है।
- पर्यावरण प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्योगों के लिए प्रोत्साहन: **उदाहरण के लिए**, रेड श्रेणी के लिए **कंसेंट टू ऑपरेट (CTO)** परमिट अधिकतम 10 वर्षों की वैधता के लिए दिया जा सकता है।

उद्योगों का वर्गीकरण

- **पृष्ठभूमि:** इसकी शुरुआत 1989 में **MoEFCC** द्वारा जारी की गई **दून घाटी (उत्तराखंड) अधिसूचना के साथ हुई थी।** PI-आधारित **वर्गीकरण की शुरुआत 2016 में की गई थी।**
- **उद्देश्य:** यह सुनिश्चित करना कि उद्योग की स्थापना पर्यावरणीय उद्देश्यों के अनुरूप हो। यह वर्गीकरण **सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रक के लिए है, न कि अलग-अलग इकाइयों के लिए।**
- **वर्गीकरण का उपयोग/ प्रासंगिकता:** उद्योगों की स्थापना हेतु स्थल निर्धारण में; क्षेत्रक विशेष क्लस्टर योजना बनाने में, आदि।

ब्लू श्रेणी के बारे में

- इसमें घरेलू/ औद्योगिक अपशिष्ट प्रदूषण का प्रबंधन के लिए **आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं (ESSs) को शामिल किया गया है।** उदाहरण के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नगरपालिका अपशिष्ट सुविधाएं (लैंडफिल)।
  - कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट (नगरपालिका/कृषि अपशिष्ट पर आधारित) **'ब्लू श्रेणी'** में हैं। औद्योगिक अपशिष्ट कंप्रेस्ड बायोगैस **'रेड श्रेणी'** में बने हुए हैं।
- **उद्देश्य:** वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- **मुख्य लाभ:** CTO वैधता- अन्य श्रेणियों की तुलना में 2 वर्ष अधिक।

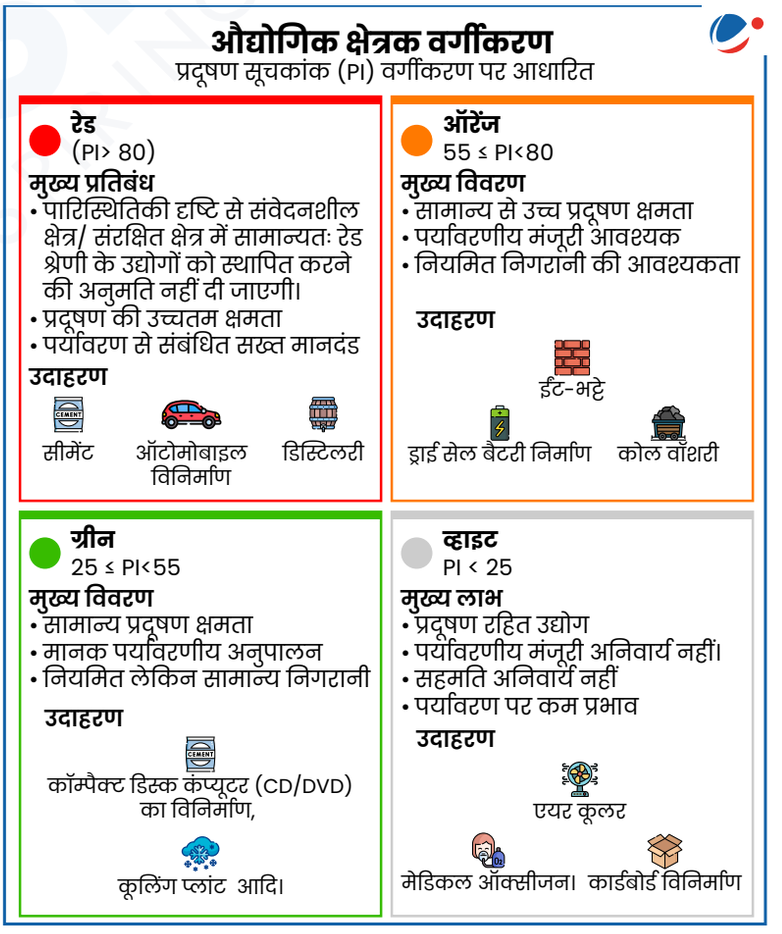

5.3. बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (BIO-INPUT RESOURCE CENTRES)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने **राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)** के अंतर्गत **बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स (BRCs) की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।**

बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स (BRCs) के बारे में

- BRC **क्लस्टर-स्तरीय उद्यम** होते हैं। ये किसानों को किसी निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में परीक्षण किए गए और स्थानीय रूप से तैयार जैविक तत्वों से बने इनपुट/ फार्मूलेशन को खरीदने के लिए उपलब्ध कराते हैं।
- **केंद्रीय बजट 2023-24 में** सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत **10,000 BRCs** स्थापित करने की घोषणा की थी।

BRCs द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाएं

- **जैव-उर्वरकों** और **जैव-कीटनाशकों की किस्मों को संरक्षित करना** तथा उनकी बिक्री करना ताकि उनकी संख्या अधिक की जा सके और यह अधिक किसानों को प्राप्त हो सके।
- **तत्काल उपयोग** के लिए बायो इनपुट्स तैयार करना और बिक्री करना
- **किसानों** को वनस्पति अर्क और पशु आधारित इनपुट्स तैयार करने का **प्रशिक्षण देना**
- प्राकृतिक कृषि पद्धतियों पर **ज्ञान साझा करना**
- फेरोमोन ट्रैप्स, ल्यूर, स्टिकी ट्रैप्स और अन्य सामग्री की **बिक्री करना**

मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नज़र:

- **वित्तीय सहायता:** प्रति BRC 1 लाख रुपये (अवसंरचनाओं की लागत को छोड़कर)।
- **अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ समन्वय:** उदाहरण के लिए- उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन, **राष्ट्रीय तिलहन मिशन** आदि।
- **बायो-इनपुट तैयार करना:** स्थानीय आवश्यकताओं, भूमि उपयोग पैटर्न, मृदा के प्रकार और फसल प्रणालियों को ध्यान में रखकर इनपुट तैयार किए जाएंगे।
- **BRCs का संचालन कौन कर सकता है:** ग्राम पंचायत स्तर पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसान, FPOs, SHGs, सहकारी समितियां, गौशालाओं सहित कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) आदि।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) के बारे में

- **उद्देश्य:** सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्राकृतिक कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना।
- **योजना का प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना। (केंद्र और राज्य द्वारा वित्त-पोषण: पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 तथा शेष सभी राज्यों के लिए 60:40)।
- **कार्य अवधि:** 2025-26 तक
- **राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC):** राष्ट्रीय स्तर पर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में।

प्रमुख लक्ष्य: इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 क्लस्टर्स; एक करोड़ किसानों को लाभान्वित करना तथा 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू करना; लगभग 2000 प्राकृतिक खेती संबंधी मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित करना;

5.4. फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन (FUNCTIONAL DE-EXTNICTION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक अमेरिकी बायोटेक कंपनी **कोलोसल बायोसाइंसेस** का दावा है कि उसने आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग करके ग्रे वुल्फ से जन्मे तीन बच्चों में विलुप्त डायर वुल्फ की विशेषताओं को शामिल किया है। इसलिए इसे दुनिया का पहला सफल **फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन** कहा जा रहा है।

फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन क्या होता है?

- ट्रू डी-एक्सटिंक्शन के विपरीत, **फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन में** जीन एडिटिंग और क्लोनिंग तकनीकों का उपयोग करके विलुप्त प्रजातियों की **पारिस्थितिक भूमिकाओं और लक्षणों को पुनर्जीवित करने** पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ।
- इन पुनर्जीवित जीवों को सटीक प्रतिरूप नहीं माना जाता, बल्कि इन्हें विलुप्त प्रजातियों से मिलते-जुलते रूप या कार्यों के लिए आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किया जाता है।
- **इसमें CRISPR जीन एडिटिंग, क्लोनिंग** और **जीनोम मैपिंग** जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

डायर वुल्फ के बारे में

- **डायर वुल्फ (Aenocyon dirus):** ये बड़े आकर के भेड़िये थे, जो दक्षिणी कनाडा और अमेरिका में पाए जाते थे। ये आज से लगभग 13,000 साल पहले विलुप्त हो गए।
- **शारीरिक विशेषताएं:** ये 3.5 फीट तक ऊंचे, 6 फीट से ज्यादा लंबे और लगभग 68 किलोग्राम वजन के होते थे।

- **ग्रे वुल्फ के साथ तुलना:** डायर वुल्फ आज के **ग्रे वुल्फ** (कैनिस ल्यूपस) **जैसे दिखते थे**। हालांकि ग्रे वुल्फ की तुलना में इनका आकार बड़ा, सफेद फर वाला बाहरी आवरण, चौड़ा सिर, बड़े दांत, अधिक शक्तिशाली कंधे और सुडौल पैर आदि थे।
- **विलुप्त होने के कारण:** इनका आहार बनने वाली बड़ी शिकार प्रजातियों का विलुप्त होना और इंसानी गतिविधियां।

कोलोसल बायोसाइंसेस कैसे डायर वुल्फ को वापस लाया?

- प्राचीन DNA सैंपल्स के आधार पर क्लोनिंग और जीन-एडिटिंग तकनीक का उपयोग किया गया:
- **प्राचीन DNA प्राप्त करना:** ओहायो से 13,000 साल पुराना एक दांत और आइडाहो से 72,000 साल पुरानी एक कान की हड्डी से।
- **जीनोम मैपिंग:** डायर वुल्फ के जीनोम का अनुक्रमण किया गया और इसकी आधुनिक ग्रे वुल्फ के साथ तुलना की गई।
- **CRISPR जीन एडिटिंग:** ग्रे वुल्फ के जीन को एडिट करके डायर वुल्फ के विशिष्ट जीन वेरिएंट को शामिल किया गया।
- **क्लोनिंग एवं जन्म:** एडिटेड DNA को **केन्द्रक रहित अंडाणु (Enucleated ova) में प्रत्यारोपित किया गया और इन्हें मादा कुत्ते के गर्भ में प्रतिस्थापित किया गया। इससे रोमुलस, रेमस** और **खलेसी** नामक तीन शावकों का जन्म हुआ।
  - पारंपरिक क्लोनिंग तकनीक के बजाय, वैज्ञानिकों ने एक कम इनवेसिव विधि का उपयोग किया जिसमें ग्रे वुल्फ से एंडोथेलियल प्रोगेनिटर कोशिकाओं (EPCs) का उपयोग किया गया।

फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन (कार्यात्मक पुनर्जीवन) का महत्त्व

- यह खाद्य श्रृंखला, पोषक चक्र आदि को पुनर्बहाल करने के लिए फंक्शनल प्रॉक्सी को प्रस्तुत करके **पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली** करता है।
- **खाली निकेत (Niche) में जीवों को बसाकर** जैव विविधता में वृद्धि करता है।
- बीमारी प्रतिरोधकता या जैव विविधता को बढ़ाने के लिए संरक्षण का एक साधन प्रदान करता है।

फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन के बारे में चिंताएं

- **पारिस्थितिकीय विघटन:** "डी-एक्सटिंक्ट" प्रजातियां पूर्णतः विलुप्त प्रजातियों की भूमिका को पूरी तरह से दोहरा नहीं सकती हैं। ये मौजूदा पारिस्थितिकीय संतुलन को बिगाड़ भी सकती हैं।
- **नैतिक चिंताएं:** पशु कल्याण से संबंधित चिंताएँ, क्योंकि इसमें गंभीर आनुवंशिक परिवर्तन शामिल होते हैं।
- **संसाधनों पर दबाव:** डी-एक्सटिंक्शन परियोजनाओं पर खर्च किए गए संसाधन को वर्तमान संकटों का सामना कर रहे मौजूदा संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण में बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **विनियमन का अभाव:** डी-एक्सटिंक्शन के लिए कोई स्पष्ट वैश्विक नैतिक या कानूनी फ्रेमवर्क की कमी है।
- **फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन का महत्त्व:** पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए संरक्षण उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

निष्कर्ष

डी-एक्सटिंक्शन की सफलता वास्तव में वैज्ञानिक इनोवेशन को पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी नैतिकता और संधारणीय तरीके से संरक्षण की जिम्मेदारी के साथ संतुलित करने पर निर्भर करती है।

5.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

5.5.1. कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण {COMMAND AREA DEVELOPMENT AND WATER MANAGEMENT (M-CADWM)}

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण (M-CADWM)' योजना को मंजूरी दी।

- **M-CADWM को 2025-2026 के लिए PMKSY की एक उप-योजना के रूप में मंजूरी** दी गई है।
- **PMKSY** को **खेतों तक पानी को पहुँचाने और सिंचित क्षेत्रों का विस्तार** करने के लिए 2015-16 में लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआत **2015-16** में की गई थी।

M-CADWM के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **उद्देश्य:** सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना, ताकि मौजूदा नहरों या अन्य स्रोतों से सिंचाई जल को नामित क्लस्टर में पहुंचाया जा सके।
- **प्रणाली: अंडरग्राउंड प्रेसराइज़्ड पाइप्ड सिंचाई** के माध्यम से किसानों की **1 हेक्टेयर तक की भूमि को सूक्ष्म-सिंचाई सुविधा** उपलब्ध कराई जाएगी।
- **प्रौद्योगिकी:** जल-उपयोग की निगरानी (वाटर एकाउंटिंग) और जल प्रबंधन के लिए SCADA और IoT
- **योजना के संभावित लाभ:**
  - **खेतों की जल उपयोग दक्षता (WUE) में सुधार होगा;** कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी; आदि।
  - **संधारणीय कृषि:** सिंचाई प्रबंधन की जिम्मेदारी **जल-उपयोग समितियों (WUS)** को हस्तांतरित करता है। आर्थिक व्यवहार्यता के लिए WUS को FPO से जोड़ता है।
  - आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाने से **युवाओं को कृषि गतिविधियों में आकर्षित** किया जा सकेगा।

कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (CAD&WM) कार्यक्रम के बारे में

- **शुरुआत:** इसे **1974-75** में शुरू किया गया था। वर्ष **2004** में बदलाव लाकर इसे वर्तमान नाम - CAD&WM कार्यक्रम - दिया गया।
- **उद्देश्य:** विकसित सिंचाई सुविधाओं की क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना और सतत रूप से **कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि** करना।
- इसे **2015-16 से प्रधान-मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के 'हर खेत को पानी' घटक** के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।

- **इस योजना के निम्नलिखित दो उप-घटक हैं:**
  - **सिंचाई संरचना का विकास:** खेत में सिंचाई सुविधाओं का विकास; फील्ड, इंटरमीडिएट व लिंक नहरों का निर्माण करना; आदि।
  - **गैर-संरचनात्मक उपाय:** पंजीकृत जल उपयोगकर्ता समितियों को एकमुश्त अनुदान देना; जल उपयोग दक्षता पर प्रशिक्षण प्रदान करना; खेतों में इसे वास्तविक रूप में दर्शाना और इसे अपनाने का परीक्षण करना।

5.5.2. ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड (GREEN MUNICIPAL BONDS)

गाजियाबाद नगर निगम ने भारत के पहले प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड की शुरुआत की।

- इसे **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी** के तहत जारी किया गया। इससे अत्याधुनिक **टर्शियरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (TSTP)** के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये जुटाए गए।
- TSTP यह सुनिश्चित करेगा कि **उपचारित जल उच्चतम मानकों को पूरा करे।**
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (PPP-HAM) के तहत 40% नगरपालिका वित्त-पोषण** के साथ विकसित किया गया था।

ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड (GMB)

- म्युनिसिपल बॉण्ड **ऐसी गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां हैं** जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद **243W के तहत नगरपालिका निकायों द्वारा जारी की जाती** हैं।
- **ग्रीन बॉण्ड** का उपयोग **विशेष रूप से जलवायु शमन, अनुकूलन और अन्य पर्यावरण अनुकूलन एवं कम कार्बन उत्सर्जक परियोजनाओं (विश्व बैंक)** के लिए धन जुटाने हेतु किया जाता है।

GMB का महत्त्व

- **सतत विकास:** निवेशक अपनी निवेश प्रक्रियाओं में **पर्यावरणीय, सामाजिक एवं गवर्नेंस (ESG)** कारकों को एकीकृत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
- **कम लागत व दीर्घकालिक पूंजी:** वे **अन्य बॉण्ड्स के साथ लागत-प्रतिस्पर्धी** होते हैं तथा **वाणिज्यिक बैंकों के ऋण की तुलना में कम ब्याज दर पर पूंजी** प्रदान कर सकते हैं।
- **निवेशक आधार को व्यापक बनाना:** घरेलू बैंक ऋण जैसे मौजूदा पारंपरिक वित्त-पोषण स्रोत क्षमता वृद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

GMB के माध्यम से पूंजी जुटाने के समक्ष चुनौतियां: कमजोर राजकोषीय स्थिति, आंतरिक क्षमता से राजस्व सृजन क्षमता का अभाव, वित्तीय अनुशासन की कमी, आदि।

5.5.3. सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व (SIMILIPAL TIGER RESERVE)

ओडिशा सरकार ने **सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क** अधिसूचित किया।

- **2,750 वर्ग कि.मी. के इस टाइगर रिजर्व में से 845.70 वर्ग कि.मी.** को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस तरह **सिमिलिपाल ओडिशा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क** बन गया है। **भितरकनिका** का क्षेत्रफल इससे **कम** है।
- सिमिलिपाल **भारत का 107वां और ओडिशा का दूसरा नेशनल पार्क** है।

सिमिलिपाल वन के बारे में

- **अवस्थिति:** सिमिलिपाल नेशनल पार्क **ओडिशा के मयूरभंज जिले में छोटानागपुर क्षेत्र** में स्थित है।
- **मुख्य नदियां: बुद्धबलंगा, पलपला, बंदन, सालंदी, कहैरी और देव** नदी।
- सिमिलिपाल **वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व (यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत, 2009 से) और मयूरभंज हाथी रिजर्व के हिस्से** के रूप में संरक्षित है।

नेशनल पार्क क्या होता है?

- ऐसा अधिसूचित क्षेत्र जिसे उसकी **पारिस्थितिकी तथा उसमें पाए जाने वाले जीव-जंतु, वनस्पति, स्थलाकृति या वन्य-जीवों की वैज्ञानिक महत्ता** के कारण उसके **वन्य-जीवों और पर्यावरण को सर्वोत्तम संरक्षण** प्रदान किया जाता है।
- **मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर** अन्य इंसानी गतिविधि निषिद्ध होती है।
- **वन अधिकार अधिनियम 2006** के तहत, कुछ आदिवासी समूहों को भीतर रहने की अनुमति है।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत **राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित**।
- नेशनल पार्क की सीमाओं में परिवर्तन के लिए **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुशंसा** की आवश्यकता होती है।

सिमिलिपाल की जैव-विविधता

- **वनस्पति:** आर्द्र मिश्रित पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय अर्द्ध-सदाबहार वन; शुष्क पर्णपाती वन (जैसे- साल वृक्ष); घास के मैदान आदि।
- **वन्य-जीव:** सिमिलिपाल में विशेष रूप से **मेलानिस्टिक बाघ** भी पाए जाते हैं। यहां पाए जाने वाले अन्य जानवरों में **फिशिंग कैट, बार्किंग डियर, माउस डियर** आदि शामिल हैं।

5.5.4. गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य (GANDHI SAGAR WILDLIFE SANCTUARY)

चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान से कुछ **चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित** करने को मंजूरी दी।

गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- **भौगोलिक:** गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य **पूर्वी मध्य प्रदेश** में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के दो जिलों यानी **मंदसौर और नीमच** में फैला हुआ है। इस क्षेत्र को **निमाड़ क्षेत्र** के नाम से भी जाना जाता है।
- **प्रकार:** इस अभयारण्य के वन **खटियार-गिर शुष्क पर्णपाती वन** का हिस्सा हैं।
- **नदी:** इससे होकर **चम्बल नदी** बहती है।
- **बांध:** यह अभयारण्य **गांधी सागर बांध** के कारण बने जलाशय के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- **वृक्ष:** सलाई, करधई, धावड़ा, तेंदू, पलाश आदि।
- **वन्य जीव:** जंगली कुत्ते (ढोल), चिंकारा, तेंदुआ, ऊदबिलाव, मगरमच्छ आदि।
- **ऐतिहासिक:** यह विश्व प्रसिद्ध **चतुर्भुजनाथ नाला शैलाश्रयों** का हिस्सा है।

5.5.5. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (INTERNATIONAL BIG CAT ALLIANCE)

भारत और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) ने 'मुख्यालय समझौते' पर हस्ताक्षर किए।

- इस समझौते के माध्यम से **IBCA का मुख्यालय और सचिवालय** भारत में स्थापित किए जाएंगे।

- इससे IBCA को अपने आधिकारिक कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने में मदद मिलेगी।

समझौते के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- यह IBCA सचिवालय और कर्मियों, परिसरों आदि को दिए जाने वाले **वीजा, विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों** से संबंधित है।
- भारत **IBCA को 2023-24 से 2028-29 तक 5 वर्षों** के लिए एक कोष बनाने, अवसंरचना के निर्माण और आवर्ती (नियमित) व्यय को पूरा करने के लिए **150 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन** प्रदान करेगा।

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA)

- **मुख्यालय:** भारत
- **स्थापना:** इसे **प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष** पूरे होने के उपलक्ष्य में **2023 में भारत** ने शुरू किया था।
- **संस्था का प्रकार: पूर्ण संधि आधारित अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संस्था।**
- **सदस्य: 7 देशों (निकारागुआ, एस्वातिनी, भारत, सोमालिया, लाइबेरिया, गिनी और कंबोडिया)** ने औपचारिक रूप से इसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **उद्देश्य:** सात बड़ी बिडाल (बिग कैट) प्रजातियों **(बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा)** के संरक्षण को बढ़ावा देना। इनमें से केवल **5 प्रजातियां- बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता** भारत में पाई जाती हैं।

बिग कैट्स के संरक्षण के लिए शुरू किए गए अन्य प्रयास

- **बाघों के संरक्षण के लिए सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा (2010): 13 टाइगर रेंज वाले सदस्य देशों ने Tx2 लक्ष्य** पर सहमति व्यक्त की है। 'Tx2 लक्ष्य' **2022 तक विश्व में जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने** की वैश्विक प्रतिबद्धता है।
- **भारत:** प्रोजेक्ट टाइगर (1973); एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लायन (2020), आदि।

5.5.6. ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क (GLOBAL GEOPARKS NETWORK: GGN)

यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क (UGGP) की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर यूनेस्को ने 11 देशों के 16 नए स्थलों को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क (GGN) में शामिल किया है।

GGN के बारे में

- यह यूनेस्को के तहत स्थापित एक **गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ** है। यह उन नैतिक मानकों की स्थापना करता है जिन्हें ग्लोबल जियोपार्क्स द्वारा अपनाया जाना चाहिए।

GGN में शामिल किए गए प्रमुख जियोपार्क्स

- **कंबुला (चीन):** यह **किंघई-तिब्बत पठार** के किनारे स्थित है। इसमें बेहतर तरीके से संरक्षित **प्राचीन मैक्सिउ ज्वालामुखी** और **येलो रिवर के क्षेत्र** शामिल हैं।
- **माउंट पैक्टू (उत्तर कोरिया):** 1000 ई. के विशाल "मिलेनियम उद्गार" का स्थान।
- **उत्तरी रियाद (सऊदी अरब):** प्राचीन प्रवाल भित्तियों के पारिस्थितिक तंत्र एवं महत्वपूर्ण जल भंडारों वाली ओबैथरान घाटी (वादी ओबैथरान)।

यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क (UGGP) के बारे में

- यूनेस्को के भू-विज्ञान कार्यक्रम के तहत **2015 में** बनाया गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व** वाले एकीकृत क्षेत्रों के रूप में परिभाषित, संरक्षण, शिक्षा और संधारणीयता के लिए प्रबंधित।
- **4-वर्षीय पुनर्मूल्यांकन** और GGN की अनिवार्य सदस्यता की आवश्यकता है।

5.5.7. वैश्विक पोत परिवहन के लिए नेट-जीरो फ्रेमवर्क (NET ZERO FRAMEWORK FOR GLOBAL SHIPPING)

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने वैश्विक पोत परिवहन के लिए **दुनिया के पहले नेट-जीरो फ्रेमवर्क** को मंजूरी दी। यह **संपूर्ण उद्योग क्षेत्रक में अनिवार्य उत्सर्जन सीमा और GHG मूल्य निर्धारण** का प्रावधान करता है।

- पोत परिवहन **वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में लगभग 3%** का योगदान देता है।

मुख्य विशेषताएं

- **MARPOL/ मार्पोल के एनेक्स VI** (जहाज वायु प्रदूषण नियम) में शामिल किया जाएगा।
- **उद्देश्य: 2050** के आसपास या उससे पहले **शून्य उत्सर्जन** प्राप्त करना; 2027 से लागू (अक्टूबर 2025 को अपनाया गया)।
- यह **5,000 सकल टन से अधिक बड़े समुद्री जहाजों** के लिए अनिवार्य हो जाएगा, (शिपिंग उत्सर्जन का 85% कवर करता है)।
- **वैश्विक ईंधन मानक के अनुपालन की आवश्यकता है + वैश्विक आर्थिक उपाय।**
- **नेट-ज़ीरो फंड:** उत्सर्जन मूल्य निर्धारण से प्राप्त राशि जमा की जाएगी।

MARPOL के बारे में

- MARPOL **एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन** है। इसका उद्देश्य संचालन या दुर्घटना के कारण जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम करना है। इसे **1973 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन** द्वारा अपनाया गया था।
- **MARPOL को छह एनेक्स में बांटा** गया है तथा प्रत्येक एनेक्स अलग प्रकार के प्रदूषण से निपटने से संबंधित है।

5.5.8. वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर WHO वैश्विक सम्मेलन (WHO GLOBAL CONFERENCE ON AIR POLLUTION AND HEALTH)

दूसरा **"वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर WHO वैश्विक सम्मेलन" कोलंबिया के कार्टजिना में आयोजित** हुआ।

सम्मेलन के बारे में

- WHO **और कोलंबिया** तथा अन्य यू.एन. एजेंसियों जैसे UNEP, WMO आदि द्वारा सह-आयोजित।
- **उद्देश्य: स्वच्छ वायु और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्ति** के लिए तथा **जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए** कार्यवाहियों में तेजी लाना।

सम्मेलन के मुख्य आउटकम्स

- 50 से अधिक देशों ने **'वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों' को 2040 तक 50% तक कम करने के साझा लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता** व्यक्त की।
- भारत ने **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)** के लक्षित उपायों के माध्यम से 2040 तक वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

5.5.9. बाकू टू बेलेम रोडमैप (BAKU TO BELEM ROADMAP)

भारत ने ब्रिक्स देशों से **2035 तक जलवायु वित्त-पोषण के लिए प्रति वर्ष 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने हेतु 'बाकू टू बेलेम रोडमैप' पर एकजुट होने** की अपील की है। भारत के अनुसार इससे **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) लक्ष्यों को पूरा** करने में मदद मिलेगी।

'बाकू टू बेलेम रोडमैप' के बारे में

- **अजरबैजान के बाकू** में आयोजित **UNFCCC COP-29'** में इस नए वैश्विक वित्त-पोषण लक्ष्य और फ्रेमवर्क पर सहमति बनी थी। इसका उद्देश्य **ब्राजील के बेलेम** में आयोजित होने वाले आगामी **COP-30** तक जलवायु वित्त-पोषण के लक्ष्य को बढ़ाना है।
- इस रोडमैप का उद्देश्य विकासशील देशों को **कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करने वाले और जलवायु-परिवर्तन-अनुकूल विकास पथ अपनाने** के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे ये देश अपने **'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)' लक्ष्यों को प्रभावी रूप से लागू** कर सकेंगे।

5.5.10. AIM4NatuRe पहल (AIM4NATURE INITIATIVE)

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल) पर 'एक्सीलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन (AIM4NatuRe)' पहल शुरू की।

AIM4NatuRe पहल के बारे में

- AIM4NatuRe का अर्थ है- **एक्सीलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन (प्रकृति पुनर्स्थापन के लिए अभिनव निगरानी को तेज करना)**।
- **उद्देश्य:** वैश्विक पारिस्थितिकी-तंत्र पुनर्बहाली प्रयासों की निगरानी और रिपोर्टिंग में सुधार करना। यह पहल **वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF) के लक्ष्य 2 में उल्लिखित 2030 तक कम-से-कम 30% खराब पारिस्थितिकी-तंत्र को पुनर्स्थापित** करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक, मानकीकृत डेटा फ्रेमवर्क और क्षमता विकास का लाभ उठाएगी।
- यह FAO के **AIM4Forests कार्यक्रम का हिस्सा** है, जो प्रकृति पुनर्स्थापन निगरानी के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु वनों से परे दायरे का विस्तार करता है।

5.5.11. गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र (VULTURE CONSERVATION AND BREEDING CENTRE: VCBC)

पिंजौर (हरियाणा) स्थित गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र (VCBC) से **34 क्रिटिकली एंडेंजर्ड गिद्धों को महाराष्ट्र स्थानांतरित** किया गया।

गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र (VCBC), पिंजौर के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे वर्ष **2001 में यूनाइटेड किंगडम सरकार के 'डार्विन इनिशिएटिव फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़'** फंड द्वारा स्थापित किया गया।
- **साझेदार:** इसे **हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BHNS)** ने संयुक्त रूप से स्थापित किया है।
- **लक्ष्य:** गिद्धों की **तीन प्रजातियों (सफेद पुट्ठे वाले गिद्ध, लंबी चोंच वाले गिद्ध और पतली चोंच वाले गिद्ध)** को बचाना।
- **अवस्थिति: बीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य, हरियाणा।**
- **उपलब्धि:** इसके द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि **डाईक्लोफेनाक (एक गैर-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा) गिद्धों की मृत्यु** का मुख्य कारण थी।

5.5.12. स्मॉल हाइव बीटल {SMALL HIVE BEETLE (SHB)}

स्मॉल हाइव बीटल (एथिनाट्मिडा) को भारत में पहली बार **पश्चिम बंगाल** में देखा गया। यह एक **विदेशी या गैर-स्थानिक बीटल** है।

SHB के बारे में

- **मूल स्थान:** उप-सहारा अफ्रीका जहाँ यह **शायद ही कभी नुकसान पहुंचाता** है, लेकिन **दूसरे क्षेत्रों में यह भारी तबाही** मचाता है।
- **विशेषताएं: अंडाकार** आकार, **लाल-भूरा रंग** और **लंबाई 5 से 7 मि.मी.** तक होती है। इसका जीवनचक्र **अंडा, लार्वा, प्यूपा और व्यस्क** के चरणों से गुजरता है।
- **नुकसान:** स्मॉल हाइव बीटल की मादाएं मधुमक्खियों के छत्तों में **दरारों और सुराखों से प्रवेश** करती हैं और अंडे देती हैं। अंडों से निकलने वाले लार्वा **संग्रहीत शहद, पराग और मधुमक्खियों के अंडों को खा** जाते हैं, और **छत्तों में मल त्यागते हैं।** इससे **शहद मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त** हो जाता है।

5.5.13. अरल सागर (ARAL SEA)

शोध से पता चला है कि **अरल सागर के सूख जाने के बाद उसके बेसिन की भूमि ऊंची** हो रही है, जो संभावित **भूवैज्ञानिक बदलाव** का संकेत है।

अरल सागर के बारे में

- यह **कभी मध्य एशिया में खारे पानी की बड़ी झील** थी।
- **अवस्थिति: कजाकिस्तान (उत्तर) और उज्बेकिस्तान (दक्षिण)** की सीमा पर अवस्थित है। इसे मुख्य रूप से **अमू दरिया और सिर दरिया** नदियों से पानी मिलता था।
- **सूखने का कारण: सोवियत संघ के दौर में, अमू दरिया और सिर दरिया** नदियों का पानी **खेती के लिए मोड़ दिया गया**, जिससे अरल सागर धीरे-धीरे सूख गया।
- सूखने के बाद यह सागर **खतरनाक अरलकुम रेगिस्तान** में बदल गया है। आज यह क्षेत्र **दुनिया के प्रमुख धूल-उत्पादक क्षेत्रों** में से एक माना जाता है।

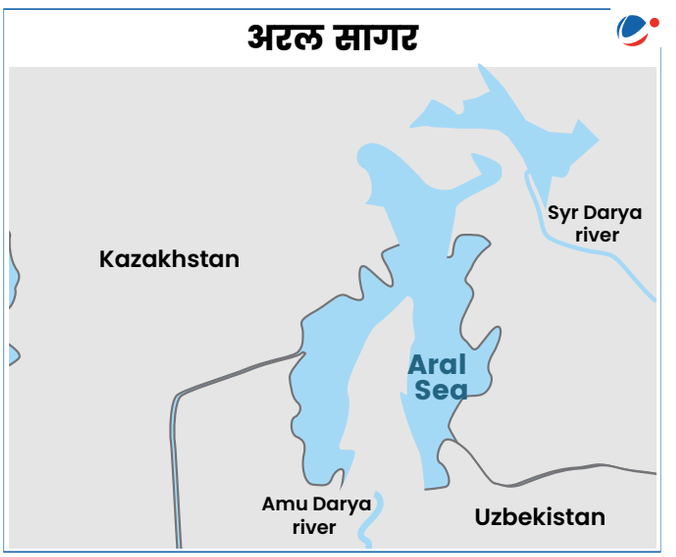

5.5.14. गुजरात में पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग मार्केट (PARTICULATE EMISSION TRADING MARKET IN GUJARAT)

एक नए अध्ययन से पता चला है कि **2019 में शुरू की गई सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम (ETS) पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन को नियंत्रित** करने में सफल रही है।

- इसकी वजह से **प्रदूषण रोकथाम लागत में भी 10% से अधिक की गिरावट** आई है। साथ ही, इसमें शामिल उद्योग अब पर्यावरण कानूनों का बेहतर ढंग से पालन कर रहे हैं।

सूरत ETS के बारे में

- **एक नज़र:** यह **दुनिया का पहला बाजार है, जहां पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन का व्यापार** किया जाता है। यह भारत की किसी भी तरह की **पहली प्रदूषण ट्रेडिंग योजना** है। ETS की अवधारणा सबसे पहले **अमेरिका में सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) प्रदूषण को रोकने** के लिए शुरू की गई थी।
- **उद्देश्य: प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत** के अनुसार वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाना।
- **कार्य प्रणाली:** कैप-एंड-ट्रेड सिस्टम (EU/चीन में प्रयुक्त), जिसमें NeML के प्लेटफॉर्म पर परमिट का कारोबार होता है।
- **अनुपालन:** संस्थाएं उद्योग के आकार के अनुसार **'पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि'** जमा करती है।

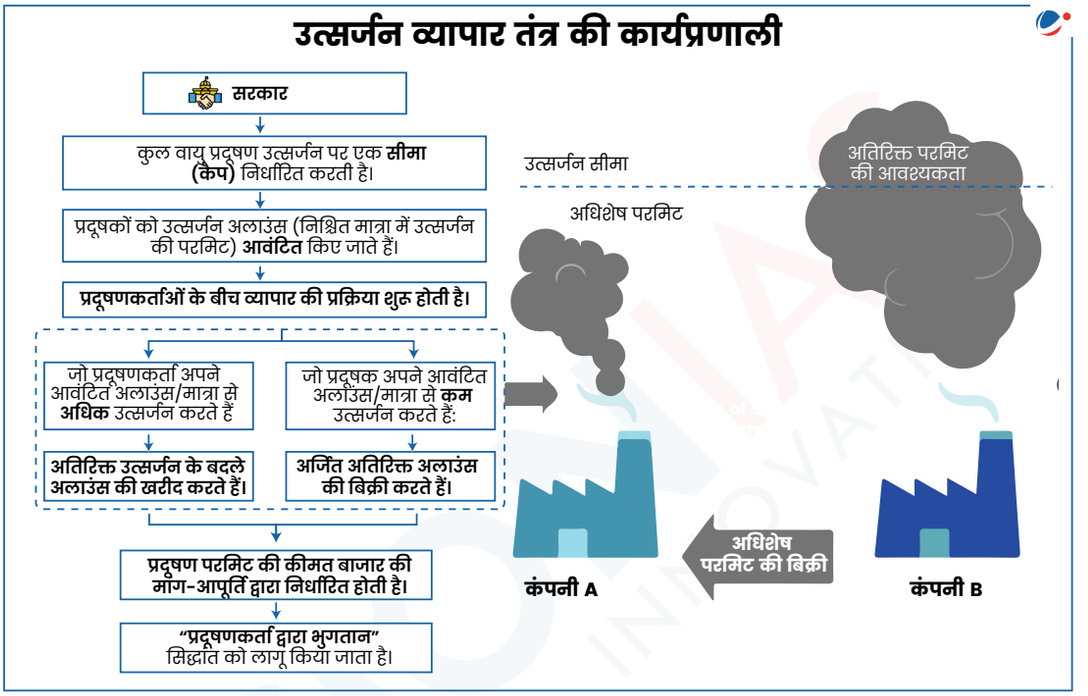

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2026
ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली
30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट
2026 | ENGLISH MEDIUM 15 JUNE | हिन्दी माध्यम 15 जून
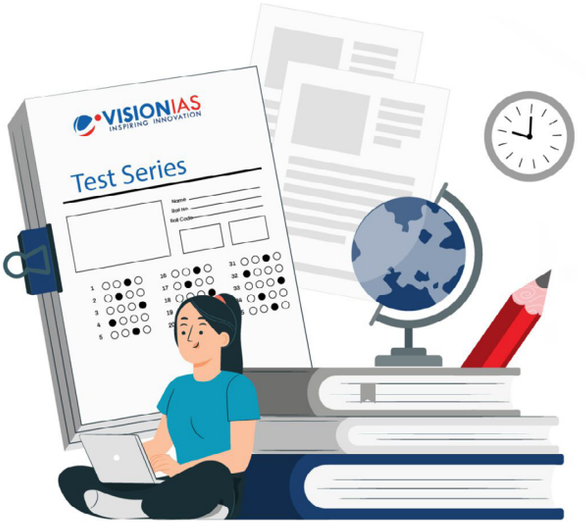

6.1. कार्यस्थल ऑटोमेशन (WORKPLACE AUTOMATION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियां जनरेटिव AI सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी नई प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपना रही हैं, जिससे ग्राहक संपर्क और कार्यस्थल दक्षता में सुधार हो रहा है। हालांकि कर्मचारियों पर इसकी वजह से पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

कार्यस्थल ऑटोमेशन के बारे में

- **आशय:** यह **मानव के न्यूनतम हस्तक्षेप** के साथ कार्यों और प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, ऑग्मेंटेड रियलिटी, आदि जैसी **प्रौद्योगिकियों का उपयोग** है।
- **भारत और ऑटोमेशन:** वित्त वर्ष 2029 तक भारत के औद्योगिक ऑटोमेशन बाजार का आकार 29.43 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की संभावना है।

  प्रमुख कारक: बढ़ता डिजिटलीकरण और तकनीकी इनोवेशन में तेजी, ग्राहकों की बदलती अपेक्षाएं, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बढ़ती श्रम लागत, बुजर्गों की बढ़ती आबादी, आदि।

कार्यस्थल ऑटोमेशन से जुड़े सामाजिक लाभ क्या हैं?

- **कौशल के अंतराल को कम करना तथा कार्यबल की उत्पादकता को बढ़ाना:** AI-संचालित सिस्टम कौशल की उपलब्धता के आधार पर कार्य सौंपते हैं, जिससे यह कौशल की कमी को पहचानता है और समग्र कार्यक्षमता को बढ़ावा देता है।
- **लैंगिक समानता और विविधता को बढ़ावा देना:** ऑटोमेशन से भर्ती और प्रदर्शन मूल्यांकन में पूर्वाग्रहों को कम किया जा सकता है।
- **सुरक्षित कार्यस्थल:** मशीनें खतरनाक और मानव के लिए कठिन कार्यों को कर सकती हैं।
- **बेहतर कार्य-जीवन संतुलन:** नियमित कार्यों में कमी आने से मानसिक थकान में कमी आती है। इस प्रकार, कर्मचारी निर्णय लेने वाली सार्थक भूमिकाएं निभा सकते हैं।
- **बेहतर ग्राहक सेवा:** ग्राहकों के प्रश्नों का तेजी से समाधान होता है, और उनके अनुभव को जानना अधिक सुलभ व किफायती हो जाता है।

कार्यस्थल ऑटोमेशन से जुड़ी सामाजिक चुनौतियां क्या हैं?

- **बढ़ती आय असमानता**
  - **कुछ ही लोगों को अधिक वेतन मिलना तथा रोजगार खोना:** ऑटोमेशन का लाभ मुख्यतः उच्च-कौशल वाले कर्मचारियों को मिलता है, जबकि कम-कुशल श्रमिकों को नौकरी छूटने या वेतन स्थिर रहने की समस्या का सामना करना पड़ता है।
  - **पुनः कौशल विकास में बाधाएं:** डिजिटल साक्षरता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक असमान पहुंच के कारण असमानताएं और बढ़ सकती हैं।
  - **रोजगार में लैंगिक असमानताएं:** ऑटोमेशन सबसे पहले लिपिक और सचिवीय भूमिकाओं जैसे कम कौशल वाली नौकरियों का स्थान ले रहा है। इन रोजगारों में महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है।
  - **गिग वर्कर और नौकरी की असुरक्षा:** ऑटोमेशन **अनुबंध आधारित कम अवधि के रोजगार को बढ़ावा** दे सकता है और विशेष रूप से प्लेटफॉर्म-आधारित गिग अर्थव्यवस्थाओं में स्थायी रोजगार को कम कर सकता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण:** श्रमिकों पर निरंतर नजर रखने और एल्गोरिदम नियंत्रण से श्रमिकों में तनाव बढ़ सकता है और उनकी स्वायत्तता कम हो सकती है। इससे डिजिटल डिवाइसेज की थकान के कारण कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच के संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **मानवीय निगरानी में गिरावट:** ऑटोमेटिड प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता से गलत निर्णय की आशंका व सुरक्षा चूक की स्थिति पैदा हो सकती है विशेषकर स्वास्थ्य देखभाल सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी निर्णय लेने में इंसान की जगह ले सकता है।

समावेशी, सुरक्षित और न्यायसंगत कार्यस्थल ऑटोमेशन सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह

- **आय समानता सुनिश्चित करना**
  - **सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा:** ऑटोमेशन के कारण रोजगार छूटने को श्रम कानूनों के तहत शामिल किया जाना चाहिए। अनौपचारिक, गिग और अनुबंध क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान की जाएगी।
    - **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** का उद्देश्य संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रकों के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान

करना है।

- **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020** में श्रमिक पुनर्कौशल निधि का प्रावधान है।

➡ **न्यायसंगत ऑटोमेशन को बढ़ावा देना:** समावेशी नीतियों और लक्षित कौशल सुधार के माध्यम से ऑटोमेशन की वजह से लैंगिक स्वचालन में बढ़ते भेदभाव को समाप्त करना।

- **कानूनी और नीतिगत फ्रेमवर्क मजबूत करना: व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) कानूनों को अपडेट करना;** साथ ही कानूनों को **1981 के ILO कन्वेंशन संख्या 155** (OSH कन्वेंशन) और **2006 के कन्वेंशन संख्या 187** (OSH के लिए प्रसारात्मक फ्रेमवर्क) के अनुरूप करना चाहिए।
- **रोबोटिक्स पर नियमों को संशोधित करना:** मानव और रोबोट में सहयोग के लिए सुरक्षा मानदंड परिभाषित करने चाहिए।
- **डिस्कनेक्ट करने के अधिकार को सुनिश्चित करना:** कार्य के घंटों के बाद कर्मचारी से ओवरवर्क की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए एवं डिजिटल बर्नआउट को रोका जा सके।
- **मानव-केंद्रित एल्गोरिदमिक प्रबंधन को बढ़ावा देना:**

  पारदर्शिता, मानवीय निगरानी और स्पष्ट शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

  कर्मचारी के विश्वास को बनाने और उसके मानसिक तनाव को कम करने के लिए फीडबैक लेने की व्यवस्था को एकीकृत करना चाहिए।
- **जागरूकता को बढ़ाना:** डिजिटल अधिकारों, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।
- **ग्रीन ऑटोमेशन:** पर्यावरण की दृष्टि से सतत ऑटोमेशन प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऑटोमेशन से कार्यस्थल की सुरक्षा, समानता और कल्याण में कोई कमी नहीं आए। इसके लिए सहयोगात्मक, श्रमिक-केंद्रित और दूरदर्शी सोच आवश्यक है। यह अधिक समावेशी और कर्मचारी-अनुकूल कार्यस्थल बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

6.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

6.2.1. MoSPI ने "भारत में महिला और पुरुष 2024: चयनित संकेतक एवं डेटा" रिपोर्ट जारी की (MOSPI RELEASED "WOMEN AND MEN IN INDIA 2024: SELECTED INDICATORS AND DATA")

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **जन्म के समय लिंगानुपात:** 2014-16 और 2018-20 के बीच, शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात (910) ग्रामीण क्षेत्रों (907) से अधिक हो गया था।
- **स्वास्थ्य:** मातृ मृत्यु दर (MMR) 122 (2015-17) से घटकर 97 (2018-20) हो गई थी।
- **शिक्षा:** 2017 में पुरुष साक्षरता दर 84.7% और महिला साक्षरता दर 70.3% थी।
  - ➡ केरल में सबसे कम लैंगिक साक्षरता अंतराल है, जबकि राजस्थान में सबसे अधिक है।
- **आर्थिक भागीदारी:**
  - ➡ महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 2017-18 की **23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7%** हो गई।
  - ➡ सभी बैंक खातों में **39.2% महिलाओं के बैंक खाते** हैं और वे कुल जमा में **39.7% का योगदान** देती हैं।
  - ➡ वित्त वर्ष 2025 में महिलाओं की निदेशक मंडल में **28.7% हिस्सेदारी** हो गई है, जो वित्त वर्ष 2020 में **26.7%** थी।
- **राजनीतिक भागीदारी:** महिला मतदाताओं की उपस्थिति 2019 में 67.2% थी, जो 2024 में घटकर 65.8% रह गई।
- **महिलाओं के खिलाफ हिंसा:** भारत में **18-49 आयु वर्ग की लगभग एक-तिहाई (31.9%) विवाहित महिलाएं वैवाहिक हिंसा** से पीड़ित होती हैं। **कर्नाटक (48.4%), बिहार (42.5%) और मणिपुर (41.6%)** में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

6.2.2. AI किरण (AI KIRAN)

सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल 'AI किरण' की शुरुआत की।

AI किरण के बारे में

- **उद्देश्य:** महिलाओं को इनोवेटर, चेंजमेकर और लीडर के रूप में उभरने में सहायता प्रदान करने हेतु एक **जीवंत AI समुदाय** को बढ़ावा देना।
- **नेतृत्व:** भारत सरकार के **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA)** का कार्यालय।
- **फोकस क्षेत्र:** यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसे अहम क्षेत्रों में AI में प्रगति को आगे बढ़ाने वाली 250 से अधिक महिलाओं के योगदान को उजागर करने पर केंद्रित है।

किरण योजना के बारे में

- नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग (KIRAN/किरण) योजना **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** द्वारा शुरू की गई थी
- **उद्देश्य:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं का समर्थन एवं सशक्तीकरण करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।

6.2.3. IMF द्वारा जारी रिपोर्ट में सिल्वर इकॉनमी पर जोर (IMF REPORT STRESSES ON SILVER ECONOMY)

IMF ने "वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO): ए क्रिटिकल जंक्चर अमंग पॉलिसी शिफ्ट" रिपोर्ट जारी की।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **दीर्घायु में वृद्धि:** घटती प्रजनन क्षमता और बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण वैश्विक जनसंख्या वृद्ध हो रही है।
  - ➡ दुनिया की जनसंख्या की **औसत आयु 11 साल** (2020-2100)) बढ़ने का अनुमान है।

- **बेहतर कार्यात्मक क्षमता:** दीर्घायु में वृद्धि के साथ-साथ, वृद्ध लोगों में समय के साथ सुधार हुआ है।
  वर्ष 2022 में 70 साल के व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता वर्ष 2000 में 53 साल के व्यक्ति के समान थी।

आर्थिक निहितार्थ

- **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि:** स्वस्थ एजिंग से 2025-2050 तक वैश्विक औसत GDP में 0.4% की वृद्धि हो सकती है।
- **श्रम बल भागीदारी:** लक्षित स्वास्थ्य नीतियां वृद्ध श्रमिकों को अपनी श्रम बल भागीदारी दर बढ़ाने में सक्षम बनाती हैं।

नीतिगत सिफारिशें

- **समग्र दृष्टिकोण:** सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए पेंशन संबंधी सुधार, प्रशिक्षण, कार्यस्थल को अनुकूल बनाना और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना चाहिए।
- **अंतराल को कम करना:** बेहतर कार्य-जीवन संतुलन और किफायती बाल देखभाल सुविधा के माध्यम से **श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा** देना चाहिए।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
SANDHAN
Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज
(UPSC प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

- UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ–साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 25,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्नों का विशाल संग्रह
- अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार करने की सुविधा
- परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टेस्ट (PIT)
- टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर फीडबैक

अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

2026 | ENGLISH MEDIUM 15 JUNE | हिन्दी माध्यम 15 जून

7.1. भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (Green Hydrogen Certification Scheme of India: GHCI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने भारत की **हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI)** का शुभारंभ किया है।

GHCI के बारे में

- **इसे राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM)** के तहत **शुरू किया गया** है।
- **उद्देश्य:** हरित हाइड्रोजन (GH) को **पारदर्शिता, पता लगाने की क्षमता** और **विश्वसनीयता** के साथ प्रमाणित करना।
- **संबंधित मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)**।
- **पात्रता मापदंड: इलेक्ट्रोलिसिस** और **बायोमास रूपांतरण** ।
- **सत्यापन:** एक **मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन (ACV) एजेंसी** द्वारा वार्षिक ऑडिट किया जाएगा।
- **हरित प्रमाणन मानदंड:** इसका गैर-जैविक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन **2 किलोग्राम CO_2 समकक्ष प्रति किलोग्राम H_2** से कम या उसके बराबर होना चाहिए।
  - **प्रमाण-पत्र अहस्तांतरणीय हैं, कार्बन क्रेडिट के लिए मान्य नहीं हैं।**

हरित हाइड्रोजन (GH_2) क्या है?

- **नवीकरणीय ऊर्जा** (जैसे- सौर) **इलेक्ट्रोलिसिस** के माध्यम से या **बायोमास गैसीकरण** का उपयोग करके उत्पादित;
  - **प्रक्रिया:** हरित बिजली का उपयोग करके पानी के अणुओं (H_2O) को हाइड्रोजन (H_2) और ऑक्सीजन (O_2) में विभाजित करना।
- **अनुप्रयोग: FCEVs** (फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन); **उद्योग:** (उर्वरक, पेट्रोलियम रिफाइनरी) **परिवहन** (सड़क, रेल) आदि।

हाइड्रोजन के अन्य प्रकार

रंग							
प्रकार	ब्लैक/ब्राउन हाइड्रोजन	ग्रे हाइड्रोजन	ब्लू हाइड्रोजन	टक्वड्रिज़ हाइड्रोजन	पिंक हाइड्रोजन	येलो हाइड्रोजन	व्हाइट हाइड्रोजन
प्रक्रिया	कोयला गैसीकरण	मीथेन रिफॉर्मेशन	कोयला गैसीकरण और मीथेन रिफॉर्मेशन के साथ कार्बन कैप्चर, यूटिलाइज़ेशन और स्टोरेज (CCUS)	पायरोलिसिस	इलेक्ट्रोलिसिस	इलेक्ट्रोलिसिस	प्राकृतिक रूप से उत्पन्न
स्रोत	कोयला	प्राकृतिक गैस	जीवाश्म ईंधन	मीथेन	परमाणु ऊर्जा	सौर ऊर्जा	भूमिगत भंडार में प्राप्त

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM), 2023 के बारे में

- **उद्देश्य:** भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक **वैश्विक केंद्र** बनाना।
- **अवधि:**
  - **चरण I:** 2022-23 से 2025-26
  - **चरण II:** 2026-27 से 2029-30
- **मुख्य घटक:**
  - **मांग सृजन: निर्यात** और **घरेलू उपयोग** दोनों के लिए।
  - **हरित हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप (SIGHT) कार्यक्रम: इलेक्ट्रोलाइज़र** निर्माण और हरित हाइड्रोजन **उत्पादन** के लिए प्रोत्साहन देना।
  - **पायलट परियोजनाएं: इस्पात, गतिशीलता, शिपिंग, बायोमास, हाइड्रोजन भंडारण** आदि क्षेत्रों में।
  - **हरित हाइड्रोजन हब:** क्षेत्रीय **हरित हाइड्रोजन हब** का विकास करना।
  - **नियम और मानक: मजबूत नियामक फ्रेमवर्क** लागू करना।
  - **अनुसंधान एवं विकास (R&D) कार्यक्रम।**
- **अपेक्षित परिणाम:** हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम-से-कम **5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष** तक पहुंच जाएगी, जिससे प्रति वर्ष **50 मिलियन मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन** को रोका जा सकेगा आदि।

निष्कर्ष

भारत में हरित हाइड्रोजन की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए एक **बहु-आयामी दृष्टिकोण** की आवश्यकता है - जिसमें - **उत्पादन लागत को कम करना, इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण** को प्रोत्साहित करना, **अनुसंधान और विकास (R&D)** को बढ़ावा देना, और **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल** को बढ़ावा देना आदि शामिल है।

7.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

7.2.1. गैर-परमाणु हाइड्रोजन बम (Non-Nuclear Hydrogen Bomb)

चीन ने हाल ही में एक **गैर-परमाणु हाइड्रोजन बम** का विस्फोट परिक्षण किया है।

गैर-परमाणु हाइड्रोजन बम की मुख्य विशेषताएं

- **रासायनिक अभिक्रिया:** इसमें **मैग्नीशियम हाइड्राइड** के माध्यम से विस्फोट किया जाता है, जिसमें कोई परमाणु सामग्री नहीं होती है।
- **प्रक्रिया:** यह हाइड्रोजन का उत्सर्जन करता है, हवा के साथ प्रज्वलित होकर दहन उत्पन्न करता है।
- **क्षति का विस्तार:** हालांकि यह ट्राई नाइट्रो टॉलुइन (TNT) की विस्फोट क्षमता का लगभग 40% ही उत्पन्न करता है, किंतु यह **उच्च तापीय क्षति** उत्पन्न करता है, जो **एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं** को भी पिघला देता है।
- **प्रज्वलन और विकिरण:** इसके लिए **कम प्रज्वलन ऊर्जा** की आवश्यकता होती है, और यह कोई **विकिरण उत्सर्जित नहीं करता** है।

परमाणु बम बनाम हाइड्रोजन बम

मानदंड	परमाणु बम	हाइड्रोजन बम (थर्मोन्यूक्लियर बम)
अभिक्रिया का प्रकार	**नाभिकीय विखंडन**	**नाभिकीय संलयन**
प्रक्रिया	❍ इसके अंतर्गत एक बड़ा परमाणु दो या दो से अधिक छोटे परमाणुओं में विभाजित होता है। इसे बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ❍ विखंडन या तो स्वतः या न्यूट्रॉन के उपयोग के माध्यम से होता है।	❍ इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक हल्के परमाणु जुड़कर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। ❍ परमाणु बमों से भी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है।
प्रयोग किया जाने वाला ईंधन	यूरेनियम-235, प्लूटोनियम-239	ड्यूटेरियम व ट्रिटियम (हाइड्रोजन के समस्थानिक)
अभिक्रिया	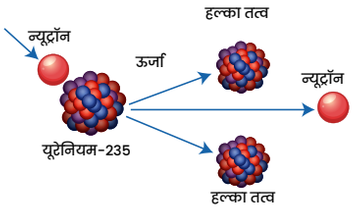	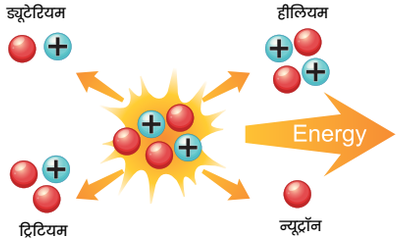

7.2.2. जेवन्स विरोधाभास (Jevons Paradox)

माइक्रोसॉफ्ट के CEO ने **AI को तेजी से अपनाए जाने** के बीच इसका उल्लेख किया।

जेवन्स विरोधाभास के बारे में

- **अवधारणा:** संसाधन के उपयोग में अधिक दक्षता अक्सर **कुल मांग में वृद्धि** करती है।
- **उत्पत्ति:** इसे **विलियम स्टेनली जेवन्स (1865)** ने प्रस्तुत किया था - जिसके तहत, अधिक कुशल भाप इंजनों के उत्पादन के बाद **कोयले का उपयोग** कम होने के बजाय **बढ़ गया था।**
- **AI संदर्भ:** जैसे-जैसे **AI सस्ता और अधिक शक्तिशाली होता जाएगा, इसका उपयोग** कम होने के बजाय **बढ़ेगा।**

7.2.3. टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (Tensor Processing Unit)

Google ने अपनी **7वीं पीढ़ी का TPU आयरनवुड** लॉन्च किया है, जिसे AI परफॉरमेंस के लिए रूपांतरित किया गया है।

TPU के बारे में

- **Google द्वारा विकसित (2015)** यह **मशीन लर्निंग** के लिए एक विशेष प्रकार का प्रोसेसर या **एप्लिकेशन-स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट (ASIC)** है।
- यह **टेंसर ऑपरेशंस** (ML मॉडल में बहु-आयामी इरेज़) का संचालन करता है।

TPU के लाभ:

- **AI-ऑप्टिमाइज्ड:** AI कार्यों में **CPU/ GPU** से बेहतर प्रदर्शन करता है।
- **तेज़ ट्रेनिंग: जटिल न्यूरल नेटवर्क को घंटों में प्रशिक्षित करता है।**

7.2.4. मिशन फ्रेम2 (Mission Fram2)

"फ्रेम2" नामक मिशन को SpaceX के **ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करके लॉन्च** किया गया है।

- इसके द्वारा किए जाने वाले प्रयोगों में **अंतरिक्ष में लिए गए पहले एक्स-रे** और **माइक्रोग्रैविटी में मशरूम उगाना** शामिल है।
- यह **पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भरने** वाली पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान है।

पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा के बारे में

- **परिभाषा:** उपग्रह **उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों** के ऊपर से गुजरता है; **10° तक का विचलन (deviation)** अनुमत है।
- **ऊंचाई: निम्न भू-कक्षा (200-1000 कि.मी.)** का एक प्रकार।
- **महत्व:** वैश्विक अवलोकन (global observation) को सक्षम बनाता है; **मौसम, मानचित्रण, जासूसी उपग्रहों के लिए आदर्श।**
- **चुनौती: अधिक ईंधन की आवश्यकता** होती है क्योंकि रॉकेट लिफ्ट-ऑफ के लिए **पृथ्वी के घूर्णन बल** का उपयोग नहीं कर पाता है।

सैटेलाइट ऑर्बिट	अनुप्रयोग	प्रमुख विशेषताएं
निम्न भू कक्षा (LEO)	सैटेलाइट इमेजिंग, संचार, भू-अवलोकन, नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान **उदा.** RISAT-2B	**ऊंचाई:** 2000 कि.मी. से कम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) को इसी कक्षा में स्थापित किया गया है।
सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा (SSO)	भूमि-उपयोग का अध्ययन, बर्फ पिघलने और मौसम का अध्ययन **उदा.** भू अवलोकन के लिए HysIS	**ऊंचाई:** 600 से 800 कि.मी. यह एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित, जिसमें उपग्रह सूर्य के साथ एक विशिष्ट अवस्थिति में स्थित रहता है।
मध्य पृथ्वी कक्षा (MEO)	नेविगेशन उपग्रह और टेलीफोन संचार **उदा.** यूरोपीय गैलिलियो सिस्टम	**ऊंचाई:** 2,000 से 36,000 कि.मी. MEO में उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर विशिष्ट मार्ग पर परिक्रमा करते हैं।
मध्य पृथ्वी कक्षा (MEO)	दूरसंचार, मौसम उपग्रह, GPS आदि **उदा.** भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (INSAT)	**ऊंचाई:** 35,786 कि.मी. ये पृथ्वी के भू-मध्य रेखा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, जो पृथ्वी के घूर्णन से ठीक मेल खाते हैं।

7.2.5. आर्यभट्ट उपग्रह (Aryabhata Satellite)

भारत के पहले उपग्रह, आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के **50 साल पूरे हुए।**

आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में

- यह **ISRO** द्वारा निर्मित **भारत का पहला उपग्रह** था।
- **प्रक्षेपण:** 1975 में **सोवियत कॉसमॉस-3M** द्वारा **वोल्गोग्राड (रूस)** से लॉन्च किया गया।
- **कक्षा:** निम्न भू-कक्षा (Low Earth Orbit)।
- **उद्देश्य: एक्स-रे खगोल विज्ञान, एयरोनॉमिक्स, सौर भौतिकी** से जुड़े प्रयोग।
- **नामकरण:** प्राचीन भारतीय **गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट** के नाम पर।

7.2.6. विलवणीकरण प्रौद्योगिकियां (Desalination Technologies)

IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने खारे जल के उपचार के लिए नए **हाइड्रोफोबिक ग्राफीन-आधारित सामग्री** का उपयोग करके **कमल के पत्ते जैसे सौर वाष्पीकारक** विकसित किए हैं।

- यह कुशल **जल विलवणीकरण** को सक्षम बनाता है; वैश्विक स्तर पर ताजे पानी के संकट के लिए संभावित समाधान प्रदान करता है।

विलवणीकरण प्रौद्योगिकियां और प्रक्रियाएं

थर्मल टेक्नोलॉजी

- **अवधारणा: खारे जल** को गर्म किया जाता है, शुद्ध जल के लिए **संघनित वाष्प** को एकत्र किया जाता है।
- **उपयोग:** मुख्य रूप से **समुद्री जल** के लिए।
- **उदाहरण:** लक्षद्वीप (कवरत्ती, मिनिकॉय, अगाती) में निम्न तापीय थर्मल विलवणीकरण (LTTD) संयंत्र।

मेंब्रेन टेक्नोलॉजी (Membrane Technology)

- **अवधारणा: अर्ध-पारगम्य झिल्लियों** का उपयोग करके **खारे जल को फ़िल्टर** करता है।
- **उपयोग:** खारे पानी का विलवणीकरण।
- **प्रयुक्त विधि:** इलेक्ट्रोडायलिसिस/ इलेक्ट्रोडायलिसिस रिवर्सल (ED/EDR) और रिवर्स ऑस्मोसिस (RO)।
- **उदाहरण:** नेमेली समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र, तमिलनाडु - दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र।

7.2.7. बैटइकोमोन (BatEchoMon)

भारत की **पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली** को **IIHS, बेंगलुरु** द्वारा विकसित किया गया।

बैटइकोमोन - बैट इकोलोकेशन मॉनिटरिंग के बारे में

- यह एक **स्वायत्त प्रणाली है,** जो रियल टाइम में **चमगादड़ की आवाज का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने** में सक्षम है।
- इसमें इकोलोकेशन कॉल के माध्यम से चमगादड़ की प्रजातियों का पता लगाने और पहचानने के लिए कन्वॉल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

Lakshya

लक्ष्य प्रीलिम्स और मेन्स इंटीग्रेटेड मेंटरिंग प्रोग्राम 2026

प्रारंभः 3 जून

- जीएस प्रीलिम्स और मेन्स के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस हेतु 15 महीने की रणनीतिक योजना।
- यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स के सिलेबस का संपूर्ण कवरेज।
- सीनियर मेंटर्स की अत्यधिक अनुभवी और योग्य टीम द्वारा मार्गदर्शन।
- प्रीलिम्स और मेन्स के लिए अधिक स्कोरिंग क्षमता वाले विषयों पर बल।
- ठोस प्रैक्टिस के माध्यम से करेंट अफेयर्स और सीसैट की तैयारी पर ध्यान।
- लक्ष्य प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट (LPPT) और लक्ष्य मेन्स प्रैक्टिस टेस्ट (LMPT) की उपलब्धता।
- 25,000+ प्रश्नों के व्यापक संग्रह के साथ संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज।

UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2026 के लिए रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और परामर्श हेतु 15 माह का कार्यक्रम)

- बेहतर उत्तर लेखन कौशल का विकास।
- प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए विषय–वार रणनीतिक डॉक्यूमेंट और स्मार्ट कंटेंट।
- निबंध और नीतिशास्त्र के प्रश्नपत्र पर विशेष बल।
- ग्रुप और व्यक्तिगत परामर्श सत्र।
- लाइव प्रैक्टिस, साथी अभ्यर्थियों के साथ डिस्कशन और स्ट्रेटजी पर चर्चा।
- नियमित मूल्यांकन, निगरानी और प्रदर्शन में सुधार।
- आत्मविश्वास निर्माण और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी पर बल।
- टॉपर्स, नौकरशाहों और शिक्षाविदों के साथ इंटरैक्टिव सत्र।

WWW.VISIONIAS.IN 8468022022

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

8.1. भगवद् गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियां (Manuscripts of Bhagavad Gita and Natyashastra)

सुर्ख़ियों में क्यों

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने **भगवद् गीता एवं नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों के संग्रह को अपने 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर'** में शामिल किया।

यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड (MOW), 1992 प्रोग्राम के बारे में

- **उद्देश्य:** दस्तावेज के रूप में उपलब्ध विरासत का संरक्षण करना (संघर्ष और/ या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में), उन्हें सभी के लिए सुलभ बनाना, महत्त्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना आदि।
- **अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति (IAC)** यूनेस्को को संपूर्ण कार्यक्रम की योजना बनाने और कार्यान्वयन पर सलाह देने वाली मुख्य संस्था है।
- अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति में **14 सदस्य** होते हैं, जिनकी **नियुक्ति यूनेस्को के महानिदेशक** द्वारा की जाती है।
- **वर्तमान स्थिति: 1995 से** अब तक **"मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड" अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में कुल 570 दस्तावेज़ी विरासतों को सूचीबद्ध** किया गया है। **74 नई** हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर के अलावा, UNESCO ने **4 क्षेत्रीय रजिस्टर** और **राष्ट्रीय "मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड"** समितियों की स्थापना करने में सहायता की है।

भगवद् गीता के बारे में

- **महर्षि वेदव्यास** द्वारा रचित, **कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय** तथा **'महाभारत'** के **भीष्म पर्व** (अध्याय 23-40) का हिस्सा।
- यह वैदिक, बौद्ध, जैन और चार्वाक विचारों का संश्लेषण करने वाला एक केंद्रीय ग्रंथ है।
- यह युद्ध से पहले कृष्ण और अर्जुन के बीच एक संवाद है, जिसमें निस्वार्थ कर्म (निष्काम कर्म) और अर्जुन को निराशा (विषाद) से मुक्त करने का उपदेश दिया गया है।
- **गीता में जीवन पथ के तीन मार्ग बताए गए हैं: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, और भक्ति मार्ग।**
- **असम में वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक शंकरदेव की शिक्षाएं** भगवद गीता से प्रेरित थीं।

नाट्यशास्त्र के बारे में

- **भरतमुनि** द्वारा **दूसरी शताब्दी ई.पू.** में रचित।
- **नाट्यवेद** का सार। **36,000 श्लोकों में निष्पादन कला तथा गंधर्ववेद** के नाम से ज्ञात।
- **नाट्योत्पत्ति** नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति की कथा को संदर्भित करता है। नाट्यशास्त्र का निर्माण सभी 4 वेदों- **पाठ्य या सस्वर पाठ (ऋग्वेद से), संगीत (सामवेद से), अभिनय या प्रदर्शन (यजुर्वेद से) और रस या भावनाएं (अथर्ववेद से)-** के सार से हुआ है। **'पंचम वेद'** भी कहा जाता है।
- इसमें **नाट्य, अभिनय, रस, भाव और संगीत** आदि को परिभाषित करने वाले नियमों का **विस्तृत विवरण** दिया गया है।
- इसे अनुभूति रंगमंच और रंगमंच-सज्जा से जुड़े हर व्यक्ति को **स्पष्ट निर्देश** देकर उत्पन्न किया जाता है।
- यह **भारत में वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण** पर उपलब्ध **सबसे पहला ग्रंथ** माना जाता है।

यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की अन्य महत्वपूर्ण प्रविष्टियां

- 2023: गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली शिखर बैठक के अभिलेखागार तथा अभिनवगुप्त (940-1015 ई.): उनकी कृतियों की पांडुलिपियों का संग्रह
- 2017: मैत्रेयवराकरण और गिलगित पांडुलिपि
- 2013: शांतिनाथ चरित्र
- 2011: लघुकालचक्रतंत्रराजटिका (विमलप्रभा), तारीख-ए-खानदान-ए-तिमुरिया
- 2007: ऋग्वेद
- 2005: पांडिचेरी में शैव पांडुलिपि

- 2003: डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखागार
- 1997: आई.ए.एस. तमिल चिकित्सा पांडुलिपि संग्रह

8.2. सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि {Agriculture in Indus Valley Civilization (IVC)}

सुर्ख़ियों में क्यों: मेहरगढ़ की कृषि बस्तियों की समयावधि 8000 ईसा पूर्व की जगह 5200 ईसा पूर्व बताई गई है। यह **पाकिस्तान में स्थित दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी ज्ञात नवपाषाणकालीन कृषि बस्ती** है।

अन्य संबंधित तथ्य

- प्रारंभ में शोधकर्ताओं ने जली हुई लकड़ी के अवशेष से तिथि निर्धारित की थी।
- नई शोध टीम ने जली हुई **लकड़ी की बजाय दांतों के इनेमल में मौजूद कार्बन से तिथि निर्धारित की।**
- यह नवीन अध्ययन सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) में कृषि की शुरुआत की टाइमलाइन को भी आगे बढ़ाता है।

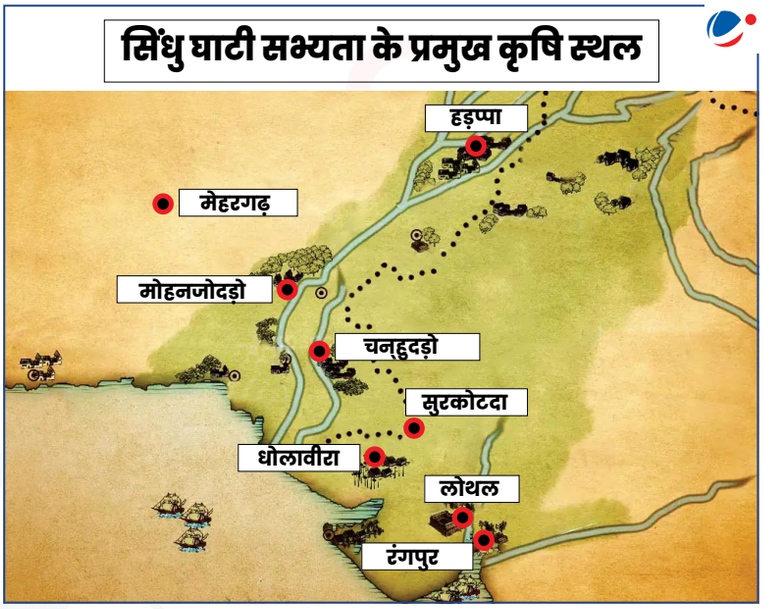

सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि: प्रारंभिक शिकारी-संग्राहक समुदायों की मौसम के अनुसार गतिशीलता पशुपालन के साथ धीरे-धीरे एक अधिक स्थायी कृषि आधारित जीवन शैली में बदल गई। पुरातात्विक उत्खनन जैसे अनाज भंडारणगृह, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा मूर्तियों और सजावटी कलाकृतियों से इसके प्रमाण मिले हैं।

- **उगाई जाने वाली फसलें:**
  - **गेहूँ (हड़प्पा, मोहनजोदड़ो) और जौ (शोर्तुघई): रबी की फसलें।**
  - **सरसों, तिल, कपास, खजूर और फलीदार पौधे: खरीफ की फसलें।**
  - **चावल के साक्ष्य गुजरात तक सीमित (लोथल, रंगपुर)।**
  - **दालें: मूंग, उड़द, कुल्थी** और **मटर** उगाई जाती थीं।
  - **ब्रेसिका (चन्हूदड़ो एवं सुरकोटदा)** से प्राप्त हुए हैं। इनका उपयोग **तेल, औषधि या पक्षियों के चारे** के रूप में किया जाता था।
  - सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) विश्व की **पहली कपास उत्पादक** सभ्यता थी। **कपास के लिए बेबीलोनियन और ग्रीक नाम क्रमशः सिंधु एवं सिंदों थे। मोहनजोदड़ो से कपड़े का टुकड़ा मिला है।**
  - **फल: बेर** (जुजूब) के साक्ष्य **मेहरगढ़** से मिले हैं; खजूर, **अखरोट और पीपल के साक्ष्य भी** प्राप्त हुए हैं।
- **कृषि तकनीक और उपकरण:**
  - **हल:** हड़प्पावासियों ने संभवतः **हल** की तकनीक **सुमेरियन सभ्यता** से सीखी थी। **वे लकड़ी के हल** का उपयोग करते थे। **टेराकोटा हल** मॉडल मिला है।
  - **पहिएदार गाड़ियां: हड़प्पा और चन्हूदड़ो से बैलगाड़ियों के कई कांस्य मॉडल** पाए गए हैं। साथ ही, **हड़प्पा में गाड़ियों के पहियों के निशान (Cart-ruts)** भी पाए गए हैं। यह **पशु बल और पहिये की तकनीक** को उजागर करता है।
  - **फसल पैटर्न: कालीबंगन** में उत्खनन से **ग्रिड पैटर्न** वाले एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जहां **मिश्रित फसल (जैसे- सरसों और चना) उगाई** गई थी।
  - **सैडल-क्वेर्न (अवतल चक्की):** इसका उपयोग **भुने हुए जौ जैसे अनाज को पीसने** के लिए किया जाता था।
  - **फसल सुरक्षा:** हड़प्पा स्थलों पर पाए गए **टेराकोटा गोफन/ गुलेल की गेंदों** से।
- **भूमि और सिंचाई पद्धतियां:** खेत मुख्य रूप से नदी के किनारे स्थित थे, **जहां सिंचाई के लिए मौसमी बाढ़ का लाभ** उठाया जाता था। रबी की फसलें बाढ़ के बाद बोई जाती थीं, जबकि खरीफ की फसलें बाढ़ की शुरुआत में बोई जाती थीं। उन्नत सिंचाई (गबरबंद, नहरें व कुएं) से साल भर खेत की सिंचाई करने में सहायता मिलती थी।

निष्कर्ष

सिंधु घाटी सभ्यता अपनी मजबूत कृषि व्यवस्था/ पद्धति के कारण सदियों तक फलती-फूलती रही। उसकी उन्नत कृषि पद्धति ने विकसित शहरों, सुंदर कला और व्यापक-व्यापार नेटवर्क का समर्थन किया। यह कृषिगत सफलता ही थी, जिसने उन्हें मानव इतिहास पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने में सक्षम बनाया।

8.3. वायकोम सत्याग्रह (Vaikom Satyagraha)

सुर्ख़ियों में क्यों

इस वर्ष **वायकोम सत्याग्रह की आधिकारिक तौर पर वापसी की शताब्दी (100वीं वर्षगांठ)** मनाई जा रही है। वायकोम सत्याग्रह को **30 नवंबर, 1925** को वापस ले लिया गया था।

वायकोम सत्याग्रह के बारे में

- वायकोम सत्याग्रह **केरल के त्रावणकोर में हिंदू जातिगत भेदभाव, विशेष रूप से अस्पृश्यता के खिलाफ एक अहिंसक नागरिक अधिकार आंदोलन** था।
- इस आंदोलन ने **अवर्णों को वायकोम में शिव मंदिर के चारों ओर की सार्वजनिक सड़कों का उपयोग करने से रोकने वाले निषेध** का विरोध किया था।
- **प्रतिदिन तीन स्वयंसेवकों को सड़क पर** भेजकर सत्याग्रह की शुरुआत की गई। खादी पहने तीन युवक **गोविंदा पणिक्कर (नायर), बहुलेयन (एझवा) और कुंजप्पू (पुलया),** मंदिर की ओर कूच करते हुए आगे बढ़े।
  - इसके बाद, सत्याग्रहियों ने शांतिपूर्ण विरोध के तरीके अपनाए, जैसे- **सड़कों को अवरुद्ध करना, शांत प्रदर्शन करना और सभाएं आयोजित** करना।
  - सत्याग्रह आश्रम में सभी जातियों के स्वयंसेवक रहते थे, जिससे उसे राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्राप्त हुआ।
- **गांधी और त्रावणकोर के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर डब्ल्यू. एच. पिट के बीच** विचार-विमर्श के बाद सत्याग्रह को वापस ले लिया गया था।

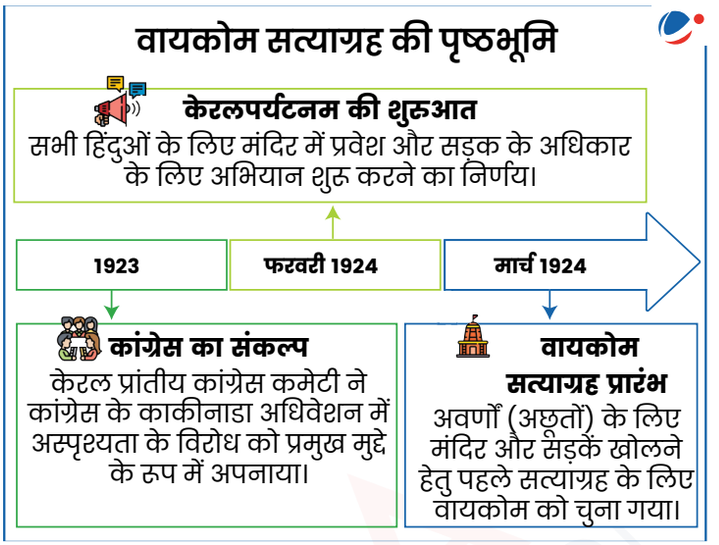

प्रमुख नेतृत्व

- मंदिर में प्रवेश का मुद्दा सबसे पहले **एझवा नेता टी. के. माधवन ने 1917 में अपने अखबार देशाभिमानी** के माध्यम से उठाया था।
  - उनके प्रयासों के कारण **जनवरी, 1924 में अस्पृश्यता विरोधी समिति (AUC)** का गठन हुआ। इसमें **के. पी. केशव मेनन और के. केलप्पन (केरल का गांधी) जैसे अन्य जाति-विरोधी उग्र सुधारवादी** भी शामिल थे।
  - ये तीनों **वायकोम सत्याग्रह आंदोलन के अग्रदूत** माने जाते हैं।
- **जॉर्ज जोसेफ और ई. वी. रामासामी नायकर (पेरियार या वायकोम वीरर)** ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया।
- **गांधी ने मार्च, 1925 में वायकोम का दौरा किया और नंबूदरी पुजारी से बहस की।** उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि **अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि स्वराज की लड़ाई।**
- **महिलाओं की भागीदारी: नागम्मई (पेरियार की पत्नी), एस. आर. कन्नम्मा और भाग्यम स्तानुमालय पेरुमल, कय्यालक्कल नारायणी (टी. के. माधवन की पत्नी)।**
- **अन्य समर्थक:** सी. राजगोपालाचारी, श्री नारायण गुरु, चट्टम्पी स्वामीकल आदि।

सत्याग्रहियों के समक्ष चुनौतियां

- **रूढ़िवादी प्रतिरोध:** उच्च जाति के हिंदुओं और मंदिर प्राधिकारियों ने **सत्याग्रहियों पर हिंसक हमले** किए थे।
- **वित्त-पोषण और मनोबल संबंधी चुनौतियां:** लगातार **गिरफ्तारियों और धन की कमी।**
- **आंतरिक मतभेद:** सत्याग्रह के तरीकों को लेकर **गांधी जी और श्री नारायण गुरु के बीच मतभेद** उत्पन्न हो गया था।
- **बाढ़:** आंदोलन के दौरान एक गंभीर बाढ़ में **सत्याग्रहियों को कमर तक पानी में खड़ा** रहना पड़ा था।

वायकोम सत्याग्रह का महत्त्व

- **आंशिक सफलता (नवंबर 1925):** मंदिर की चार में से तीन सड़कों को **सभी के लिए खोल दिया गया, जबकि चौथी सड़क** को केवल **ब्राह्मणों** के लिए आरक्षित रखा गया था।
- इस आंदोलन ने **त्रावणकोर में 1936 के मंदिर प्रवेश अधिनियम** का मार्ग प्रशस्त किया।
- **राष्ट्रीय महत्त्व: डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसे अस्पृश्यों के लिए "सबसे महत्वपूर्ण घटना"** कहा था, जिससे व्यापक जागरूकता फैली।
- **सांप्रदायिक सद्भाव:** इस आंदोलन ने **सांप्रदायिक** एकता को बढ़ावा दिया था तथा **लोगों की एकजुटता** का उदाहरण प्रस्तुत किया था।
- **गांधीवादी सिद्धांत:** इस आंदोलन ने **सत्याग्रह की प्रभावशीलता को एक अहिंसात्मक सामाजिक सुधार के उपकरण** के रूप में सिद्ध किया है।

8.4. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व: सर चेत्तूर शंकरन नायर (1857-1934) {Personality In Focus: Sir Chettur Sankaran Nair (1857-1934)}

परिचय: प्रधान मंत्री ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए **वकील, न्यायाधीश और राजनीतिज्ञ रहे सर चेत्तूर शंकरन नायर** को याद किया। साथ ही, उन्होंने **1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अंग्रेजों और विशेष रूप से पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डायर के खिलाफ कानूनी लड़ाई का नेतृत्व** भी किया था।

पृष्ठभूमि और प्रारंभिक जीवन

- **जन्म: 1857 में केरल के पलक्कड़** जिले में।
- **शिक्षा: 1877 में मद्रास के प्रेसीडेंसी कॉलेज में कला की पढ़ाई** की थी और **1879 में मद्रास लॉ कॉलेज से कानून** की।
- **करियर**

- **1897** में अमरावती अधिवेशन में वे भारतीय **राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष** बने थे।
- वे **मद्रास विधान परिषद के सदस्य बने थे**।
- सरकार के **महाधिवक्ता** रहे थे।
- वे **मद्रास हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश** भी रहे थे।
- 1915 में वे **वायसराय की कार्यकारी परिषद** के सदस्य बने थे और **शिक्षा विभाग** की जिम्मेदारी संभाली थी।
- 1920-21 में वे **लंदन में भारत के सचिव के लिए सलाहकार** रहे थे।
- 1925 से **भारतीय राज्य परिषद** के सदस्य रहे थे।
- **1928 में साइमन कमीशन के साथ सहयोग हेतु गठित भारतीय केंद्रीय समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे।**

सम्मान:
- **1904** में ब्रिटिश-सम्राट द्वारा उन्हें **'कमांडर ऑफ़ द इंडियन एम्पायर'** की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
- **1912** में उन्हें **नाइटहुड की उपाधि** प्रदान की गई थी।

साहित्यिक योगदान:
- **1919 में भारतीय संवैधानिक सुधारों** पर लिखे दो प्रसिद्ध **मिनट्स ऑफ़ डिसेंट्स**;
- **गांधी एंड अनार्की** (1922);
- **मद्रास रिव्यू** और **मद्रास लॉ जर्नल** आदि।

मृत्यु: उनकी मृत्यु **1934 में मद्रास** में हुई थी।

प्रमुख योगदान

ऐतिहासिक निर्णय: बुद्धसना बनाम फातिमा वाद (1914) में उन्होंने **हिंदू धर्म में धर्मांतरण** को वैध ठहराया था और यह निर्णय दिया था कि ऐसे धर्मांतरित लोगों को बहिष्कृत नहीं माना जा सकता।

जलियांवाला बाग के लिए न्याय: 1919 के नरसंहार में **माइकल ओ'डायर** की भूमिका के खिलाफ उन्होंने स्पष्ट और साहसिक रुख अपनाया था।

सामाजिक सुधार: नस्लीय हीनता और **राष्ट्रीय अपमान** के रूप में असमानता की निंदा करते हुए उन्होंने पूर्ण समानता का समर्थन किया था।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण: उन्होंने पहले चरण में भारत के लिए **डोमिनियन स्टेटस** का समर्थन किया था और माना कि दूसरे चरण में **पूर्ण स्वतंत्रता** प्राप्त की जानी चाहिए।

लिबरल और उदारवादी राजनीति: उन्होंने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन की आलोचना की थी तथा शांतिपूर्ण संवैधानिक सुधार एवं राज्यों के भाषाई पुनर्गठन का समर्थन किया था।

महिला अधिकारों के पक्षधर: उन्होंने **1920 में साउथबोरो समिति** में भारत की ओर से गए प्रतिनिधिमंडल में भाग लिया था। इस प्रतिनिधिमंडल में **हीराबाई टाटा और मिथन लैम** भी थी। उन्होंने भारत में **महिलाओं को मतदान का अधिकार** दिलाने की वकालत की थी।

प्रमुख मूल्य

साहस: जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की परिषद से इस्तीफा दिया।

नीतिपरायणता: मानहानि का मुकदमा हारने के बाद माफी मांगने से इनकार कर दिया।

देशभक्ति: वे एक **प्रखर राष्ट्रवादी** थे। उन्होंने **ब्रिटिश लोकतांत्रिक संस्थाओं** की प्रशंसा की थी। लेकिन साथ ही, भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को उजागर भी किया था।

प्रतिबद्धता: जब वायसराय लार्ड इरविन ने भारत के लिए **डोमिनियन स्टेटस** को अंतिम लक्ष्य के रूप में घोषित किया था, तो उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था।

दूरदर्शी: उन्होंने अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाहों का समर्थन किया था।

8.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

8.5.1. बनारसी शहनाई और बनारसी तबला (BANARSI SHEHNAI AND TABLA)

बनारसी शहनाई और बनारसी तबले को **भौगोलिक संकेतक (GI) टैग** प्रदान किया गया।

बनारसी शहनाई

- यह एक भारतीय **सुषिर वाद्य यंत्र** है।
- शहनाई का संबंध **देश के मंदिर संगीत** से है।
- अधिकांश **भारतीय विवाहों** में शहनाई वादन शुभ माना जाता है।
- इसे वैश्विक पहचान महान शहनाई वादक **उस्ताद बिस्मिल्लाह खान** के माध्यम से मिली।

बनारसी तबले के बारे में

- बनारस तबला घराने का विकास **200 साल पहले सुविख्यात पंडित राम सहाय** ने किया था।
- बनारस घराना **भारतीय शास्त्रीय संगीत में छह प्रमुख तबला घरानों** में से एक है।
- **संबंधित व्यक्तित्व: पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज।**

8.5.2. कन्नडिप्पया जनजातीय शिल्प (KANNADIPPAYA TRIBAL CRAFT)

कन्नडिप्पया भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त करने वाला केरल का पहला जनजातीय हस्तशिल्प बन गया है।

- इसे **"मिरर मैट" (दर्पण चटाई)** भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी

बनावट में **विशिष्ट परावर्तक पैटर्न** होता है।
- यह चटाई **रीड बांस की कोमल भीतरी परतों** से बनाई जाती है।
- **विशेषता:** इसकी विशेषता यह है कि यह **सर्दियों में गर्माहट और गर्मियों में ठंडक** प्रदान करती है।

8.5.3. फसल कटाई उत्सव (HARVEST FESTIVALS)

ये त्यौहार **वसंत ऋतु के आगमन और अच्छी फसल के लिए धन्यवाद** के रूप में मनाए जाते हैं। ये **नए साल का पहला दिन** भी होते हैं, जो नई शुरुआत का प्रतीक है।

भारत में पारंपरिक फसल उत्सव

- **बैसाखी (पंजाब):** यह **रबी** फसल की कटाई की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन **भांगड़ा और गिद्दा** नृत्य किए जाते हैं।
- **विशु (केरल और तमिलनाडु):** यह त्यौहार **वसंत विषुव** (जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है) का प्रतीक है।
- **पोइला बोइशाख (पश्चिम बंगाल):** इस दिन **व्यापारी नए वित्त वर्ष की शुरुआत** नई खाता बही खोलकर करते हैं, जिसे **हाल खाता** के नाम से भी जाना जाता है।
- **अन्य प्रमुख उत्सव:**
  - बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू (असम),
  - पुथंडु (तमिलनाडु),
  - मकर संक्रांति (महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना),
  - लोहड़ी (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर),
  - पोंगल (तमिलनाडु) आदि।

8.5.4. पद्म पुरस्कार (PADMA AWARDS)

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं।
- ये **भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों** में शामिल हैं।
- **प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या** पर व्यक्तियों के नाम घोषित किए जाते हैं।
- **पद्म पुरस्कारों की निम्नलिखित तीन श्रेणियां हैं:**
  - **पद्म विभूषण-** असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए;
  - **पद्म भूषण**- उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए; तथा
  - **पद्म श्री**- विशिष्ट सेवा के लिए।
- ये पुरस्कार उन सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को सम्मानित करते हैं, जहां **सार्वजनिक सेवा का कोई तत्व** शामिल हो।
- **पद्म पुरस्कारों का इतिहास:** 1954 में प्रारंभ किए गए थे।
  - **1978–79 और 1993–97 के दौरान पद्म पुरस्कार प्रदान नहीं** किए गए थे।
- **पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया:**
  - नामों की सिफारिशें **पद्म पुरस्कार समिति** द्वारा की जाती है। इस समिति का **गठन प्रत्येक वर्ष प्रधान मंत्री** द्वारा किया जाता है।
  - **आम लोग भी किसी व्यक्ति के नाम का सुझाव** दे सकते हैं। हालांकि, कोई व्यक्ति **अपने स्वयं के नाम की सिफारिश नहीं** कर सकता।
- **यह कोई 'उपाधि' (टाइटल) नहीं है:** पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस पुरस्कार का नाम अपने नाम के आगे या पीछे नहीं जोड़ सकता।

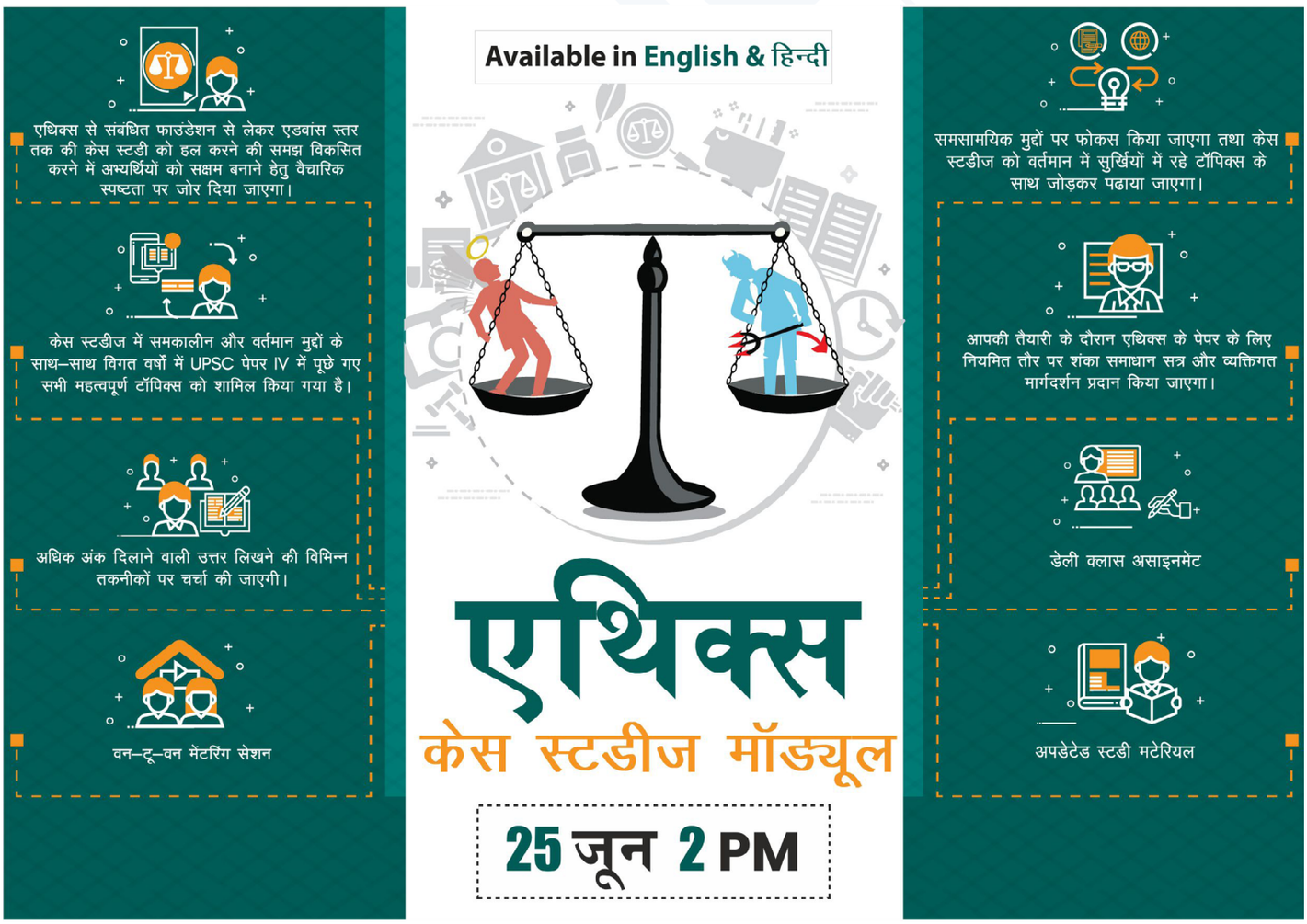

9.1. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उपभोक्ता व्यवहार (SOCIAL MEDIA INFLUENCER AND CONSUMER BEHAVIOR)

परिचय

डिजिटल युग ने लोगों की पहचान और मूल्यों को गढ़ने के तरीके को भी नया रूप दिया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म अब लोगों की इच्छाओं और उपभोक्तावादी व्यवहारों को आकार देने के शक्तिशाली साधन बन गए हैं। E&Y रिपोर्ट के अनुसार, भारत के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग उद्योग के तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, जो 2026 तक 3,375 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। यह डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है।

उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका

- **सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देना:** इन्फ्लुएंसर **मानसिक स्वास्थ्य, बॉडी पॉजिटिविटी** और **महिलाओं के अधिकारों पर** जागरूकता को बढ़ाते हैं।
  - **भारत के #MeToo** आंदोलन ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न को उजागर किया।
- **सचेत उपभोक्तावाद:** "डी-इन्फ्लुएंसिंग" का उदय सोच-समझकर खर्च करने को बढ़ावा देता है।
- **समावेशिता और विविधता: लैंगिक रूढ़ीवाद** को चुनौती देते हैं और **हाशिए पर मौजूद समुदायों** की आवाज़ों को उठाते हैं।
- **सूचनाओं की उपलब्धता: सरकारी अपडेट, करियर टिप्स** और **सार्वजनिक योजनाओं** के प्रसार के लिए उपयोग किया जाता है।

इन्फ्लुएंसर-प्रेरित उपभोग के पीछे का मनोविज्ञान

- इच्छा को आवश्यकता में बदलना
- पारंपरिक विज्ञापनों की तुलना में अधिक भरोसा करना
- उत्पाद से पहचान

इन्फ्लुएंसर संस्कृति से जुड़े नैतिक मुद्दे

- **विवेकहीन उपभोग:** इससे **भौतिकवाद** को बढ़ावा मिलता है। यह गांधीवादी नैतिकता के **आत्म-संयम** के विपरीत है।
- **मनोवैज्ञानिक हेरफेर:** FOMO को बढ़ावा देता है, और सामाजिक तुलना, तत्काल उपभोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं।
- **जवाबदेही की कमी:** इन्फ्लुएंसर्स पर कोई विनियामकीय जांच नहीं, जिससे उपभोक्ता गलत सूचनाओं और धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं।
- **बेईमानी:** कंटेंट की चोरी करना या क्रियेटर्स को श्रेय देने में विफल रहना बौद्धिक संपदा का अनादर और फॉलोवर्स के साथ धोखा है।
- **गोपनीयता का उल्लंघन:** सुरक्षा उपायों के बिना **उपयोगकर्ता डेटा** का दुरुपयोग करना।
- **मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान:** ऑनलाइन आदर्श जीवन-शैली व्याकुलता, आत्म-सम्मान में कमी और असंतोष को बढ़ावा देती है। यह सामूहिक कल्याण को कम करता है।

इन्फ्लुएंसर्स के लिए मानकों की संहिता

- **पेड पार्टनरशिप्स:** इन्फ्लुएंसर्स को किसी भी ब्रांड के साथ अपनी साझेदारी को स्पष्ट रूप से प्रकट करना होगा।
- **AI इन्फ्लुएंसर्स:** यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उन्हें यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वे मानव नहीं हैं।
- **ब्रांड रिलेशन:** इन्फ्लुएंसर्स केवल उन्हीं उत्पादों का समर्थन कर सकते हैं जिनसे वे वास्तव में सहमत हैं। वे एक साथ प्रतिस्पर्धी ब्रांड्स का भी प्रचार नहीं कर सकते हैं।
- **डिफ्लुएंस:** इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड की ईमानदारी से आलोचना करने की अनुमति है, लेकिन यह सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ करनी होगी।
- **बच्चों के लिए सुरक्षित कंटेंट:** कंटेंट का बच्चों के लिए सुरक्षित, सकारात्मक और उपयुक्त होना अनिवार्य है।
- **शिकायत हेतु फोरम:** IGC के तहत उपभोक्ता शिकायत फोरम की स्थापना करनी होगी।

इन्फ्लुएंसर जवाबदेही के लिए भारत में मौजूदा विनियामक फ्रेमवर्क

- **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA):** यह उपभोक्ता अधिकारों, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं झूठे या

भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करता है।

- **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI):** इसने विनियमित वित्तीय संस्थाओं और अपंजीकृत फिनफ्लुएंसर्स के बीच साझेदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- **भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI):** सशुल्क प्रचार की स्पष्ट लेबलिंग अनिवार्य करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।
- **उपभोक्ता मामले का विभाग:** नैतिक और पारदर्शी प्रचार प्रथाओं का पालन करने हेतु 'एंडोर्समेंट नो-हाउज़' प्रकाशित किया गया है।
- **इंडिया इन्फ्लुएंसर गवर्निंग काउंसिल (IIGC):** यह एक स्व-विनियामक निकाय है। इसने **आचार संहिता और साप्ताहिक इन्फ्लुएंसर रेटिंग** शुरू की है।

निष्कर्ष

एक पारदर्शी और भरोसेमंद डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के लिए, स्पष्ट विज्ञापन नियमों को लागू करना, शिक्षा में मीडिया साक्षरता को एकीकृत करना और ब्रांडों को लोकप्रियता पर विश्वसनीयता को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

9.2. बॉडी शेमिंग के नैतिक आयाम (ETHICAL DIMENSIONS OF BODY SHAMING)

परिचय

बॉडी शेमिंग में **शारीरिक बनावट के आधार पर लोगों की आलोचना या उपहास करना शामिल** है और यह किसी के साथ भी हो सकता है। सुंदरता के व्यवसायीकरण के दौर में, बॉडी इमेज को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाने लगा है- उदाहरण के लिए, एक **थाई कैफे ने पतले ग्राहकों को छूट दे रहा** है।

बॉडी इमेज शेमिंग को बढ़ावा देने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक कारक

- **सुंदरता के अव्यवहारिक मानक:** प्रायः मीडिया और विज्ञापन गोरी त्वचा और पतले शरीर को बढ़ावा देते हैं, जिससे अव्यवस्थित खानपान को बढ़ावा मिलता है।
- **सोशल मीडिया का दबाव:** र फिल्टर और एडिटेड इमेज अव्यवहारिक सुंदरता को बढ़ावा देते हैं।
  - उदाहरण के लिए, अत्यधिक उपवास के बाद केरल की एक 18 वर्षीय लड़की की मौत ऑनलाइन ट्रेंड्स से प्रभावित थी।
- **सांस्कृतिक और पारिवारिक पूर्वाग्रह:** महिलाओं को अक्सर उनके रंग-रूप के आधार पर महत्व दिया जाता है, जबकि पुरुषों की मस्कुलर या लंबे कद वाला होने के आधार पर ।
  - उदाहरण के लिए, लड़कियों को शादी के अच्छे रिश्ते के लिए वजन कम करने या गोरा होने का सुझाव दिया जाता है।
- **साथियों की स्थिति का दबाव:** बचपन में चिढ़ाना और धमकाना, बचपन से ही इस सोच को सामान्य बना देता है कि किसी के रूप-रंग या आकार के आधार पर उसे आंका जाए।

नैतिक फ्रेमवर्क और उल्लंघन

- **कांट का नैतिक सिद्धांत:** बॉडी शेमिंग किसी व्यक्ति की मानवीय गरिमा का अपमान है। यह उसे एक इंसान नहीं, बल्कि एक 'उपयोग की वस्तु' बना देता है।
- **उपयोगितावाद:** इससे दीर्घकालिक नुकसान होता है, तथा अल्पकालिक लाभ की अपेक्षा अधिक हानि होती है।
- **सद्गुण आधारित नैतिकता:** यह करुणा या समावेशिता को नहीं, बल्कि घमंड और बहिष्करण को प्रोत्साहित करता है।
- **निष्पक्षता के रूप में न्याय (रॉल्स):** शरीर के प्रकार के आधार पर भेदभाव निष्पक्षता और समानता को कमजोर करता है।

शामिल प्रमुख हितधारक	
हितधारक	**भूमिका/ हित**
समाज	समानुभूति दिखाना, समावेशिता, और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना।
मीडिया और इन्फ़्ल्युएन्सर्स	नैतिक जिम्मेदारी, अस्वास्थ्यकर सौंदर्य मानकों को बढ़ावा देने से बचना, समावेशी संदेशों को अपनाना।
व्यवसाय/ मार्केटिंग	नैतिकता परक विज्ञापन, ग्राहक का विश्वास बनाए रखना, और अल्पकालिक लाभ की बजाय ब्रांड की दीर्घकालीन छवि पर ध्यान देना।
स्वास्थ्य पेशेवर	बॉडी इमेज से जुड़ी समस्याओं, ईटिंग डिसऑर्डर और मानसिक तनाव की स्थिति में सहयोग देना।
सरकार	हानिकारक कंटेंट को वनियिमति करना, मानसकि स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, और वज्ञिापन के नैतकि मानकों को लागू करना।

9.3. मृत्युदंड और नैतिक आयाम (ETHICS OF CAPITAL PUNISHMENT)

परिचय

ऐतिहासिक रूप से, समाज में जघन्य अपराधों को रोकने के लिए मृत्युदंड या प्राणदंड का उपयोग किया जाता था। 20वीं सदी के मध्य से, लगभग 170 देशों में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है या इस पर रोक लगा दी गई है। **एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार** चीन, ईरान, सऊदी अरब और सिंगापुर जैसे देशों में फांसी की सजा के मामलों में **32% की वृद्धि दर्ज** की गई है। ऐसे में, मृत्युदंड आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली और नैतिकता के संदर्भ में एक अत्यंत विवादास्पद विषय बन गया है।

मृत्युदंड और इसके पीछे का दर्शन?

- **परिभाषा: दोषसिद्धि के बाद अपराधी को कानूनी रूप से फांसी दी जाती है।**
- **दर्शन:** यह **प्रतिशोधात्मक न्याय** के सिद्धांत पर आधारित है। सजा की प्रकृति अपराध की गंभीरता पर आधारित होती है।

प्रमुख हितधारक और उनकी चिंताएं	
हितधारक	**हित और चिंताएं**
दोषी व्यक्ति	जीवन जीने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया का अधिकार, भेदभाव आदि।
पीड़ितों के परिवार	**न्याय और संतोष, बदला लेने की भावना (सजा)** और सुलह-संवाद आधारित न्याय, लंबी कानूनी प्रक्रिया, आदि।
व्यापक समाज	सार्वजनिक सुरक्षा, न्याय, सामूहिक विवेक और नैतिक मानक
कानूनी और न्यायिक प्रणालियां	**निष्पक्ष सुनवाई** सुनिश्चित करना, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना, मानवाधिकारों के साथ गतिरोध को संतुलित करना, गलती को सुधारा नहीं जा सकता है।
मानवाधिकार संगठन	प्रतिशोध के बजाय सुधार को वरीयता देना, मानवीय गरिमा, **जीवन का अधिकार** और न्यायिक त्रुटियों की संभावना।
सरकार और नीति निर्माता	**जनमत का दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व**, निवारक के रूप में मृत्युदंड की **प्रभावशीलता** का पता लगाना।

भारत में मृत्युदंड की सजा का क्रम विकास

- **प्राचीन भारत:**
  - हिंदू विधि के तहत विभिन्न रूपों में मनुस्मृति और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में मृत्युदंड का उल्लेख है।
- **मध्यकालीन भारत:**
  - **मुगल काल:** शरीयत के तहत विद्रोह, हत्या और चोरी जैसे गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड प्रचलित था।

  हिंदू साम्राज्य: हिंदू साम्राज्यों में स्थानीय रिवाजों के अनुसार दंडों में भिन्नता पाई जाती थी।
- **आधुनिक भारत:**
  - **औपनिवेशिक काल:** IPC (1860) ने हत्या, राजद्रोह, हत्या के साथ डकैती के लिए मृत्युदंड को औपचारिक रूप दिया।
  - **स्वतंत्रता के बाद:** IPC के तहत मृत्युदंड की सजा जारी रही, मुख्य रूप से जघन्य अपराधों के लिए। हालांकि, अनुच्छेद 21 के तहत संविधान इसके लिए विधि की सम्यक् प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

मृत्युदंड के पक्ष में तर्क

- **निवारक उपाय: उपयोगितावाद नैतिकता (परिणामवादी नैतिकता)** पर आधारित - भविष्य के गंभीर अपराधों को रोकता है और समाज की रक्षा करता है।
- **प्रतिशोधात्मक न्याय:** अपराधियों को **उनके अपराध के अनुपात में** ("आँख के बदले आँख") सजा मिलनी चाहिए।
- **आपराधिक पुनरावृत्ति की रोकथाम:** फांसी दिए जाने के बाद अपराधी आगे कोई अपराध नहीं कर सकते।
- **मानसिक शांति और संतुष्टि:** पीड़ितों के परिवारों को **भावनात्मक राहत** और **न्याय** प्रदान करता है।
- **सार्वजनिक वित्त पर बोझ: उच्च जोखिम वाले, हिंसक अपराधियों** को सुरक्षा के साथ जेलों में रखना सरकार के लिए महंगा साबित होता है।

मृत्युदंड के विपक्ष में तर्क

- **मानवाधिकारों का उल्लंघन:** कान्ट की कर्त्तव्य-मूलक नैतिकता (Deontological Ethics) के अनुसार, कुछ कृत्य (जैसे- किसी का जीवन लेना) नैतिक रूप से गलत होते हैं, भले ही उनके परिणाम अच्छे क्यों न हों।
- **ठीक न की जा सकने वाली त्रुटि:** कभी-कभी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से दोषी ठहरा दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को फांसी दे दी जाती है, तो इसे पलट नहीं सकते।
- **अपराध निवारण की कमी:** इस बात का बहुत कम प्रमाण है कि मृत्युदंड अपराध को रोकने में आजीवन कारावास से अधिक प्रभावी है।
- **मृत्युदंड का विपरीत प्रभाव:** कुछ मामलों में अपराधियों ने पीड़ितों को गवाही देने से रोकने और मृत्युदंड की सजा से बचने के लिए उन्हें मारने की कोशिश की है।

निष्कर्ष

1948 में **मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा-पत्र (UNDHR)** को अपनाने के बाद से, दुनिया भर में मृत्युदंड के खिलाफ एक बड़ा रुझान देखा गया है। इसके बावजूद, कई देशों में मृत्युदंड अभी भी लागू है और यह अक्सर अन्यायपूर्ण मुकदमों या गैर-हिंसक अपराधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार, न्याय और जीवन के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए मानवीय और साक्ष्य-आधारित विकल्पों की आवश्यकता होती है।

10.1. पी.एम. श्री स्कूल (पी.एम. स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) {PM SHRI SCHOOLS (PM SCHOOLS FOR RISING INDIA)}

सुर्ख़ियों में क्यों

हाल ही में, **कुछ राज्यों ने पी.एम. श्री स्कूल योजना के कार्यान्वयन का विरोध** किया है।

विशेषताएं

- **संबंधित मंत्रालय:** शिक्षा मंत्रालय
- **योजना का प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना
- **लाभार्थी:** इस योजना से **20 लाख से अधिक छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने** की उम्मीद है।
- **अवधि:** 5 वर्ष **(2022-23 से 2026-27)**
- **उद्देश्य: देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों को पी.एम. श्री स्कूलों के रूप में विकसित** करना।
  - समतापूर्ण, समावेशी और आनंदपूर्ण शिक्षा, समग्र व्यक्तित्व का विकास।
- **स्कूलों के चयन की विधि:** एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्कूलों द्वारा स्व-आवेदन के साथ पारदर्शी चैलेंज मोड के जरिए।
  - **समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर:** राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र
  - **पात्रता पूल:** न्यूनतम बेंचमार्क के आधार पर पात्र स्कूलों की पहचान की जाएगी
  - **चुनौती पद्धति:** कुछ मानदंडों को पूरा करने की स्थिति में
- **कार्यान्वयन रणनीति:** इसे समग्र शिक्षा, KVS और NVS के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
- **ग्रीन स्कूल:** सौर पैनल, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक मुक्त जैसी पहलें।
- **उन्नत अवसंरचना:** स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल पुस्तकालय, व्यावसायिक प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान और विज्ञान संबंधी अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं। साथ ही, जादुई पिटारा जैसे अलग-अलग ग्रेड्स के लिए उपयुक्त फर्नीचर एवं सीखने के उपकरण।
- **कौशल विकास:** व्यावसायिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और उद्यमिता के अवसरों को शामिल करना। स्थानीय उद्योगों और सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ सहयोग करना।
- **मेंटरिंग और नेतृत्व:** आस-पास के स्कूलों का मार्गदर्शन और नेतृत्व करेंगे। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक क्रमिक प्रभाव उत्पन्न होगा।
- **समावेशी शिक्षा:** लड़कियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए सुरक्षित अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करना। शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/ स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना।
- **निगरानी और गुणवत्ता संबंधी आश्वासन: स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क (SQAF)** का उपयोग करके नियमित मूल्यांकन करना। चयन प्रक्रिया और निगरानी के लिए स्कूलों की जियो-टैगिंग करना।
- **अभिसरण और सामुदायिक भागीदारी:** अवसंरचना के विकास और संसाधन जुटाने के लिए सहयोग करना।

टॉपिक्स	प्रमुख तथ्य/ डेटा
शक्तियों का पृथक्करण	➲ शक्तियों के पृथक्करण का अर्थ है सरकार की तीन शाखाओं - कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में **अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्ट विभाजन**। ➲ **उत्पत्ति: अरस्तू** ने पहली बार **सरकार के कार्यों** (विचार-विमर्श, न्यायिक और न्यायिक) **को विभाजित किया**। ➲ **आधुनिक सिद्धांत: द स्पिरिट ऑफ द लॉज़ (1748), मोंटेस्क्यू**
राज्य विधेयक पर सहमति	**राज्य विधेयक पर सहमति के बारे में संवैधानिक प्रावधान** ➲ **अनुच्छेद 200 के तहत, राज्यपाल सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस लौटा** (धन विधेयक को छोड़कर) सकते हैं। यदि विधानमंडल इसे फिर से पारित करता है, तो **राज्यपाल को सहमति देनी होगी** या **राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना होगा**। ➲ **अनुच्छेद 201 के तहत**, राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों के लिए, राष्ट्रपति सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ➲ राज्यपाल के विपरीत, राष्ट्रपति पुनर्विचार किए गए विधेयक को सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है।
राज्यों की स्वायत्तता की मांग	**केंद्र-राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख पहल** ➲ **अंतर-राज्य परिषद** (अनुच्छेद 263) ➲ **कर हस्तांतरण में वृद्धि** (32% से 42% तक) ➲ GST परिषद में **केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या में कमी (130 से घटाकर 75, लक्ष्य 50**) ➲ विकेंद्रीकरण (73वें और 74वें संशोधन ने पंचायतों और नगरपालिकाओं को अधिकार दिए)
स्वामित्व योजना के पांच वर्ष	➲ **कार्यान्वित:** पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ➲ **प्रमुख घटक** ➥ **CORS नेटवर्क की स्थापना, ड्रोन मैपिंग।** ➥ **जागरूकता के लिए IEC** ➲ **ग्राम मानचित्र संवर्धन**।
लोकसभा उपाध्यक्ष का पद	➲ यह पद **1921 में भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत** अस्तित्व में आया। ➲ **सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बार केंद्रीय विधान सभा में इस पद को संभाला**। ➲ एम. ए. अयंगर, स्वतंत्रता के बाद पहले निर्वाचित उप-सभापति बने।
दल-बदल की याचिकाओं पर अध्यक्ष की निष्क्रियता	➲ **दल-बदल विरोधी कानून: 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से दसवीं अनुसूची को जोड़कर पेश किया गया।** ➲ **सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला** ➥ **किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्लहु (1992):** यदि अध्यक्ष कार्यवाही में देरी करता है तो न्यायालयों को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। ➥ **रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ (1994):** अध्यक्ष को राजनीतिक व्यक्ति के बजाय एक तटस्थ निर्णायक के रूप में कार्य करना चाहिए। ➥ **कर्नाटक विधायकों की अयोग्यता का मामला (2020):** अध्यक्ष से अयोग्यता शक्तियों को एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण को हस्तांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

सिंधु जल संधि	➲ 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच **विश्व बैंक** की मदद से यह संधि हस्ताक्षरित हुई थी। **विश्व बैंक भी इसका एक हस्ताक्षरकर्ता है।** ➲ **नदी आवंटन: भारत**- रावी, ब्यास, सतलुज पर पूर्ण अधिकार; **पाकिस्तान**- सिंधु, झेलम, चिनाब (भारत ने **गैर-उपभोग्य उपयोग** की अनुमति दी)। ➲ **विवाद समाधान: 3-स्तरीय तंत्र -** स्थायी सिंधु आयोग, तटस्थ विशेषज्ञ, मध्यस्थता न्यायालय।
शिमला समझौता	➲ **हस्ताक्षरित: 1972 में,** भारत-पाकिस्तान के बीच **1971 के युद्ध के बाद** और **बांग्लादेश** का निर्माण। ➲ **मुख्य प्रावधान: द्विपक्षीय समाधान, संबंधों का सामान्यीकरण, नियंत्रण रेखा का औपचारिककरण, संप्रभुता का सम्मान** और भविष्य की शांति वार्ता। ➲ **महत्व:** द्विपक्षीयता को मजबूत किया, नियंत्रण रेखा पर शांति, सहयोग को सक्षम बनाया (जैसे, **करतारपुर कॉरिडोर, वीज़ा समझौता), और विश्वास निर्माण को बढ़ावा** दिया।
स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स	➲ **चीन की रणनीति: हिंद महासागर क्षेत्र** में **वाणिज्यिक और सैन्य परिसंपत्ति स्थापित** करना। ➲ **मुख्य स्थान:** ग्वादर (पाकिस्तान), हंबनटोटा (श्रीलंका), चटगाँव (बांग्लादेश), सित्तवे और कोको द्वीप (म्यांमार), जिबूती (सैन्य अड्डा)। ➲ **भारत का जवाब- नेकलेस ऑफ डायमंड:** ➔ **नौसेना पहुँच:** चाबहार, ओमान, चांगी (सिंगापुर) में अड्डे। ➔ **क्षेत्रीय संबंध:** एक्ट ईस्ट, आसियान, क्वाड, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ➲ **समुद्री विजन:** सागर और महासागर जैसी पहलें।
दुर्लभ भू-तत्त्व (Rare Earth Elements : REE)	➲ **दुर्लभ नहीं:** यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, पृथ्वी की भू-पर्पटी (क्रस्ट) में **प्रचुर मात्रा में उपलब्ध** हैं, लेकिन **इनकी सांद्रता कम होने की वजह से आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं** है। ➲ **चूना** या **मैग्नेशिया** जैसे पृथ्वी के अन्य तत्वों की तुलना में दुर्लभता के कारण **18वीं-19वीं शताब्दियों में "दुर्लभ" नाम** दिया गया ➔ **IUPAC परिभाषा (2005):** उच्च घनत्व और चालकता वाले 17 तत्व। ➲ **इसमें शामिल हैं:** सेरियम (Ce), डिस्प्रोसियम (Dy), एर्बियम (Er), यूरोपियम (Eu), गैडोलीनियम (Gd), होल्मियम (Ho), लैंथेनम (La), आदि। ➲ **स्रोत:** बास्टनासाइट, लोपेराइट और मोनाजाइट में पाया जाता है
भारत-UAE संबंध	➲ **UAE भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल स्रोत** है और LNG और LPG का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। ➲ **UAE** भारत का **तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य** है। ➲ **UAE** में पहला हिंदू मंदिर 'BAPS मंदिर' खाड़ी क्षेत्र में अपनी तरह का सबसे बड़ा मंदिर है। ➲ **UAE** इस क्षेत्र का एकमात्र देश है जो **भारत में रणनीतिक तेल भंडार रखने की पेशकश** करता है।
बिम्सटेक	➲ **गठन:** 1997, BIST-EC (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड) के रूप में; बाद में **7 सदस्यों के साथ BIMSTEC बन** गया। ➲ **सदस्य:** बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ➲ **सचिवालय:** ढाका, बांग्लादेश।
भारतीय प्रवासी	➲ **परिभाषा:** भारतीय मूल के लोग लंबी अवधि के वीजा पर या पीढ़ियों से विदेश में बसे हुए हैं। ➲ **भारतीय डायस्पोरा में शामिल हैं:** ➔ **भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO):** ऐसा व्यक्ति जो या जिसके पूर्वज भारतीय नागरिक थे और जो वर्तमान में किसी अन्य देश की नागरिकता/ राष्ट्रीयता रखते हैं, यानी उनके पास विदेशी पासपोर्ट है। ➔ **भारत के प्रवासी नागरिक (OCI):** नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7A के तहत पंजीकृत। **(PIO और OCI का 2015 में OCI के रूप में विलय हो गया)।** ➲ **अनिवासी भारतीय (NRI):** भारतीय पासपोर्ट के साथ विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक।
सर क्रीक	➲ **विवादित क्षेत्र:** अरब सागर में **96 किलोमीटर का ज्वारीय मुहाना, सिंध (पाकिस्तान) और कच्छ (गुजरात, भारत) के बीच**। ➲ **भारत का रुख:** थालवेग सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए- सीमा नौगम्य जल के मध्य चैनल में स्थित है।
प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY)	➲ **लॉन्च:** 2015; मंत्रालय: वित्त मंत्रालय ➲ **उद्देश्य:** बैंकों, MFIs, NBFCs, RRBs के माध्यम से SMEs को **संपार्श्विक-मुक्त ऋण** प्रदान करना। ➲ **ऋण श्रेणियाँ:** ➔ **शिशु:** ₹50,000 तक ➔ **किशोर:** ₹50,001 - ₹5 लाख ➔ **तरुण:** ₹5 लाख - ₹10 लाख ➲ **तरुण प्लस:** ₹10 लाख - ₹20 लाख

एक राज्य, एक RRB	➲ **उद्देश्य:** कार्यकुशलता, ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन में सुधार करना। ➲ **लाभ:** ➥ बड़ा **पूंजी आधार**, बेहतर **CRAR अनुपालन** और **बेहतर तरलता।** ➥ **उन्नत तकनीकी अवसंरचना** (जैसे, माइक्रो-ATMs, वीडियो KYC, IMPS)। ➥ **ग्रामीण ऋण को मजबूत किया**, विशेष रूप से MSME और कृषि के लिए (वित्त वर्ष 2023 में कृषि ऋण में RRB का योगदान 11.2% था)। ➲ **डिजिटल समावेशन**, लागत में कमी और उत्पाद विविधीकरण को सक्षम बनाता है।
भारत का बाह्य ऋण	➲ **बाह्य ऋण में वृद्धि:** दिसंबर 2023 की तुलना में 10.7% की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण भारतीय रुपये के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में वृद्धि से मूल्यांकन प्रभाव है। ➲ **ऋण-GDP अनुपात:** 19.0% (सितंबर 2024) से मामूली रूप से बढ़कर 19.1% (दिसंबर 2024) हो गया। ➲ **ऋण सेवा अनुपात:** 0.1% की मामूली गिरावट, जो स्थिर पुनर्भुगतान गतिशीलता को दर्शाता है। ➲ **ऋण संरचना:** ➥ **दीर्घकालिक ऋण** में मामूली वृद्धि देखी गई। ➲ **अल्पकालिक ऋण** में मामूली गिरावट आई।
MOSPI ने CAPEX (पूंजीगत व्यय) सर्वेक्षण जारी किया	➲ **सांख्यिकी अधिनियम, 2008 के संग्रह के तहत** MoSPI के तहत NSO द्वारा आयोजित। ➲ **मुख्य हाइलाइट:** वित्त वर्ष **2022 से वित्त वर्ष 2025 तक निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में 66% की वृद्धि हुई।** ➲ **क्षेत्रीय अंतर्दृष्टि:** वित्त वर्ष 2024-25 में विनिर्माण उद्यमों ने कुल निजी पूंजीगत व्यय में 48% का योगदान दिया। ➲ **उद्देश्य:** भविष्य की **आर्थिक क्षमता और निजी क्षेत्र के आत्मविश्वास को दर्शाते हुए निवेश इरादों का आकलन** करता है। ➲ **महत्व:** पूंजीगत व्यय दीर्घकालिक उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाता है। ➲ **चुनौतियाँ: इक्विटी और ऋण जुटाना, परियोजना संरचना** और विनियामक देरी (जैसे, भूमि अधिग्रहण) शामिल हैं।
तटीय नौवहन विधेयक, 2025	➲ **उद्देश्य: मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 के भाग XIV को निरस्त** करके तटीय शिपिंग को नियंत्रित करने वाले कानूनों को समेकित और आधुनिक बनाना। ➲ **मुख्य प्रावधान:** ➥ **विदेशी जहाजों के लिए अनिवार्य तटीय व्यापार लाइसेंस (भारतीय जहाजों को छूट)।** ➥ **राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय शिपिंग रणनीतिक योजना की स्थापना** (द्विवार्षिक रूप से अद्यतन)। ➲ तटीय शिपिंग के लिए र@ाष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण।
नई इस्पात नीति	➲ घरेलू रूप से निर्मित **लौह एवं इस्पात उत्पाद (DMI&SP) नीति, जिसे 2025 में संशोधित** किया गया है। ➲ **5 लाख रुपये से अधिक की सभी सरकारी खरीद में घरेलू इस्पात को प्राथमिकता** देने का आदेश देती है। ➲ **मुख्य विशेषताएं:** ➥ सभी सरकारी संस्थाओं पर लागू होती है। ➥ **"मेल्ट एंड पोर"** इस्पात उत्पादों को कवर करती है; अधिकांश वस्तुओं के लिए वैश्विक निविदा पूछताछ (GTE) पर प्रतिबंध लगाती है। ➥ **उत्पादन उपकरणों में 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) की आवश्यकता** होती है। ➥ पारस्परिक खंड उन देशों के आपूर्तिकर्ताओं को बाहर करता है जो भारतीय फर्मों को उनकी खरीद में प्रतिबंधित करते हैं।
तरलता कवरेज अनुपात (LCR)	➲ **क्या:** RBI ने लिक्विडिटी प्रबंधन में सुधार के लिए खुदरा जमा पर **रन-ऑफ फैक्टर को कम करते** हुए LCR मानदंडों को संशोधित किया। ➲ **परिभाषा:** LCR के तहत बैंकों को वित्तीय तनाव के दौरान 30-दिवसीय शुद्ध बहिर्वाह को पूरा करने के लिए पर्याप्त उच्च-गुणवत्ता वाली लिक्विड एसेट्स (HQLA) रखने की आवश्यकता होती है। ➲ **उत्पत्ति: बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा बेसल III ढांचे के तहत पेश** किया गया।
जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद	➲ पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LET) की एक शाखा, द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF)। ➲ **भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित** कर दिया है। अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को बंद कर दिया और 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत हवाई हमले किए गए। ➲ **2019 से आतंकवादी हमलों में कमी आई है**; जम्मू और कश्मीर में आर्थिक विकास और स्थिरता बढ़ रही है (MHA वार्षिक रिपोर्ट 2023-24)।

भारत का रक्षा निर्यात	➔ वित्त वर्ष 2024-25 में **भारत का रक्षा निर्यात** 23,622 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। ➔ **निजी क्षेत्रक (15,233 करोड़ रुपये) द्वारा निर्यात में 64.5% का योगदान दिया** गया और DPSUs (8,389 करोड़ रुपये) से 42.85% की वृद्धि हुई। ➔ **शीर्ष निर्यात गंतव्य:** USA, फ्रांस और आर्मेनिया। ➔ भारत के निर्यात पोर्टफोलियो में आकाश SAM, तेजस विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ➔ **लक्ष्य:** 2029 तक रक्षा निर्यात में 50,000 करोड़ रुपये।
जैविक हथियार कन्वेंशन (BWC)	➔ भारत ने 1974 में 188 राज्यों की भागीदारी के साथ BWC का अनुमोदन किया। ➔ **BWC जैविक हथियारों के विकास, उत्पादन और उपयोग** पर प्रतिबंध लगाता है। ➔ **भारत के पास सामूहिक विनाश के हथियार (निषेध) अधिनियम, 2005 जैसे घरेलू उपाय** हैं।
सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व	➔ **भारत का 107वाँ राष्ट्रीय उद्यान** तथा पूर्वी राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान। ➔ **छोटानागपुर क्षेत्र में ओडिशा के मयूरभंज जिले** में स्थित है। ➔ **प्रमुख नदियाँ:** बुरहाबलंगा, पलपला बंदन, सलांडी, काहैरी और देव।
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस	➔ **HQ:** भारत ➔ **उत्पत्ति**: प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2023 में भारत द्वारा लॉन्च किया गया। ➔ **सदस्य:** 7 देशों (निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया, लाइबेरिया, गिनी, कंबोडिया) ने औपचारिक रूप से इसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ➔ **उद्देश्य: 7 बिग कैट्स** अर्थात् **बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण**।
AIM4NatuRe पहल	➔ **खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल) पर 'एक्सीलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन (AIM4NatuRe)'** पहल शुरू की। ➔ AIM4NatuRe का मतलब है **प्रकृति पुनर्स्थापन के लिए अभिनव निगरानी को तेज करना** ➔ इसका उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकी, मानकीकृत डेटा फ्रेमवर्क और क्षमता विकास का उपयोग करके वैश्विक पारिस्थितिकी-तंत्र पुनर्स्थापन प्रयासों की निगरानी और रिपोर्टिंग में सुधार करना है ताकि **GBF के लक्ष्य 2 में उल्लिखित 2030 तक कम-से-कम 30% खराब पारिस्थितिकी-तंत्र को पुनर्स्थापित किया जा सके**।
अरल सागर	➔ यह **कभी मध्य एशिया की एक बड़ी खारे पानी की झील** थी। ➔ **अवस्थिति: कजाकिस्तान (उत्तर) और उज्बेकिस्तान (दक्षिण)** की सीमा पर अवस्थित है। इसे **अमू दरिया और सिर दरिया** नदियों से पानी मिलता था। ➔ **सूखने का कारण: सोवियत संघ के दौर में,** इन नदियों का पानी **खेती के लिए मोड़ दिया गया**।
मार्पोल	➔ यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है जिसका उद्देश्य **परिचालन या दुर्घटना के कारण जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम** करना है। ➔ इसे **1973 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन** (संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी) द्वारा अपनाया गया था। ➔ यह छह **अनेक्स** में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक **भिन्न प्रकार के प्रदूषण** से संबंधित है।
आर्यभट्ट सैटेलाइट	➔ **भारत का पहला उपग्रह:** इसका निर्माण इसरो ने किया था। इसे **1975 में सोवियत कोस्मोस-3एम द्वारा वोल्गोग्राड से प्रक्षेपित** किया गया। ➔ **कक्षा:** लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) में स्थापित। ➔ **उद्देश्य: एक्स-रे एस्ट्रोनॉमी, वायुमंडलीय विज्ञान (एरोनॉमिक्स), और सोलर-फिजिक्स में प्रयोग** करना।
उपग्रह की कक्षाएं	➔ **निम्न भू-कक्षा (LEO):** 2000 कि.मी. की ऊंचाई तक; इमेजिंग, संचार, पृथ्वी अवलोकन के लिए उपयोग किया जाता है। ➔ **सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा (SSO):** यह पृथ्वी से 600 से 800 कि.मी. तक की ऊंचाई के बीच; भूमि-उपयोग, मौसम, बर्फ की निगरानी के लिए; **उपग्रह सूर्य के साथ समकालिक** होते हैं। ➔ **मध्यम भू-कक्षा (MEO)**: 2,000-36,000 किमी के बीच; नेविगेशन और दूरसंचार के लिए उपयोग किया जाता है। ➔ **भूस्थिर कक्षा (GEO):** 35,786 किमी; दूरसंचार, मौसम और GPS के लिए उपयोग किया जाता है; उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ गमन करते है।
भगवद् गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियां	**यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड (MOW) कार्यक्रम:** ➔ इसे **दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करने के लिए** 1992 में शुरू किया गया था। ➔ इसका उद्देश्य संरक्षण, सार्वभौमिक पहुँच और जन जागरूकता बढ़ाना है। ➔ **अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति (IAC)** यूनेस्को को कार्यक्रम पर सलाह देती है।

सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि	**IVC में कृषि: साक्ष्य:** अन्नागार, मृदभांड, टेराकोटा मूर्तियां। **खेती की जाने वाली फसलें:** ➲ **रबी:** गेहूँ (हड़प्पा, मोहनजो-दारो), जौ (शोर्तुगई)। ➲ **खरीफ:** सरसों, तिल, कपास (विश्व स्तर पर पहला उत्पादक), खजूर, फलियां। ➲ **चावल:** लोथल, रंगपुर तक सीमित (भूसी पाई गई)। ➲ **दालें:** हरा चना, काला चना, कुल्थी, मटर (हड़प्पा)। ➲ **ब्रेसिका:** तेल, दवा, चारे के लिए उपयोग किया जाता था। ➲ **फल:** बेर (मेहरगढ़), खजूर, अंगूर, अखरोट, पीपल
वायकोम सत्याग्रह	**वायकोम सत्याग्रह के बारे में:** ➲ **केरल के त्रावणकोर में हिंदू जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक अहिंसक नागरिक अधिकार आंदोलन** था। ➲ आंदोलन में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शामिल थे जैसे- सड़क रोकना और। ➲ **प्रमुख नेतृत्व:** टी के माधवन, केपी केशव मेनन, के केलप्पन (केरल गांधी)। ➲ **आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी:** नागम्मई, एस.आर. कन्नम्मा, भाग्यम स्तानुमालय पेरुमल, कय्यालक्कल नारायणी।
सर चेत्तूर शंकरन नायर	➲ **प्रमुख उपलब्धियां:** सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष (1897), **मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश**, वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य (जलियाँवाला बाग कांड के बाद इस्तीफा दे दिया)। ➲ **कानूनी दृष्टिकोण: बुदसना बनाम फातिमा (1914) मामले** में **हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश** को मान्यता दी। **जलियांवाला बाग पीड़ितों के लिए न्याय** की लड़ाई लड़ी। ➲ **सामाजिक सुधार:** पूर्ण समानता और महिलाओं के मताधिकार का समर्थन किया।
बनारसी शहनाई और बनारसी तबला	➲ **बनारसी शहनाई के बारे में:** GI टैग प्राप्त है; भारतीय सुषिर वाद्य, है; मंदिर में बजने वाला संगीत उपकरण; उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। ➲ **बनारसी तबले के बारे में:** GI टैग प्राप्त है; इसका विकास पंडित राम सहाय ने किया था; बनारस घराना **भारतीय शास्त्रीय संगीत में छः प्रमुख तबला घरानों** में से एक है।

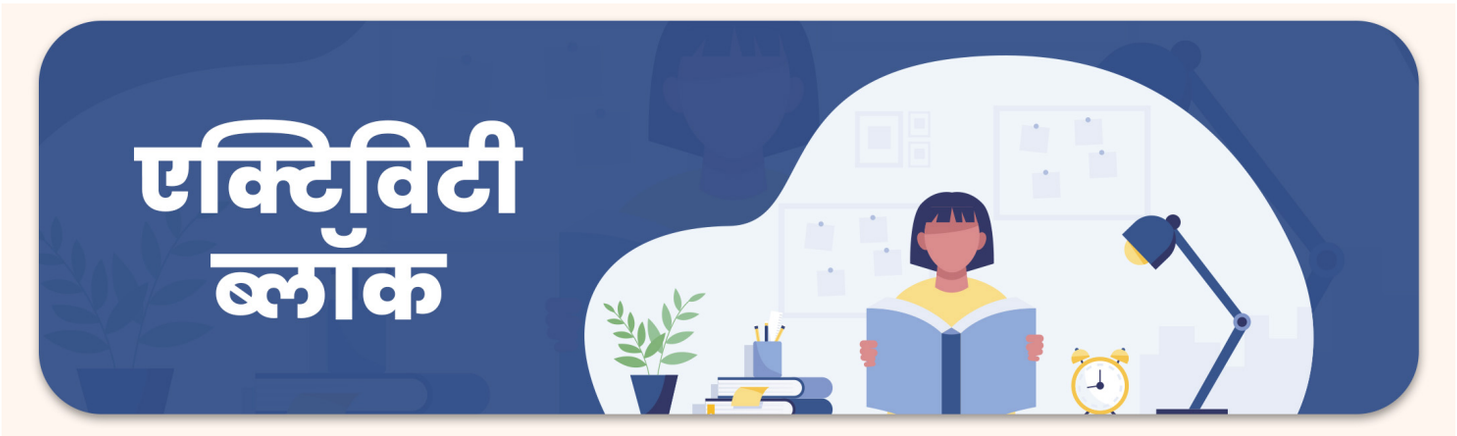

12.1. MCQs

1. भारत में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है?
(a) बिना किसी अतिव्यापन (ओवरलैप) के पूर्ण पृथक्करण है।
(b) प्रत्येक अंग पूर्ण अलगाव में कार्य करता है।
(c) भारत शक्तियों के कठोर पृथक्करण का अनुसरण करता है।
(d) भारत शक्तियों के व्यापक पृथक्करण का अनुसरण करता है जिसमें कार्यात्मिक अतिव्यापन और संतुलन बनाए रखा जाता है।

2. किस अनुच्छेद के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को "पूर्ण न्याय" करने के लिए आदेश देने का अनन्य अधिकार प्राप्त है?
(a) अनुच्छेद 32
(b) अनुच्छेद 142
(c) अनुच्छेद 136
(d) अनुच्छेद 226

3. यदि राज्यपाल बिना उचित कारण के किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोक लेता है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा न्यायिक उपचार उपलब्ध हो सकता है?
(a) महाभियोग की प्रक्रिया
(b) बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट
(c) उत्प्रेषण रिट
(d) परमादेश रिट

4. वर्ष 1960 में सिंधु जल संधि पर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मध्यस्थता में हस्ताक्षर किए गए थे?
(a) संयुक्त राष्ट्र
(b) सार्क (SAARC)
(c) विश्व बैंक
(d) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

5. कच्चातिवु द्वीप विवाद मुख्यतः किन दो देशों के बीच है?
(a) श्रीलंका और मालदीव
(b) भारत और श्रीलंका
(c) बांग्लादेश और म्यांमार
(d) थाईलैंड और मलेशिया

6. हाल ही में चर्चित रहा "मोराग एक्सिस" निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है?
(a) वेस्ट बैंक
(b) सिनाई प्रायद्वीप
(c) गाज़ा पट्टी
(d) गोलन हाइट्स

7. बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई थी।
2. इसका स्थायी सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, नही 2

8. इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ECMS) के तहत राजकोषीय प्रोत्साहन संरचना के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सर्वोत्तम वर्णन करता है?
1. आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र के लिए टर्नओवर के आधार पर प्रोत्साहन लागू होते हैं।
2. बेयर कंपोनेंट के लिए कैपेक्स के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।
3. चयनित बेयर कंपोनेंट्स के लिए हाइब्रिड प्रोत्साहन प्रदान किए जा सकते हैं।
4. केवल ग्रीनफील्ड निवेश ही इस योजना के लिए पात्र हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3
(c) केवल 2 और 4
(d) केवल 1, 2 और 3

9. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. मुद्रा योजना सूक्ष्म-उद्यमियों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करती है।
2. 'शिशु' श्रेणी के तहत ऋणों पर समय पर भुगतान करने पर 2% ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
3. मुद्रा ऋण संपार्श्विक-मुक्त हैं और क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) द्वारा गारंटीकृत हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

10. वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-II (VVP-II) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. VVP-II, VVP-I द्वारा रखी गई नींव पर आधारित है, जो उत्तरी सीमा पर स्थित सीमावर्ती गांवों पर केंद्रित है।
2. VVP-II केंद्र सरकार से आंशिक वित्त पोषण के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
3. VVP-II का उद्देश्य जीवन स्थितियों में सुधार करना, आजीविका के अवसर प्रदान करना और सीमा पार अपराध को नियंत्रित करना है।
4. VVP-II में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (MGSY-IV) के तहत सड़कों, आवास और स्मार्ट कक्षाओं जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) उपर्युक्त सभी

11. सैन्य अभ्यास और सहयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

(a) भारतीय वायु सेना ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) द्वारा आयोजित अभ्यास डेजर्ट फ्लैग-10 में भाग लिया।
(b) ऑपरेशन एटलांटा पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता प्रयासों पर केंद्रित है।
(c) अभ्यास दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान में वार्षिक आधार पर वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है।
(d) अभ्यास टाइगर ट्रायंफ एक द्विपक्षीय त्रि-सेवा भारत-अमेरिका मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभ्यास है।

12. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के उद्योगों के संशोधित वर्गीकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस वर्गीकरण प्रणाली को मूल रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1989 में दून घाटी अधिसूचना के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।
2. ब्लू श्रेणी विशेष रूप से घरेलू गतिविधियों से अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं के लिए नई पेशकश है।
3. रेड श्रेणी में वे उद्योग शामिल हैं जिनका प्रदूषण सूचकांक (PI) 80 से अधिक है, जैसे सीमेंट और ऑटोमोबाइल।
4. CPCB को 1974 में वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत स्थापित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3
(c) केवल 2 और 4
(d) केवल 1, 2 और 3

13. हाल ही में अधिसूचित सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सिमिलिपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान और ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है।
2. यह ओडिशा के मयूरभंज जिले में छोटानागपुर क्षेत्र में स्थित है।
3. सिमिलिपाल को 2009 से मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) कोई नहीं

14. हालिया IMF रिपोर्ट में उल्लेखित "सिल्वर इकॉनमी" शब्द का क्या अर्थ है?

(a) चांदी के खनन पर अत्यधिक निर्भर अर्थव्यवस्थाएं
(b) वृद्ध जनसंख्या से संबंधित आर्थिक अवसर
(c) युवाओं के बीच उच्च डिजिटल पहुँच वाली अर्थव्यवस्थाएं
(d) AI और रोबोटिक्स का उपयोग करने वाले औद्योगिक क्षेत्र

15. हाल ही में सुर्खियों में रहे AI किरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है।
2. इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में AI के प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

16. हाइड्रोजन बम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह केवल परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है।
2. हाइड्रोजन बम के विस्फोट से परमाणु बम की तुलना में अधिक ऊर्जा निकलती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

17. जेवॉन्स पैराडॉक्स निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है?

(a) तकनीकी प्रगति हमेशा संसाधन की खपत को कम करती है।
(b) संसाधन उपयोग में बढ़ती दक्षता इसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती है।
(c) अधिक दक्षता से समग्र संसाधन खपत में वृद्धि हो सकती है।
(d) ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा मांग हमेशा विपरीत रूप से संबंधित होती हैं।

18. निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को चारों वेदों से निष्कर्ष निकालने के कारण "पंचम वेद" कहा जाता है?

(a) भगवद् गीता
(b) ऋग्वेद
(c) नाट्यशास्त्र
(d) अभिनवगुप्त द्वारा रचित तंत्रलोक

19. निम्नलिखित में से कौन-सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता की स्थलों जैसे लोथल और रंगपुर से विशेष रूप से संबंधित है?

(a) जौ
(b) गेहूं
(c) चावल
(d) सरसों

20. प्रारंभिक नेताओं के कैद होने के बाद वायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आमंत्रित किया गया था?

(a) टी. के. माधवन
(b) ई. वी. रामासामी नायकर (पेरियार)
(c) सी. राजगोपालाचारी
(d) श्री नारायण गुरु

12.2. ट्रू/फाल्स (T/F) स्टेटमेंट्स (True/false Statements)

1. भारत में न्यायपालिका किसी भी परिस्थिति में विधायी या कार्यकारी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है। (T/F)
2. लोक सभा के उपाध्यक्ष का पद सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत सृजित किया गया था। (T/F)
3. अंतर-राज्य परिषद एक संवैधानिक निकाय है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत संघ तथा राज्यों के मध्य समन्वय को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित किया गया है। (T/F)
4. भारत द्वारा बिम्सटेक (BIMSTEC) के तत्वावधान में प्रारंभ की गई बोधि पहल (BODHI Initiative) का लक्ष्य समुद्री अवसंरचना का विकास करना है। (T/F)
5. किशनगंगा जलविद्युत परियोजना झेलम नदी की एक सहायक नदी पर अवस्थित है। (T/F)
6. सर क्रीक भारतीय राज्य गुजरात तथा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मध्य स्थित 96 किलोमीटर लंबा एक ज्वारनदमुख है। (T/F)
7. "भारत में डीप टेक स्टार्टअप्स के समक्ष विद्यमान प्राथमिक चुनौती उपभोक्ता-तकनीक क्षेत्रक में अत्यधिक सरकारी विनियमन है।" (T/F)
8. भारत का इलेक्ट्रॉनिक घटक क्षेत्रक वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन जैसे राष्ट्रों की तुलना में एक सुदृढ़ अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र से युक्त है। (T/F)
9. प्रोजेक्ट वर्षा का उद्देश्य आंध्र प्रदेश के तटीय ग्राम रामबिल्ली में परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों (SSBNs) को समायोजित करने हेतु एक सुरक्षित भूमिगत आधार विकसित करना है। (T/F)
10. लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम 'गौरव' की मारक क्षमता 50 किलोमीटर है तथा इसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। (T/F)
11. गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी मध्य प्रदेश में अवस्थित है तथा यह मंदसौर और नीमच जिलों के निमाड़ क्षेत्र में विस्तृत है। (T/F)
12. बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के अंतर्गत 13 टाइगर रेंज देशों के सदस्य Tx2 लक्ष्य (वर्ष 2022 तक विश्व के जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करना) पर सहमत हुए। (T/F)
13. भारत में 3 यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क (UGGP) विद्यमान हैं। (T/F)
14. केरल में न्यूनतम तथा बिहार में अधिकतम लैंगिक साक्षरता अंतराल दर्ज किया गया है। (T/F)
15. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का उद्देश्य केवल असंगठित क्षेत्र के समस्त श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। (T/F)
16. ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन सौर अथवा पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न विद्युत का उपयोग करके जल के अणुओं को विभाजित करके किया जाता है। (T/F)
17. भूस्थिर कक्षा में स्थापित उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित करते हुए, भूमध्य रेखा के ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं। (T/F)
18. डीप लर्निंग में प्रयुक्त समानांतर एल्गोरिदम को निष्पादित करने के लिए CPUs की तुलना में GPUs अधिक दक्ष होते हैं। (T/F)
19. भगवद् गीता 18 अध्यायों में रचित है तथा यह रामायण का एक अंश है। (T/F)
20. वायकोम सत्याग्रह के परिणामस्वरूप नवंबर 1925 तक वायकोम मंदिर के चारों ओर की सभी चार सड़कों को सभी जातियों के लिए सफलतापूर्वक खोल दिया गया। (T/F)

12.3. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions)

1. "राज्य की अधिक स्वायत्तता की मांग भारत के अर्ध-संघीय ढांचे में बढ़ते तनाव को दर्शाती है।" हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
2. भारत में ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और ग्रामीण शासन में बदलाव लाने में स्वामित्व योजना के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियों पर भी प्रकाश डालिए और इसे अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने के लिए सुधारों का सुझाव दीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
3. उभरती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आगे बढ़ाने में भारत की कूटनीतिक रणनीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द/ 10 अंक)
4. भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के कानूनी और भू-राजनीतिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए। (150 शब्द/ 10 अंक)
5. भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में डीप टेक स्टार्ट-अप्स के महत्व पर चर्चा कीजिए। उनके सामने कौन-सी प्रमुख चुनौतियां हैं और इन मुद्दों के समाधान के लिए कौन-से नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है? (10 अंक, 150 शब्द)
6. रक्षा निर्यात में भारत की वृद्धि को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख पहल क्या हैं? भारत के सामने आने वाली चुनौतियों और वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आगे की राह पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
7. जैविक हथियार अभिसमय (BWC) के प्रमुख प्रावधानों और इसके प्रावधानों को लागू करने के भारत के प्रयासों पर चर्चा कीजिए। BWC से संबंधित चुनौतियां क्या हैं और इसकी प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)
8. पर्यावरण न्यायशास्त्र में मानव-केंद्रित से पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण में भारत के परिवर्तन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। हाल के न्यायिक हस्तक्षेपों के उदाहरणों के साथ, पर्यावरणीय अधिकारों को बढ़ावा देने में न्यायिक सक्रियता के दार्शनिक, कानूनी आधार और भूमिका पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
9. संरक्षण उपकरण के रूप में फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन की क्षमता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, इसके लाभों और ऐसे जैव प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों से जुड़े जोखिमों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
10. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) के तहत संधारणीय कृषि को बढ़ावा देने में बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स (BRCs) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। BRCs स्थापित करने के लिए प्रमुख दिशा-निर्देशों और किसानों पर उनके संभावित प्रभाव पर प्रकाश डालिए। (10 अंक, 150 शब्द)
11. भारत की डीकार्बोनाइजेशन रणनीति में ग्रीन हाइड्रोजन को एक प्रमुख स्तंभ के रूप में देखा जाता है। परीक्षण कीजिए कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और इसका प्रमाणन ढांचा इस क्षमता को कैसे साकार करने का लक्ष्य रखता है। (250 शब्द/ 15 अंक)
12. ध्रुवीय कक्षाओं में उपग्रहों को तैनात करने के महत्व और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए, विशेष रूप से "फ्रेम 2" जैसे हालिया मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के संदर्भ में। विभिन्न उपग्रह कक्षाएं पृथ्वी अवलोकन और संचार में विभिन्न अनुप्रयोगों को कैसे पूरा करती हैं? (250 शब्द/ 15 अंक)
13. सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के महत्व पर चर्चा कीजिए। उगाई जाने वाली फसलों, इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों और किस प्रकार उन्होंने शहरी सभ्यता का समर्थन किया, इस पर प्रकाश डालिए। (250 शब्द/15 अंक)
14. भारत के सामाजिक-राजनीतिक इतिहास में वायकोम सत्याग्रह के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। इस आंदोलन के समक्ष आने वाली चुनौतियों और इसके दीर्घकालिक प्रभाव पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द/15 अंक)
15. भारतीय संदर्भ में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। संवैधानिक प्रावधानों, न्यायिक घोषणाओं और सरकार के तीन अंगों

के बीच संतुलन बनाए रखने में व्यावहारिक चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। (15 अंक, 250 शब्द)

16. "ड्रैगन-एलीफेंट टैंगो" का रूपक भारत-चीन संबंधों के 75 वर्षों का प्रतीक है। वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के संदर्भ में इसकी व्यवहार्यता का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द/ 15 अंक)
17. भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र में बदलने में इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ECMS) के महत्व पर चर्चा कीजिए। साथ ही, उन प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए जिनका समाधान योजना द्वारा किया जाना है। (250 शब्द/ 15 अंक)
18. भारत में वित्तीय समावेशन और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। इसकी प्रभावशीलता में कौन-सी चुनौतियां बाधा डालती हैं, और इसके परिणामों को बेहतर करने के लिए कौन-से सुधार आवश्यक हैं? (250 शब्द/ 15 अंक)
19. जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद में योगदान देने वाले बाह्य और आंतरिक कारकों पर चर्चा कीजिए, और इस मुद्दे से निपटने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
20. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग द्वारा उत्पन्न नैतिक चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इनसे निपटने में भारत का विनियामकीय ढांचा कितना प्रभावी है? (250 शब्द/ 15 अंक)

12.4. एथिक्स केस स्टडी (Ethics Case Studies)

केस स्टडी-1

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए

हाल के वर्षों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तेजी से विकास ने सार्वजनिक हस्तियों की एक नई श्रेणी जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के उदय को बढ़ावा दिया है। इस विशाल लोकप्रियता के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के पास सार्वजनिक राय को आकार देने, उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने तथा फैशन, स्वास्थ्य और जीवन-शैली जैसे क्षेत्रों में लोगों के खरीद संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने की शक्ति है।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

(a) समाज पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
(b) सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के विनियमन के लिए मार्गदर्शक नैतिक सरोकार पर चर्चा कीजिए।

केस स्टडी-2

रवि, एक 28 वर्षीय व्यक्ति है, जिसे एक हाई-प्रोफाइल मामले में एक पुलिस अधिकारी की पूर्व-नियोजित और क्रूर हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है, जिसे मीडिया में व्यापक कवरेज मिला है। ट्रायल कोर्ट ने उसे भारतीय न्याय संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मौत की सजा सुनाई है। मारे गए अधिकारी का परिवार फांसी के माध्यम से न्याय और मामले के निस्तारण की मांग कर रहा है, जबकि कई मानवाधिकार संगठन सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए याचिका दायर कर रहे हैं, जिसमें सजा की अपरिवर्तनीय प्रकृति और मृत्युदंड के उन्मूलन की ओर वैश्विक रुझान का हवाला दिया गया है। रवि मुकदमे और अपील की प्रक्रिया के दौरान पहले ही 3 साल कारागार में व्यतीत कर चुका है, और उसका मानसिक स्वास्थ्य स्पष्ट रूप से बिगड़ गया है। उसके वकील का तर्क है कि सजा उसके जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।

आप विधि और न्याय मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्हें सरकार को यह सलाह देने का काम सौंपा गया है कि सजा को बरकरार रखा जाए या दया की सिफारिश की जाए।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

इस मामले में प्रमुख हितधारक कौन-कौन हैं? संक्षेप में उनके दृष्टिकोण और नैतिक चिंताओं की रूपरेखा तैयार कीजिए।

यदि आप अंतिम निर्णय लेने की स्थिति में होते, तो आपकी सिफारिश क्या होती और क्यों? नैतिक सिद्धांतों, संवैधानिक मूल्यों और प्रासंगिक कानूनी सिद्धांतों का उपयोग करके अपने उत्तर को उचित ठहराएं।

मृत्युदंड का सहारा लिए बिना न्याय और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक उपाय सुझाएं।

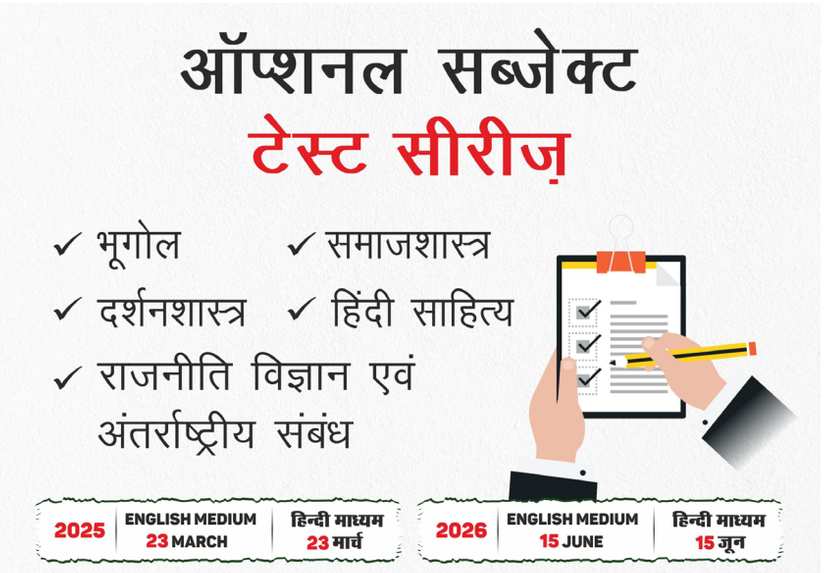

13.1. MCQs के उत्तर और व्याख्या (MCQs Answer and Explantion)

1. उत्तर: D

व्याख्या:

- भारत कार्यात्मक अतिव्यापन (ओवरलैप) तथा नियंत्रण और संतुलन के साथ एक व्यापक पृथक्करण का पालन करता है।

2. उत्तर: B

3. उत्तर: D

- **व्याख्या:** परमादेश का अर्थ है "हम आदेश देते हैं।" यह एक अदालत द्वारा एक लोक अधिकारी को जारी किया गया निर्देश है। यह उन्हें एक कर्तव्य निभाने के लिए मजबूर करता है जिसे पूरा करने के लिए वे कानूनी रूप से बाध्य हैं, लेकिन वे या तो विफल रहे हैं या ऐसा करने से उन्होंने इनकार कर दिया है।

4. उत्तर: C

व्याख्या: सिंधु जल संधि के बारे में

- **हस्ताक्षरित: 1960 में भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर** किए थे। इस संधि पर **विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता** की गई थी। इस संधि में विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षरकर्ता है।
- **उद्देश्य:** सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल का **वितरण** सुनिश्चित करना।
- **जल का विभाजन:**
  - **पूर्वी नदियां (रावी, व्यास, सतलुज):** भारत द्वारा पूर्ण उपयोग।
  - **पश्चिमी नदियां (सिंधु, झेलम, चिनाब):** पाकिस्तान को आवंटित; भारत ने गैर-उपभोग्य उपयोग की अनुमति दी।

5. उत्तर: B

व्याख्या: कच्चातिवु द्वीप विवाद **भारत और श्रीलंका** के बीच स्थित है। इस द्वीप पर मुख्य रूप से मछली पकड़ने के अधिकार और स्वामित्व को लेकर दोनों देशों में तनाव रहता है। यह **मछुआरों की गिरफ्तारी, तमिल जातीय मुद्दों** और श्रीलंका में **चीन की रणनीतिक उपस्थिति** जैसे व्यापक द्विपक्षीय तनावों को बढ़ाने का कारण बनता है।

6. उत्तर: C

व्याख्या: मोराग एक्सिस के बारे में

- यह क्षेत्र **खान यूनिस और राफा** के बीच स्थित है। यह मुख्यतः कृषि भूमि है, जो गाजा पट्टी में पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है।
- **"मोराग"** नाम एक **अवैध इजरायली बस्ती** को संदर्भित करता है, जो **1972 और 2005** के बीच इस क्षेत्र में स्थापित की गई थी।

7. उत्तर: C

व्याख्या: बिम्सटेक के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसकी स्थापना 1997 में **बैंकॉक घोषणा-पत्र** परहस्ताक्षर के साथ हुई थी। शुरुआत में इसे BIST-EC (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड) नाम दिया गया था।
- **सचिवालय:** ढाका, बांग्लादेश
- **उद्देश्य:** बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना।

8. उत्तर: B

व्याख्या: टर्नओवर से जुड़े प्रोत्साहन **सब-असेंबली** और **बेयर कंपोनेंट** के लिए हैं, आपूर्ति श्रृंखला के लिए नहीं है। कैपेक्स-लिंक्ड प्रोत्साहन आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र और पूंजीगत उपकरणों के लिए हैं, **बेयर कंपोनेंट** के लिए नहीं है। हाइब्रिड प्रोत्साहन चयनित **बेयर कंपोनेंट** पर लागू होते हैं। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजनाओं में निवेश की अनुमति दी गई है।

9. उत्तर: B

व्याख्या:

- **कथन 1 सही नहीं है: मुद्रा** एक पुनर्वित्त एजेंसी (Refinance Agency) है, न कि प्रत्यक्ष ऋण देने वाली संस्था है।
- **कथन 2 सही है:** शिशु ऋणों के शीघ्र पुनर्भुगतान के लिए 2% ब्याज छूट उपलब्ध है।
- **कथन 3 सही है:** ऋण संपार्श्विक-मुक्त हैं और CGFMU द्वारा गारंटीकृत हैं।

10. उत्तर: C

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** VVP-II वास्तव में VVP-I द्वारा रखी गई नींव पर आधारित है, जो उत्तरी सीमा के साथ सीमावर्ती गांवों पर केंद्रित है।
- **कथन 2 गलत है:** VVP-II एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जिसका 100% वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि VVP-I एक केंद्र प्रायोजित योजना थी।
- **कथन 3 सही है:** VVP-II का उद्देश्य जीवन स्तर में सुधार करना, आजीविका के अवसर प्रदान करना और सीमा पार अपराध को नियंत्रित करना है।
- **कथन 4 सही है:** VVP-II में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (MGSY-IV) के तहत सड़क, आवास और स्मार्ट कक्षाओं जैसे अवसंरचना में निवेश शामिल है।

11. उत्तर: B

व्याख्या:

(a) सही है: भारतीय वायु सेना संयुक्त अरब अमीरात में अभ्यास डेजर्ट फ्लैग-10 में भाग लिया।

(b) सही नहीं है: ऑपरेशन अटलांटा पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर में संचालित होता है, पश्चिमी प्रशांत में नहीं।

(c) सही है: अभ्यास 'दस्तलिक' भारत और उज्बेकिस्तान में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।

(d) सही है: अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ एक द्विपक्षीय त्रि-सेवा भारत-अमेरिका मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभ्यास है।

12. उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** औद्योगिक वर्गीकरण प्रणाली की शुरुआत 1989 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जारी दून घाटी (उत्तराखंड) अधिसूचना के साथ हुई थी।
- **कथन 2 सही है:** हाल ही में ब्लू श्रेणी को आवश्यक पर्यावरण सेवाओं (ESSs) के लिए शामिल किया गया है। इसके तहत इसमें घरेलू/औद्योगिक अपशिष्ट प्रदूषण का प्रबंधन **किया जाएगा है।** उदाहरण के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नगरपालिका अपशिष्ट सुविधाएं (लैंडफिल)।
- **कथन 3 सही है:** रेड श्रेणी के उद्योगों का प्रदूषण सूचकांक (PI) 80 से अधिक है और इसमें सीमेंट, ऑटोमोबाइल और डिस्टिलरी जैसे अत्यधिक प्रदूषणकारी क्षेत्रक शामिल हैं।
- **कथन 4 गलत है:** CPCB की स्थापना 1974 में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत की गई थी, न कि वायु अधिनियम के तहत। बाद में इसे वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत शक्तियां सौंपी गईं।

13. उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** सिमिलिपाल भारत का 107वां नेशनल पार्क बन गया है और यह **ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान** बन चुका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से **भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान** छोटा है।
- **कथन 2 सही है:** सिमिलिपाल ओडिशा के छोटानागपुर क्षेत्र के मयूरभंज जिले में स्थित है, जहाँ बुद्धबलंगा, पलपला, बंदन, सालंदी, कहेरी और देव जैसी प्रमुख नदियां बहती हैं।
- **कथन 3 सही है:** सिमिलिपाल को 2009 से मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है।

14. उत्तर B

व्याख्या: सिल्वर इकोनॉमी से तात्पर्य स्वास्थ्य देखभाल, आवास, बीमा और सहायक प्रौद्योगिकियों सहित बुजुर्गों की बढ़ती आबादी की जरूरतों और अवसरों को पूरा करने वाले आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र से है।

15. उत्तर: B

व्याख्या: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल AI किरण (AI KIRAN) शुरू की गई है।

- इसका नेतृत्व भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय द्वारा किया जाता है।

16. उत्तर: B

व्याख्या: हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के माध्यम से संचालित होते हैं, जहाँ ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जैसे हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है।

17. उत्तर: C

व्याख्या: जेवन्स विरोधाभास को **विलियम स्टेनली जेवन्स (1865)** ने प्रस्तुत किया था। यह दर्शाता है कि किसी संसाधन (जैसे कोयला या AI कंप्यूटेशन) के उपयोग में दक्षता बढ़ाने से, इसके उपयोग की लागत कम हो जाती है, जिससे उसका अधिक व्यापक उपयोग होता है और विरोधाभासी रूप से कुल खपत बढ़ जाती है।

18. उत्तर: C: नाट्यशास्त्र

19. उत्तर C: चावल

व्याख्या: सिंधु घाटी सभ्यता में चावल की खेती के साक्ष्य सीमित हैं और यह केवल गुजरात के लोथल व रंगपुर में पाए गए हैं।

20. उत्तर: B: ई. वी. रामासामी नायकर (पेरियार)

व्याख्या: जॉर्ज जोसेफ ने अग्रणी नेताओं के जेल जाने के बाद पेरियार को वायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। पेरियार ने इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई और "वायकोम वीरार" की उपाधि अर्जित की।

13.2. ट्रू/फाल्स स्टेटमेंट्स के उत्तर (True/False Answers)

Answers

1. F	2. F	3. T	4. F	5. T	6. T
7. F	8. F	9. T	10. F	11. T	12. T
13. F	14. F	15. F	16. T	17. T	18. F
19. F	20. F				

13.3. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्नों के लिए दृष्टिकोण

1. दृष्टिकोण

- **परिचय:** अर्ध-संघीय ढांचे के बारे में बताइए।
- **मुख्य भाग:** संघीय ढांचे में वे समस्याएं क्या है जो राज्य की अधिक स्वायत्तता की मांग को जन्म देते हैं।
- **निष्कर्ष:** राज्यों की आकांक्षाओं और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन की आवश्यकता के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

2. दृष्टिकोण

- **परिचय:** स्वामित्व योजना के उद्देश्य का उल्लेख कीजिए।
- **मुख्य भाग:** इसके महत्व और प्रमुख चुनौतियों के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए।
- **निष्कर्ष:** स्वामित्व योजना को और अधिक समावेशी बनाने के उपाय सुझाइए।

3. दृष्टिकोण

- **परिचय:** बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित करें जिसमें शक्ति के अनेक केंद्र हों; भारत इस जटिलता से निपटने के लिए बहु संरेखण को अपनाता है।
- **मुख्य भाग:**
  - **अवसर:** ब्रिक्स, क्वाड, G20, वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ, डिजिटल और सांस्कृतिक कूटनीति में भारत की भूमिका पर प्रकाश डालिए।
  - **चुनौतियाँ:** भू-राजनीतिक संतुलन, कमजोर वैश्विक संस्थाएं, कम व्यापार हिस्सेदारी, जलवायु वित्त विभाजन और सीमा तनाव पर जोर दीजिए।
  - **आगे की राह:** गहन संस्थागत जुड़ाव, क्षेत्रीय विश्वास निर्माण और विविध मुद्दे-आधारित सहयोग का सुझाव दीजिए।
- **निष्कर्ष:** इस बात पर ज़ोर दें कि अनुकूली, मूल्य-संचालित कूटनीति भारत को एक संतुलित, समावेशी विश्व व्यवस्था को नया आकार देने में मदद कर सकती है।

4. दृष्टिकोण

- **परिचय:** इस स्थगन को अस्थायी निलंबन के रूप में परिभाषित कीजिए; ध्यान दें कि यह IWT या अंतर्राष्ट्रीय संधि कानून के तहत कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अवधारणा नहीं है।
- **मुख्य भाग:**
  - **कानूनी पहलू: यह** स्पष्ट कीजिए कि एकतरफा निलंबन IWT के अनुच्छेद XII(4) और वियना कन्वेंशन के मानदंडों का खंडन करता है। भारत के संधि दायित्वों पर चिंताएं व्यक्त करता है।

- **भू-राजनीतिक पहलू:** पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक लाभ के रूप में संधि के उपयोग पर चर्चा कीजिए; चीन जैसे अन्य देशों के लिए मिसाल कायम करने का जोखिम। क्षेत्रीय तनाव और पारिस्थितिक जोखिमों को बढ़ाता है।

- **निष्कर्ष:** सुझाव दीजिए कि भारत को कूटनीतिक स्त्रोतों और संधि के आधुनिकीकरण के माध्यम से कानूनी विश्वसनीयता के साथ रणनीतिक हितों को संतुलित करने की आवश्यकता है।

5. **दृष्टिकोण**
   - **परिचय:** डीप टेक और इसकी प्रासंगिकता को परिभाषित कीजिए।
   - **मुख्य भाग:** महत्व, चुनौतियों, नीतिगत हस्तक्षेपों की सूची बनाइए।
   - **निष्कर्ष:** समग्र, बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है ताकि भारत दीर्घकालिक तकनीकी संप्रभुता और आर्थिक लचीलापन सुनिश्चित कर सके।
6. **दृष्टिकोण**
   - **परिचय:** भारत के रक्षा निर्यात में वृद्धि और 2029 के लिए इसके लक्ष्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
   - **मुख्य भाग:**
     - **मुख्य पहल:** iDEX, रक्षा औद्योगिक गलियारे, उदारीकृत FDI नीति और संपूर्ण रक्षा प्रणालियों को बढ़ावा देने जैसी पहलों पर चर्चा कीजिए।
     - **चुनौतियाँ:** महत्वपूर्ण घटकों के लिए आयात पर निर्भरता, वैश्विक विनिर्माताओं से प्रतिस्पर्धा और नौकरशाही की बाधाओं जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालिए।
   - **निष्कर्ष:** संपूर्ण प्रणालियों के निर्यात को बढ़ावा देने, उभरते रक्षा केंद्रों के साथ साझेदारी बनाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की उपस्थिति का विस्तार करने जैसे उपाय सुझाइए।
7. **दृष्टिकोण**
   - **परिचय:** BWC को परिभाषित कीजिए और मुख्य प्रावधानों पर चर्चा कीजिए, जैसे कि जैविक हथियारों के विकास, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध।
   - **मुख्य भाग:**
     - **भारत के प्रयास:** भारत द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए, जैसे कि खतरनाक सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक रूप से संशोधित/इंजीनियरड जीवों या कोशिकाओं का निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियम 1989, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैर-कानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 और SCOMET सूची।
     - **चुनौतियां:** सत्यापन तंत्र की कमी, सीमित संस्थागत सहायता और विश्वास-निर्माण उपायों (CBMs) में कम भागीदारी जैसे मुद्दों का समाधान कीजिए।
   - **निष्कर्ष:** सत्यापन के लिए मॉड्यूलर-वृद्धिशील दृष्टिकोण, संस्थागत सहायता को मजबूत करने और गैर-राज्य अभिकर्ताओं से निपटने जैसे समाधान सुझाएं।
8. **दृष्टिकोण**
   - **परिचय:** मानव-केंद्रित से पारिस्थितिक-केंद्रित न्यायशास्त्र में बदलाव का परिचय दीजिए और उपयोगितावादी और समग्र संरक्षण की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए।
   - **मुख्य भाग:** दार्शनिक (गहन पारिस्थितिकी) और कानूनी (संवैधानिक प्रावधान, सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत) नींव और प्रमुख न्यायिक सक्रियता (जैसे, एम. सी. मेहता मामला, गंगा नदी को "विधिक यानी जीवित व्यक्ति" का दर्जा) पर चर्चा कीजिए।
   - **निष्कर्ष:** आधुनिक दुनिया में पारिस्थितिक न्याय और सतत सह-अस्तित्व के लिए इस बदलाव की प्रासंगिकता पर जोर दीजिए।
9. **दृष्टिकोण**
   - **परिचय:** BRCs को परिभाषित कीजिए और प्राकृतिक खेती में उनकी भूमिका का उल्लेख कीजिए।
   - **मुख्य भाग:** बताइए कि BRCs कैसे सतत कृषि को बढ़ावा देते हैं, उन्हें स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देशों पर चर्चा कीजिए।
   - **निष्कर्ष:** किसानों और ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके संभावित प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए।
10. **दृष्टिकोण**
    - **परिचय:** कार्यस्थल ऑटोमेशन (न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ कार्य करने के लिए AI, रोबोटिक्स और डिजिटल तकनीकों का उपयोग) को परिभाषित कीजिए।
    - **मुख्य भाग:** कार्यस्थल ऑटोमेशन से जुड़े सामाजिक लाभ और चुनौतियों का उल्लेख कीजिए।
    - **निष्कर्ष:** समावेशी, सुरक्षित और न्यायसंगत कार्यस्थल ऑटोमेशन सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाइए।
11. **दृष्टिकोण**
    - **परिचय:** नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, भारत के डीकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा स्वतंत्रता का केंद्रीय लक्ष्य है।
    - **मुख्य भाग:**
      - **मिशन उद्देश्य:** भारत को वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में स्थापित करने की योजना के रूप में NGHM को परिभाषित कीजिए।
      - **मुख्य घटक:** मांग सृजन, SIGHT प्रोत्साहन, पायलट प्रोजेक्ट, हरित हाइड्रोजन हब और अनुसंधान एवं विकास (R&D) कार्यक्रम।
      - **हरित प्रमाणन मानदंड:** समझाइए कि GHCS 2 किलोग्राम CO2/kg H2 की उत्सर्जन सीमा और वार्षिक ऑडिट के साथ विश्वसनीय सत्यापन सुनिश्चित करता है।
      - **प्रभाव:** इस बात पर जोर दीजिए कि यह उद्योग को अपनाने में कैसे सक्षम बनाता है, निर्यात को विश्वसनीय बनाता है और निवेश को आकर्षित करता है।
    - **निष्कर्ष:** NGHM और GHCS मिलकर भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक विश्वसनीय, मापनीय आधार स्थापित करते हैं।
12. **दृष्टिकोण**
    - **परिचय:** ध्रुवीय कक्षा का उपयोग करने वाले हालिया मिशन के रूप में "फ्रेम2" का उल्लेख कीजिए।
    - **मुख्य भाग:**
      - ध्रुवीय कक्षा और उसके महत्व को संक्षेप में परिभाषित कीजिए।
      - अन्य कक्षाओं के साथ तुलना कीजिए।
    - **निष्कर्ष:** उन्नत अंतरिक्ष मिशनों में ध्रुवीय कक्षाओं की बढ़ती प्रासंगिकता पर ध्यान दीजिए।
13. **दृष्टिकोण**
    - **परिचय:** IVC का आधार, शहरी केंद्रों के उत्थान को सक्षम बनाना।
    - **मुख्य भाग:** उगाई जाने वाली फसलें, कृषि तकनीक और उपकरण, शहरीकरण का महत्व।
14. **दृष्टिकोण**
    - **परिचय:** अस्पृश्यता के विरुद्ध अहिंसक आंदोलन से उत्तर की शुरुआत कीजिए।
    - **मुख्य भाग:** महत्व, चुनौतियों और नेतृत्व की भूमिका की सूची बनाइए।
    - **निष्कर्ष:** सामाजिक न्याय के लिए भारत के संघर्ष का उल्लेख कीजिए।
15. **दृष्टिकोण**
    - **परिचय:** शक्तियों के पृथक्करण के बारे में संक्षेप में परिभाषित कीजिए।
    - **मुख्य भाग:** संवैधानिक प्रावधानों, न्यायिक घोषणाओं और व्यावहारिक चुनौतियों का उल्लेख कीजिए
    - **निष्कर्ष:** आगे की राह का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।
16. **दृष्टिकोण**
    - **परिचय:** शांतिपूर्ण भारत-चीन सहयोग के रूपक के रूप में "ड्रैगन-एलिफेंट टैंगो" की व्याख्या कीजिए; मिश्रित प्रतीकों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने की उपलब्धियां बताइए।

- **मुख्य भाग:**
  - **अवसर:** सहयोग के प्रवर्तकों के रूप में साझा मंचों (ब्रिक्स, SCO), व्यापार संबंध (118.4 बिलियन डॉलर), जलवायु सहयोग और क्षेत्रीय प्रभाव का उल्लेख कीजिए।
  - **चुनौतियां:** सीमा तनाव (गलवान, डोकलाम), व्यापार असंतुलन, चीन-पाकिस्तान गठजोड़, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता और जल विवाद के बारे में लिखिए।
  - **रणनीतिक प्रतिक्रियाएं:** क्वाड, "नेकलेस ऑफ डायमंड्स", सागर जैसी भारत की जवाबी रणनीतियों पर ध्यान दीजिए। साथ ही "द इंडिया वे" में दी गई सलाह के अनुसार यथार्थवादी कूटनीति पर ध्यान दीजिए।
- **निष्कर्ष:** सुझाव दीजिए कि "ड्रैगन-एलिफेंट टैंगो" आदर्शवादी है। इसकी सफलता पारस्परिक सम्मान, रणनीतिक स्पष्टता तथा प्रतिद्वंद्विता और सहयोग दोनों को व्यावहारिक रूप से प्रबंधित करने पर निर्भर करती है।

17. दृष्टिकोण

- **परिचय:** ECMS के उद्देश्य से उत्तर की शुरुआत कीजिए।
- **मुख्य भाग:** ECMS के महत्व और इसके हल की गई प्रमुख चुनौतियों को बताइए।
- **निष्कर्ष:** सरकारी उपायों के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

18. दृष्टिकोण

- **परिचय:** समावेशी विकास और स्वरोजगार लक्ष्यों के साथ संरेखण पर प्रकाश डालिए।
- **मुख्य भाग:** PMMY का प्रभाव, चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताइए।
- **निष्कर्ष:** सुधारों के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

19. दृष्टिकोण

- **परिचय:** कश्मीर विद्रोह के कालक्रम का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, बाह्य और आंतरिक कारकों पर प्रकाश डालिए। (इसे इन्फोग्राफिक्स के रूप में दिया जा सकता है)
- **मुख्य भाग:** पाकिस्तान के प्रॉक्सी युद्ध, कट्टरपंथ, आर्थिक चुनौतियों और छिद्रिल सीमाओं पर चर्चा कीजिए। हाइब्रिड आतंकवादी संगठनों और विकसित हो रही तकनीकों जैसी चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत कीजिए।
- **निष्कर्ष:** शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए खुफिया जानकारी, सीमा सुरक्षा और कट्टरपंथ विरोधी गतिविधियों को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दीजिए।

20. दृष्टिकोण

- **परिचय:** उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया व्यक्तित्वों के उपयोग के रूप में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को परिभाषित कीजिए; स्पष्ट सीमाओं के अभाव में नैतिकता पर चिंता व्यक्त कीजिए।
- **मुख्य भाग:**
  - **चुनौतियां:** भौतिकवाद, FOMO, भ्रामक सूचना, IP उल्लंघन और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर कीजिए।
  - **विनियमन:** पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए CCPA, SEBI, ASCI दिशा-निर्देशों और IIGC के स्व-नियामक उपायों पर जोर दीजिए।
  - **प्रभावशीलता:** सीमित प्रवर्तन, बढ़ते अनुपालन और मजबूत निगरानी की आवश्यकता पर ध्यान दीजिए।
- **निष्कर्ष:** नीतिपरक उपभोक्ता जुड़ाव की सुरक्षा के लिए सख्त मानदंडों, संबंधित प्लेटफ़ॉर्म की ज़िम्मेदारी और डिजिटल साक्षरता को मिलाकर एक संतुलित दृष्टिकोण सुझाइए।

13.4. केस स्टडीज़ के प्रति दृष्टिकोण

1. दृष्टिकोण

- **परिचय:** सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स फैशन, स्वास्थ्य और जीवन शैली जैसे क्षेत्रों में जनता की राय और उपभोक्ता व्यवहार को आकार देने वाले प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरे हैं।
- **मुख्य भाग:**
  - **सकारात्मक प्रभाव:** सामाजिक कारणों को बढ़ावा देना, जागरूकता बढ़ाना, सचेत उपभोक्तावाद को प्रोत्साहित करना और हाशिए पर मौजूद समुदायों की आवाज़ों को उठाना।
  - **नकारात्मक प्रभाव:** भौतिकवाद को बढ़ावा देना, FOMO जैसे मनोवैज्ञानिक मुद्दों को ट्रिगर करना, गलत सूचना फैलाना और गोपनीयता का उल्लंघन व मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम उठाना।
- **निष्कर्ष:** प्रभावित करने वाले लोग लाभकारी और हानिकारक दोनों तरह के प्रभावों के साथ महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, जिसके लिए जिम्मेदार जुड़ाव और जागरूकता की आवश्यकता होती है।
  - **परिचय:** सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के प्रभाव और नैतिक विनियमन की आवश्यकता पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
  - **मुख्य भाग:** नैतिक दिशा-निर्देशों को पारदर्शिता, ईमानदारी और जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, कमजोर समूहों की रक्षा करनी चाहिए, गोपनीयता और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए जवाबदेही लागू करनी चाहिए।
  - **निष्कर्ष:** इस बात पर जोर दीजिए कि नैतिक विनियमन विश्वास को बढ़ावा देता है, उपभोक्ताओं की सुरक्षा करता है और एक स्वस्थ डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है।

2. दृष्टिकोण

- **परिचय:** मृत्युदंड, न्याय और मानवाधिकारों से जुड़ी एक जटिल नैतिक और कानूनी दुविधा के बारे में बताइए।
- **मुख्य भाग:**
  - **हितधारक:** पीड़ित का परिवार फांसी के माध्यम से मामले को खत्म करने की मांग करता है; दोषी के अधिकार और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ; मानवाधिकार समूह मृत्युदंड का विरोध करते हैं; सरकार कानून और व्यवस्था को संतुलित करती है।
  - **सिफारिश:** संवैधानिक अधिकारों, मानसिक स्वास्थ्य और वैश्विक उन्मूलन प्रवृत्तियों के कारण सजा को आजीवन कारावास में बदलना।
  - **विकल्प:** सख्त शर्तों के साथ आजीवन कारावास, पीड़ित को मुआवजा, आदि।
- **निष्कर्ष:** एक मानवीय, संवैधानिक रूप से आधारित दृष्टिकोण न्याय को गरिमा और मानवाधिकारों के साथ संतुलित करता है।

14. सेल्फ-इवेल्युएशन

प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल

एक्टिविटी	कुल प्रश्न	सही उत्तर	अटेम्प्ट	स्कोर/परसेंटेज
MCQ's				
ट्रू/फाल्स स्टेटमेंट्स				

मंथली लर्निंग समरी

टॉप 3 लर्निंग/ इनसाइट्स

1.

2.

3.

प्रोग्रेस की तुलना

पिछले महीने का स्कोर	
इस महीने का स्कोर	
किस क्षेत्र में सुधार हुआ	

रिफ्लेक्शन सेक्शन

मजबूत पक्ष	
सुधार के लिए चिन्हित क्षेत्र	
अगले महीने के लिए लक्ष्य	

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

10 in Top 10 Selections in CSE 2024 (from various programs of VISIONIAS)

हिन्दी माध्यम में 30+ चयन

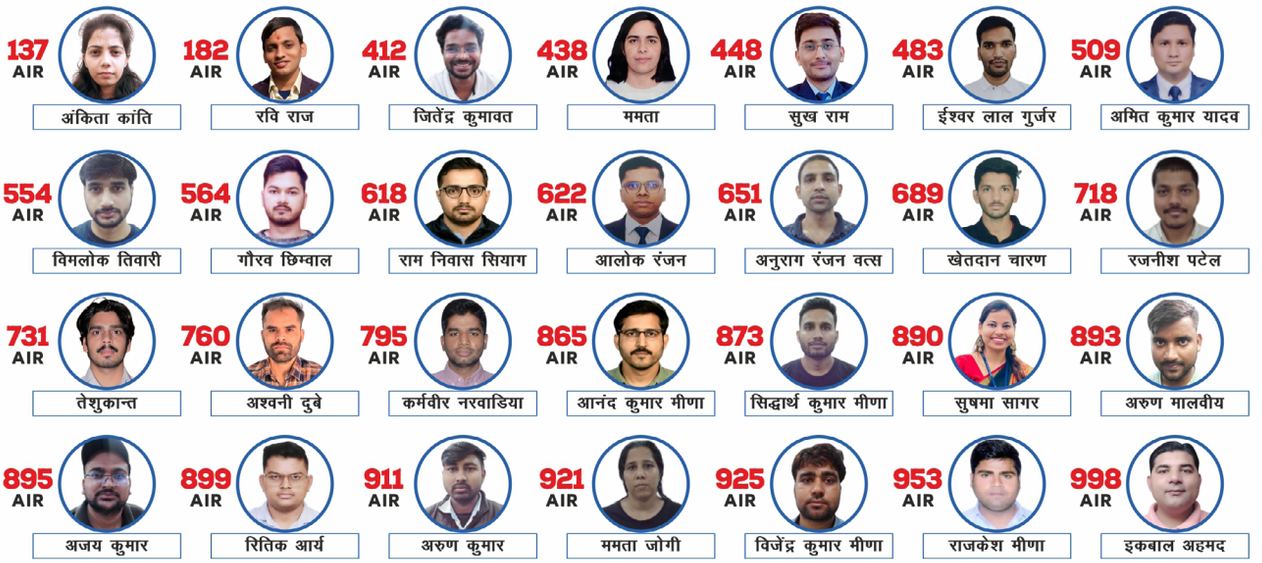

HEARTIEST

Congratulations

TO ALL THE SELECTED CANDIDATES

10 IN TOP 10

Selections in CSE 2024

from various programs of

VisionIAS

Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates

10 in **TOP 10** Selections in **CSE 2024**

from various programs of **Vision IAS**

Shakti Dubey

Harshita Goyal
GS Foundation Classroom Student

Dongre Archit Parag
GS Foundation Classroom Student

Shah Margi Chirag

Aakash Garg

Komal Punia

Aayushi Bansal

Raj Krishna Jha

Aditya Vikram Agarwal

Mayank Tripathi

हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में

Ankita Kanti

Ravi Raaz

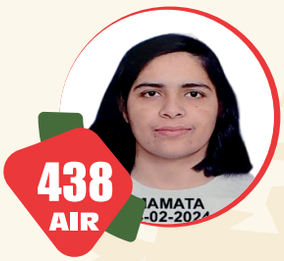

Mamata

Sukh Ram

Amit Kumar Yadav

HEAD OFFICE
33, Pusa Road,
Near Karol Bagh Metro Station,
Opposite Pillar No. 113,
Delhi - 110005
DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office,
above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in /@visioniashindi /visionias.upsc /vision_ias_hindi/ /hindi_visionias

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची